लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र / Fourth Session]

[खंड 16 में अंक 41 से 50 तक हैं / Vol. XVI contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 50, गुरुवार, 25 अप्रैल, 1968/5 वैशाख, 1890 (शक)
No. 50, Thursday, April 25, 1968/Vaisakha 5..1890 (Saka)

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1442. मोटे अनाज को बिना रोक-टोक लाना व ले जाना	Free Movement of Coarse Grains	..	1513—1518
1445. गेहूं की वसूली	Procurement of Wheat	..	1518—1521
1451. बिहार तथा पश्चिम बंगाल में रबी की फसल वाली भूमि	Land under Rabi Crops in Bihar and West Bengal	..	1521—1522
1452. सरकारी उपक्रमों में प्रोत्साहन मजूरी	Incentive Wages in Public undertakings	..	1522—1525
1453. उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का वितरण	Distribution of Chemical Fertilizers in U. P.	..	1525—1527
1455. भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण	Commercialisation of Indian Agriculture	..	1527—1528
1456. भारतीय खाद्य निगम	Food Corporation of India	..	1528—1529
अ० सू० प्र० संख्या S.N. Q. No.			
25. 'ताजिया' के कारण लखनऊ-दिल्ली डाकगाड़ी का रोका जाना	Detention of Lucknow-Delhi Mail Due to 'Tazia'	..	1529—1532
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1437. भारत तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच करार	Indo-West German Agreement		1532

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

1438. भारत सेवक समाज	Bharat Sewak Samaj ..	1532—1533
1439. रामकृष्णपुरम में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना	Installation of Public Telephones in Ramakrishnapuram ..	1533
1440. वर्ष 1968 में देश में निर्मित किये जाने वाले नलकूप	Tube Wells to be constructed in the country in 1968 ..	1533
1441. टेलीफोन दिये जाने की प्रक्रिया	Procedure for Allotment of Telephones ..	1533—1534
1443. चीनी का नेपाल को चोरी छिपे ले जाया जाना	Smuggling of Sugar into Nepal ..	1534
1444. खाद्य तेलों का आयात	Import of Edible Oils ..	1535
1446. कृषि आयोग	Agriculture Commission ..	1535
1447. राष्ट्रीय श्रम आयोग	National Labour Commission ..	1535—1536
1448. मुंघेर डाकघर में बेकार पड़ी मशीनें	Machinery lying idle in Monghyr Post Office ..	1536
1449. दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में सब्जियों के बीजों पर बिक्री-कर	Sales Tax on Vegetable Seeds in Delhi and U. P. ..	1536—1537
1450. तटीय समुद्र में बड़ी संख्या में पाई जाने वाली मछलियां	Coastal Fish Reserves ..	1537
1454. हरियाणा में सरकारी औद्योगिक स्कूल	Government Industrial Schools in Haryana ..	1538
1457. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की बिक्री	Sale of Milk by D. M. S. ..	1538—1539
1458. दिल्ली में टेलीफोन बिलों का भुगतान न किया जाना	Non-Payment of Telephone Bills in Delhi ..	1539—1540
1459. कच्छ के रन का विस्तार	Advance of Rann of Kutch ..	1540
1460. न्यूनतम मजूरी सलाहकार समिति का प्रतिवेदन	Minimum Wages Advisory Committees' Report ..	1540
1461. त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थी	East Pakistani Refugees in Tripura ..	1540—1541
1462. कोटा स्थित उर्वरक कारखाने में दुर्घटना	Accident at Fertilizer Factory, Kota ..	1541—1542

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1463. टेलीफोन ग्राहकों के मकानों में टेलीफोन मीटर लगाना	Installation of Telephone Meters at Subscribers' Residences ..	1542
1464. छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए आवर्तक निधि	Revolving Fund for Minor Irrigation Schemes ..	1542
1465. ग्रामीण श्रम जांच	Rural Labour Enquiry ..	1542—1543
1466. हरियाणा में आटा मिलों को घुन लगे गेहूं की बिक्री	Sale of Weevilled Wheat to Flour Mills in Haryana ..	1543
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8422. रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल	Use of Chemical Fertilizers ..	1544
8423. मछली तेल उद्योग	Fish Oil Industry ..	1544—1545
8424. हनुमानगढ़ नगर (राजस्थान) में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchange at Hanumangarh Town (Rajasthan) ..	1546
8425. हलवाइयों के लिए चीनी का कोटा	Sugar Quota for Confectioners ..	1546—1547
8426. मजूरी बोर्ड	Wage Boards ..	1547
8427. छोटी कोयला खानों तथा लौह अयस्क खानों का बन्द हो जाना	Closure of small Coal Mines and Iron Ore Mines ..	1547—1548
8428. मदुरै में डाक तथा तार कर्मचारियों के चिकित्सा-व्यय प्रतिपूर्ति बिल	Medical Reimbursement Bills of P. & T. Employees, Madurai ..	1548
8429. विमानों द्वारा बीज गिराए जाने का परीक्षण	Aerial Seeding Experiments ..	1548—1549
8430. उत्तर प्रदेश में इतखारी छोटी नहर	Itkhari Minor Canal in U. P. ..	1549
8431. दिल्ली क्लाथ तथा बिड़ला मिलों में श्रमिक	Labourers in Delhi Cloth and Birla Mills ..	1549—1550
8432. सरकारी गोदामों से उर्वरकों का गायब होना	Missing of Fertilizers from Government Godowns ..	1550
8433. उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र	Drought Map of Orissa ..	1550—1551

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
8434. सरकारी अधिकारियों द्वारा वन नियमों का उल्लंघन	Violation of Forest Rules by Government Officers ..	1551
8435. रेलवे डाक सेवा भवन, कोट्टयम	R. M. S. Building, Kottayam ..	1551—1552
8436. तार इंजीनियरी तथा बेतार सेवा श्रेणी-2 परीक्षा	T. E. and W. S. Examinations ..	1552
8437. श्रेणी 2 टी० ई० तथा डब्ल्यू० एस० परीक्षाएं	Class II T.E. and W.S. Examinations ..	1552—1553
8438. हिसार में अनुसंधान प्रयोगशाला	Research Laboratory at Hissar ..	1553
8439. दिल्ली में टेलीविजन सेट	T. V. sets in Delhi ..	1553—1554
8440. आई० सी० आई० फर्टिलाइजर फैक्टरी, कानपुर	I. C. I. Fertilizer Factory, Kanpur ..	1554
8441. 'रेम्बुईलेट' भेड़ों का आयात	Import of Ramboillet Sheep ..	1554—1555
8442. चावल तथा गेहूं के लिए राजसहायता	Subsidy on Rice and Wheat ..	1555
8443. एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियाई कृषि का सर्वेक्षण	Survey of Asian Agriculture by Asian Development Bank ..	1555—1556
8444. विद्युत् उपक्रमों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Electricity Undertakings..	1556
8445. महाराष्ट्र में कुएं खोदने का विशेष कार्यक्रम	Special Programme of Wells in Maharashtra ..	1556
8446. दिल्ली में गेहूं के मूल्यों में कमी	Reduction in Wheat Price in Delhi ..	1557
8447. पटना में टेलीफोन ग्राहकों द्वारा देय टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	Telephones Charges outstanding against Subscribers in Patna ..	1557—1558
8448. हड्डी से बना उर्वरक	Bone Fertilizers ..	1558
8449. खली का खाद के रूप में उपयोग	Use of Oil-Cakes as Manure ..	1558
8450. गाय और भैंसों की संख्या	Population of Cows and Buffaloes ..	1558—1559
8451. विधि मंत्रालय द्वारा दी गई कानूनी राय	Legal Opinion tendered by the Ministry of Law ..	1559

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8452. कारखानों के पास कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Employees' Provident Fund pending with factories ..	1559—1560
8453. मारीशस से चीनी का आयात	Import of Sugar from Mauritius ..	1560
8454. चीनी का आयात	Import of Sugar ..	1560
8455. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बीज निगम के कार्य का विस्तार	Expansion of National Seeds Corporation work in Madhya Pradesh ..	1560—1561
8456. उर्वरकों तथा बीजों में मिलावट	Adulteration of Fertilizers and Seeds ..	1561
8457. "सर्च लाइट" तथा "प्रदीप" समाचारपत्र कार्यालयों में हड़ताल	Strike in Searchlight and Pradeep Newspapers ..	1561—1562
8458. सूरतगढ़ फार्म	Suratgarh Farm ..	1562
8459. ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त की गई भूमि	Confiscation of Land by British Government ..	1562
8460. संचार विभाग की त्रुटियां	Shortcomings in Department of Communications ..	1562—1563
8461. सामूहिक कृषि फार्म	Collective Agricultural Farms ..	1563
8462. बीज के गेहूं की नई किस्में	New Varieties of Wheat Seeds	1563
8463. शराब के लिए गुड़ की खरीद	Gur Purchase for Liquor ..	1564
8464. लद्दाख में डाकघर तथा तार घर	Post Offices and Telegraph Offices in Ladakh ..	1564
8465. ग्राम पंचायतें	Gram Panchayats ..	1564—1565
8466. राजहरा खानें	Rajhara Mines ..	1565
8467. हरियाणा और पंजाब में गेहूं के दामों का गिरना	Fall in Wheat Prices in Haryana and Punjab ..	1565—1566
8468. मध्य प्रदेश को गेहूं की सप्लाई	Wheat Supply to Madhya Pradesh ..	1566
8469. मध्य प्रदेश में सुपर बाजार	Super Bazar in Madhya Pradesh ..	1566
8470. मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार का फार्म	Central Government Farm in Madhya Pradesh ..	1566—1567
8471. चीनी उद्योग पर नियंत्रण	Control on Sugar Industry ..	1567

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8472. महाराष्ट्र में रोजगार	Employment in Maharashtra ..	1567—1568
8473. ग्रामीण ऋणग्रस्तता*	Rural Indebtedness ..	1568
8474. पश्चिम बंगाल सरकार की हरिनघट्टा दुग्धशाला	Haringhatta Dairy of West Bengal Government ..	1568—1569
8475. फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इन्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई	Firestone tyre and Rubber Company of India (P) Ltd., Bombay ..	1569
8476. सरकारी उपक्रमों के फालतू कर्मचारियों तथा निर्माण सम्बन्धी फालतू श्रमिकों को रोजगार देना	Absorption of Surplus Personnel of Public Sector Uudertakings and Construction Labour ..	1569—1570
8477. औद्योगिक कार्यों के लिए गुड़ के प्रयोग पर पाबन्दी	Ban on use of Gur for Industrial purposes ..	1570
8478. खाद्य तथा कृषि मंत्री का कलकत्ता का दौरा	Food and Agriculture Minister's visit to Culcutta ..	1570
8479. उत्तर प्रदेश कृषक समाज	Uttar Pradesh Krishak Samaj ..	1570—1571
8480. गोरखपुर में उचित मूल्य की अनाज की दुकानें	Fair Price Foodgrains Shops in Gorakhpur ..	1571
8481. उत्तर प्रदेश का वन विभाग	Forest Department of Uttar Pradesh ..	1571
8482. कानपुर में चमड़ा उद्योग	Leather Industries at Kanpur ..	1572
8483. बीजों का आयात	Import of Seeds ..	1572
8484. बीज परिष्करण संयंत्र	Seed Processing Plants ..	1572—1573
8485. उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन	Sugar Production in U. P. ..	1573
8486. कृषि विकास योजना	Agriculture Development Plan ..	1573—1574
8487. माडर्न बेकरीज (इन्डिया) लिमिटेड, मद्रास	Modern Bakeries (India) Ltd., Madras ..	1574—1575
8488. काडवाड गांव (मैसूर राज्य) से उप-डाकघर का हटाया जाना	Shifting of Sub-Post Office from Kadwad Village (Mysore State) ..	1575
8489. दिल्ली के टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	Arrears of Telephone Bills in Delhi ..	1575—1576

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
8490. उत्तर प्रदेश में कृषि विकास के लिए योजनाएं	Schemes for Agricultural Development in U. P. ..	1576
8491. उत्तर प्रदेश में कृषि का विकास	Agricultural Development in U. P. ..	1576—1577
8492. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बाहर उर्वरकों की बिक्री	Sale of Fertilizers outside Priority areas ..	1577
8493. सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल	Sugar Mills in Co-operative Sector ..	1577—1578
8494. श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम	Working Journalists' Act ..	1578
8495. ओरियण्टल रिसर्च एण्ड कैमिकल लैबोरेटरीज लिमिटेड, हावड़ा	Oriental Research and Chemical Laboratory Ltd., Howrah ..	1578—1579
8496. तांबे के तार तथा पी० एण्ड टी० के तार की चोरियां	Theft of Copper Wire and Pilferage of P. & T. Wire ..	1579
8497. त्रिभाषी मनी-आर्डर फार्म	Trilingual money order form ..	1580
8498. कृषि उपज परिष्करण कारखाने	Farm processing units ..	1580—1581
8499. बर्मा से स्वदेश लौटने वाले व्यक्ति	Repatriates from Burma ..	1581
8500. त्रिपुरा में बेरोजगार व्यक्ति	Unemployed in Tripura ..	1581—1582
8501. मधुबनी (बिहार) में डाकघर	Post Office in Madhubani (Bihar) ..	1582
8502. टेलीफोन उपकरणों का निर्यात	Export of Telephone Equipment ..	1582—1583
8503. दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी	East Bengal Refugees in Delhi ..	1583—1584
8504. चुनाव आयोग के कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Office of Election Commission ..	1584
8505. निर्वाचन आयोग में कर्मचारियों को हिन्दी सिखाना	Teaching of Hindi to Employees in Election Commission ..	1584
8506. सूरतगढ़ कृषि फार्म कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike Notice by Suratgarh Agricultural Farm Employees' Union ..	1585

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8507. मैसूर में लघु सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Schemes in Mysore ..	1585—1586
8508. रोजगार सम्बन्धी केन्द्रीय समिति	Central Committee on Employment ..	1586—1587
8509. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	I. C. A. R. ..	1587
8510. दिल्ली में वनस्पति घी की काले बाजार में बिक्री	Sales of Vegetable Ghee in Black Market in Delhi ..	1587—1588
8511. नेफा, लद्दाख आदि के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सहायता	Assistance for Rehabilitation of displaced persons of NEFA, Ladakh etc. ..	1588—1589
8512. उर्वरकों का परिवहन	Transporation of Fertilizers ..	1589
8513. कृषि स्नातक	Agriculture Graduates ..	1590
8514. चावल तथा गेहूं का आयात	Import of Rice and Wheat ..	1590—1591
8515. मैसर्स शॉ वैलेस एण्ड कम्पनी, कलकत्ता को अमोनियम सल्फेट तथा यूरिया की सप्लाई	Supply of Ammonium Sulphate and Urea to M/s. Shaw Wallace & Co., Calcutta ..	1591
8516. कपास का मूल्य	Price of Cotton ..	1591—1592
8517. अमोनियम सल्फेट तथा यूरिया की सप्लाई	Supply of Ammonium Sulphate and Urea ..	1592
8518. पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थी	East Pakistan Refugees ..	1592—1593
8519. पश्चिम बंगाल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना	Deep Sea Fishing in West Bengal ..	1593
8520. भारत में शिक्षित बेरोजगार	Educated Unemployed in India ..	1594
8521. भारतीय खाद्य निगम की त्रिवेन्द्रम स्थित शाखा	Branch Office of Food Corporation of India at Trivandrum ..	1594
8522. उपभोक्ता सहकारी भंडारों के लिए रूसी सहायता	Soviet Aid for Consumer Co-operative Stores ..	1594—1595
8523. नागपुर और बम्बई के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था	Direct dialling system between Nagpur and Bombay ..	1595

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
8524. इसगांव (आन्ध्र प्रदेश) में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of East Pakistan Refugees in Isgoan (A. P.)	..	1595
8525. अंदमान द्वीप समूह के नील द्वीप में शरणार्थी	Refugees in Neil Island of Andaman Group		1596
8526. स्रवण क्षेत्रों में भू-संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Soil Conservation in Catchment Areas	..	1596—1597
8527. दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	..	1597—1598
8528. निर्वाचन याचिकायें	Election Petitions	..	1598
8529. चकमा परिवारों का पुनर्वास	Rehabilitation of Chakma Families	..	1598
8530. डाक बक्से	Mail Boxes	..	1598—1599
8531. भूवैज्ञानिक तथा भूभौतिकीविद	Geologists and Geophysicists	..	1599
8532. अंदमान द्वीप में पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी	East Pakistan Refugees in Andamans	..	1599—1600
8533. मिजो पहाड़ी जिले में डाक डिवीजन	Postal Division for Mizo Hills District	..	1600
8534. फार्म ऋण	Farm Credit	..	1600
8535. यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर संघ द्वारा प्रस्तावित हड़ताल	Proposed Strike by United Chini Mill Mazdoor Sangh	..	1601
8536. कृषि स्नातक	Agricultural Graduates	..	1601—1602
8537. पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्ति	East Pakistan Displaced Persons	..	1602
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	..	
हरिजनों के विरुद्ध आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री का कथित वक्तव्य	Reported statement by the agriculture Minister of Andhra against Harijans	..	1602—1605
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	..	1602
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	..	1602—1605
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	..	1605—1606
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—		
चौवनवां प्रतिवेदन	Fifty-fourth Report	..	1606

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—		
सोलहवां, सत्रहवां तथा अट्ठारहवां प्रतिवेदन	Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Reports	..	1606—1607
एपीजे शिपिंग कम्पनी के बारे में 22 अप्रैल, 1968 को खाद्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर प्रश्न	Questions on Statement made by Food Minister on 22nd April, 1968 Re. Apeejay Shipping Company	..	1607—1610
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	..	1607
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjiwan Ram	..	1607—1610
सभा का कार्य	Business of the House	..	1610
अनुदानों की मांगें, 1968-69	Demands for Grants, 1968-69	..	1611—1646
औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय	Ministry of Industrial Development and Company Affairs	..	1611—1623
श्री नन्दकुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	..	1611—1613
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun	..	1613
श्री राजाराम	Shri Rajaram	..	1613—1614
श्री प्र० कु० घोष	Shri P. K. Ghosh	..	1615—1616
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	..	1616—1617
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	..	1617—1618
श्री भोलानाथ	Shri Bhola Nath	..	1618
श्री ज० अहमद	Shri J. Ahmed	..	1618—16199
श्री गणपत सहाय	Shri Ganpat Sahai	..	1619
श्री उमानाथ	Shri Umanath	..	1619—1620
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	..	1620—1623
समाज कल्याण विभाग	Department of Social Welfare	..	1624
श्री द० रा० परमार	Shri D. R. Parmar	..	1624—1625
डा० शि० कु० साहा	Dr. S. K. Saha	..	1625
श्री मुत्तु गोंडर	Shri Muthu Gounder	..	1625—1626
श्री ज० म० काहनडोल	Shri Z. M. Kahandole	..	1629—1630
श्री शिवचरण लाल	Shri Shiv Charan Lal	..	1630—1631

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	.. 1631—1632
श्री अ० कु० किस्कु	Shri A. K. Kisku	.. 1632—1634
श्री कांबले	Shri Kamble	.. 1634—1635
श्रीमती सुशीला गोपालन	Shrimati Susheela Gopalan	.. 1636—1637
श्रीमती गंगा देवी	Shrimati Ganga Devi	.. 1637—1638
श्री कं० हाल्दर	Shri K. Haldar	.. 1638
श्री कार्तिक ओराओं	Shri Kartik Oraon	.. 1639
श्री बेधर बेहरा	Shri Baidhar Behera	.. 1640—1641
कुमारी कमला कुमारी	Kumari Kamala Kumari	.. 1641
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	.. 1641—1642
श्री सुन्दर लाल	Shri Sunder Lal	.. 1642
श्री रामजी राम	Shri Ramji Ram	.. 1642—1643
श्री अशोक मेहता	Shri Ashok Mehta	.. 1643—1644
वित्त, स्वास्थ्य, विधि आदि तथा अन्य विभाग	Ministries of Finance, Health, Law etc. and other Departments	.. 1644—1646
विनियोग (संख्या 2)विधेयक, 1968—	Appropriation (No. 2) Bill, 1968—	
पुरःस्थापित तथा पारित	Introduced and Passed	.. 1647—1648

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 25 अप्रैल, 1968/5 वैशाख, 1890 (शक)
Thursday, April 25, 1968/Vaisakha 5, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Free Movement of Coarse Grains

*1442. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Kanwar Lal Gupta : **Shri T. P. Shah :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the effect of the removal of restrictions on the movement of gram, barley and other coarse grains and the formation of larger Northern Zone wherein Delhi has also been included ;

(b) whether the farmers and consumers have been benefited thereby ; and

(c) if so, whether Government propose to consider the abolition of Food Zones altogether ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) . चना और जौ का सारे देश में निर्बाध संचलन करने तथा बड़ा उत्तरी क्षेत्र बनाने का निर्णय केवल 28-3-1968 से लागू किया गया था । संचलन संबंधी छूट के प्रभाव का मूल्यांकन इतना शीघ्र नहीं किया जा सकता विशेष कर जबकि रबी फसल अभी-अभी मंडियों में आनी शुरू हुई है ।

(ग) फिलहाल, खाद्य क्षेत्रों को बिल्कुल ही समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । क्षेत्रीय प्रतिबंधों को जारी रखने या न रखने के प्रश्न पर खरीफ की फसल की कटाई से पूर्व मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया जाएगा ।

Shri Brij Bhushan Lal : Today Uttar Pradesh is a deficit state. The Central Government did not give even 75 per cent of the foodgrains demanded by Uttar Pradesh Government in 1967-68. I would like to know whether the Government are considering to include Uttar Pradesh also in the Zone Comprising of Delhi, Himachal Pradesh, Haryana and Panjab ?

Shri Jagjiwan Ram : It has been decided after consideration that the Zones should yet remain limited to the present state. I would like to inform the House that it is heartening that there is a good rabi crop in Uttar Pradesh this year and the prices of wheat are competitive to the prices in Panjab.

Shri Prakash Vir Shastri : Recently it was in the newspapers that the Panjab Government is prepared to give double of the quota fixed for his buffer stock. In all parts of the country there has been a good crop. In these circumstances why the Government do not remove the zonal restrictions so that there should be free movement of foodgrains in the country and all can get wheat equally ?

Shri Jagjiwan Ram : This decision was taken at the conference of the Chief Ministers after considering all these aspects and because this decision has been taken recently therefore, there seems to be no necessity to make any change just after the decision.

Shri K. N. Tiwary : Just now an Hon. Member asked about the inclusion of Uttar Pradesh in the North Zone. I would like to know from the Hon. Minister whether he will include Bihar also in this Zone keeping in view the positions of Bihar ?

Shri Jagjiwan Ram : As I have said, there is no proposal yet to reconsider the matter regarding formation of Zones for rabi crop.

श्री रंगा : मुझे प्रसन्नता है कि सम्बन्धित मंत्री महोदय स्थानीय सरकारों के विरोध के बावजूद भी क्षेत्र (जोन) की सीमा को बढ़ाने के पक्ष में थे और अन्ततोगत्वा वे दिल्ली को भी जोन में सम्मिलित करने में सफल हुए। उत्पादक के हित की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, दूसरे, सरकार ने इस प्रकार का भय क्यों प्रकट किया है कि वे शायद 35 लाख अथवा 70 लाख टन के अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सकें हालांकि फसल बहुत अच्छी हुई है और किसान अनाज को बेचने के लिए बड़े इच्छुक हैं और खाद्य निगम को इस योग्य होना चाहिए कि किसान जितना भी अपना अतिरिक्त अनाज देना चाहे उसे ले ले ?

श्री जगजीवन राम : मैं पहले अनाज प्राप्ति के आंकड़े सम्बन्धी बात को स्पष्ट करूंगा। 70 लाख टन के आंकड़े खरीफ की फसल के थे। यह सम्पूर्ण अनाज उपलब्धि नहीं थी और जो भय प्रकट किया गया था अगर राजनीतिक स्थिति तथा अन्य बातों पर विचार करें तो शायद खरीफ की फसल की उपलब्धि का लक्ष्य 70 लाख टन पूरा न हो। हमने रबी की फसल से उपलब्धि का लक्ष्य 20 लाख टन रखा है। तब कुल 90 लाख टन की उपलब्धि हो जायेगी। जहां तक रबी की फसल का सम्बन्ध है मुझे कोई सन्देह नहीं है कि लक्ष्य बढ़ जाय। जहां तक कृषक के हित का सम्बन्ध है, हमने रबी की फसल की प्राप्ति–कीमत निश्चित कर दी है जिसे कि उचित प्रोत्साहक–कीमत कहा जाता है और प्रयत्न किये जा रहे हैं प्राप्ति-कीमत पर जो कुछ

भी माल दिया जाता है उसे सरकारी एजेंसियों के द्वारा खरीद लिया जाय और कीमतों को उस निश्चित स्तर से नीचे न गिरने दिया जाय ।

Shri Sheo Narain : Government's policy is of state trading and procurement. Leave the question of Zones, but I want to know by what time the Government will be able to execute this policy so that whole of the foodgrains should be in their (Government) hands.

Shri Jagjiwan Ram : We will go on purchasing as it comes into the market.

Shri A. B. Vajpayee : The proposal for forming a rice-zone of four southern states is an old one. Whether that proposal was also discussed at the Chief Ministers conference and whether the Hon. Food Minister will throw some light on the reasons on the basis of which that proposal was rejected ?

Shri Jagjiwan Ram : As it has been stated in the answer to main question that so far as the question of more Zones is concerned, which are related with the Kharif crop, that will be considered at the time when the kharif crop will be ready. In the Chief Ministers Conference which was held recently only the rabi crop was considered.

श्री नीतिराजसिंह चौधरी : चने और जौ के लाने ले जाने पर से प्रतिबन्धों के हटा देने के बावजूद भी मध्य प्रदेश राज्य इन अनाजों के संचलन की अनुमति नहीं दे रहा है । रेलवे भी इस माल की बुकिंग नहीं कर रही है । मैं जानना चाहता हूं सरकार इस निर्णय को कार्यान्वित करवाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री जगजीवन राम : जैसे हमने सभा को पहले ही बता दिया है कि केन्द्रीय सरकार के आदेश का उल्लंघन करते हुए किसी भी राज्य सरकार द्वारा लगाये गये किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध को अवैध और शक्ति परस्तात् समझा जायेगा । यदि किसी दल को कोई शिकायत है तो वह उसका अपेक्षित हल खोज सकता है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि रबी के लिए किये गये मुख्य मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में खाद्य क्षेत्र प्रतिबन्धों को समाप्त करने के प्रश्न पर चर्चा की गयी थी और जहां तक क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को समाप्त करने का प्रश्न है वे सब सामान्यत: सहमत थे, यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने मुख्य मंत्रियों के परामर्श पर पालन क्यों नहीं किया है ?

श्री जगजीवन राम : सरकार ने मुख्य मंत्रियों के परामर्श और उस सम्मेलन में जो मतैक्य हुआ था उसका पालन किया है ।

Shri Amrit Nahata : It is right to keep these Zones until the country becomes self-sufficient in the matter of foodgrains, and there is a big buffer-stock with the Government ; it may be that the trading class may demand for the abolition of these Food Zones. Our states were formed on the basis of language and not on the basis of the production of foodgrains. The result is that the deficit states deal with the surplus state in such a way as if it is a fault to be surplus and all prone over that. I want to know whether the Government will consider the question of forming four or five multi-state zones in the country comprising of one or

two deficit states and one or two surplus states so that there may be a proper distribution of foodgrains in the country ?

Shri Jagjiwan Ram : As I have stated many times in the House that the Zone comprising of Panjab, Haryana, Delhi, Himachal Pradesh and Jammu-Kashmir is a Multi-State Zone.

Shri Abdul Ghani Dar : The Hon. Minister has stated in his reply to the question put by Shri Prakash Vir Shastri that they have just taken a decision in respect of zones and therefore there is no necessity to reconsider it. I would like to know whether such an assurance would be given that in Panjab where there is a good wheat crop, the farmers will get reasonable price for their produce and not below that and the Government will give full assistance to them in this respect so that the prices may not come down and the farmers would be able to get some facility who (farmers) have faced the ruinous conditions during the last two years ?

Shri Jagjiwan Ram : I have replied to this question, the agriculturist of Panjab has been at profit last year also. We will purchase whole of the quantity of foodgrains which will be placed for sale at the procurement price.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : जहां तक उपलब्धि का प्रश्न है चावल की उपलब्धि का मौसम अभी समाप्त नहीं हुआ है । लेकिन हमें समाचार-पत्रों के प्रतिवेदनों से विदित होता है कि चावलों की एक बड़ी मात्रा का विदेशों से आयात होने वाला है । यह खबर कहां तक सही है ?

श्री जगजीवन राम : क्या यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित है ?

श्री श्रद्धाकर सूपकार : जी हां, क्योंकि अनाज की उपलब्धि पर चर्चा की गयी थी, इस प्रश्न के दौरान अनाज की उपलब्धि के सम्बन्ध में पहले उत्तर दिया गया था । इसीलिए मैंने यह प्रश्न पूछा । क्या विदेशों से एक बड़ी मात्रा में चावल उपलब्ध करने की कोई योजना है, यद्यपि उपलब्धि की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है ?

श्री जगजीवन राम : जी, हां । आरम्भ से ही ऐसा प्रस्ताव है कि चावलों का कुछ आयात किया जाय क्योंकि हमारे पास चावलों की अभी भी कमी है ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, a great conflict is going on between the non-Congress Government of Madhya Pradesh and the Congress Government at the centre so far as the free movement of gram is concerned, you have stated that they have no such right and the Government of Madhya Pradesh stated that they have put no restrictions. What is the actual position in this respect and how much gram has moved from Madhya Pradesh during these days ; whether the Government have got any information in this connection ?

Shri Jagjiwan Ram : So far as the first part of the question of Hon. member is concerned, I gave a statement here in this House and the matter was made clear. When there is no licence and permit then as the Madhya Pradesh Government say, it is not possible to keep account of how much, is going out of the State.

श्री अनन्त राव पाटिल : विस्तृत उत्तरी जोन के बनने के बाद सम्बन्धित राज्यों को एक बड़ी सीमा तक लाभ पहुंचा है । इसको दृष्टि में रखते हुए मैं सरकार से जानना चाहता हूं

क्या वे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश आदि को मिलाकर एक बड़ा दक्षणीय जोन बनाने का प्रस्ताव रखते हैं ?

श्री जगजीवन राम : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं ।

Shri Jharkhandey Rai: Sir, it has been raised again and again in the Chief Ministers' Conference that the Food Zones of different states should be abolished and simultaneously the Government of India are collecting levy in both the crops from the different States in consultation with the State Governments. I want to know that under these circumstances what is the strong basis that separate Zones should be maintained in different states ?

Shri Jagjiwan Ram: I have repeated many times that these questions are considered in the Chief Ministers' Conference and the consensus that emerges there is acted upon. So far as the question of levy is concerned we have not directed any state that how the levy should be imported. We have only directed them that they should procure this much quantity of foodgrains. It depends upon them that how they will do it.

Shri Bibhuti Mishra: This Government states that if they do not form Zones, the private traders will come in. This Government puts the farmers at a loss at the name of private traders. The procurement price which the Government fix is half of the price in the free-market. I want that the Government should close the private trade in the interest of the farmers and should tell the farmers that the free-movement will remain and anybody who may like purchase the foodgrains. The Government impose levy on the farmers but do not impose on the factory owners and do not supply us cloth and other commodities at a reasonable price. I would like to know what measures the Government are considering in the interest of the farmers so that they may get reasonable price for what they produce?

Shri Jagjiwan Ram: I have stated again and again that the price which has been fixed for rabi crop this year is quite reasonable and remunerative. If anybody thinks that this price is not reasonable then he is not on the right. So far as the industries are concerned, this aspect should not be ignored that many of the industries are such, in the case of which there is a price control over whole of the production. If there is levy here it is on the little portion of production and the rest is in the hands of the farmer and he can sell it at any price he likes. But so far as the Rabi is concerned, the price of wheat which has been fixed, I think is reasonable and incentive.

Shri Kanwar Lal Gupta: As a result of this policy of the Government the prices have fallen down by about Rs. 15 to 20 per Quintal in Delhi. As a consequence the 12-13 thousand quintal of foodgrains of rationing was not purchased by anybody.

What is the future policy of the Government in regard to the rationing system in Delhi—whether informal rationing will continue or fair price shops will be opened. Is it a fact that in Haryana and Punjab procurement is being done in a haphazard manner as a result of which the prices there are coming down ? Can the Hon. Minister give a firm assurance that the Government will certainly purchase of the prices fixed by it ?

Shri Jagjiwan Ram: I am consistently saying that, but the traders have their own lobby which float canards about the sharp fall in the price and when we make enquiries we find out that nobody is prepared sell at those prices. Governments both of Haryana and Punjab are vigilant in this matter.

Formal rationing will not be abolished in Delhi, but practically all concessions have been given. That has been ratained because of the fact that imported wheat is still consumed in large quantities. At present there is no demand to abolish it completely.

श्री मनुभाई पटेल : क्या सरकार गेहूं के लाने ले जाने पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटाने पर विचार करेगी ?

श्री जगजीवन राम : जी नहीं; सरकार इस पर विचार नहीं करेगी ।

श्री लोबो प्रभु : माननीय मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय संविहित मूल्य से कम पर खरीदने के लिये तैयार है । आज के समाचार के अनुसार मैक्सीकन गेहूं का मूल्य 60 से 66 रु० प्रति क्विंटल है । क्या इसका अर्थ मैं यह समझूं कि समाहार अभिकरणों को यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ?

श्री जगजीवन राम : मैं नहीं जानता माननीय सदस्य किस मण्डी के मूल्यों का उल्लेख कर रहे हैं । किन्तु कभी-कभी कुछ मण्डियों के मूल्य केवल कागज पर ही होते हैं वास्तविक नहीं होते हैं ।

Procurement of Wheat

*1445. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the agencies in the various States through the medium of which Government procure wheat ;

(b) the cost of procurement through each agency ; and

(c) whether Government propose to bring about any change in the present arrangements so as to reduce the procurement cost ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1967-68 के दौरान केन्द्रीय सरकार के लिये गेहूं केवल पंजाब राज्य में राज्य सहकारी संभरण तथा विपणन संघ द्वारा खरीदा गया था । 1968-69 में गेहूं पंजाब में विपणन संघ द्वारा तथा खाद्य निगम, हरियाना और उत्तर प्रदेश में राज्य नागरिक संभरण विभागों द्वारा तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश में खाद्य निगम के अभिकरण द्वारा खरीदा जायेगा ।

(ख) और (ग). 1967-68 में समाहार की लागत 4.07 रु० प्रति क्विंटल थी । 1968-69 के लिये विभिन्न अभिकरणों द्वारा समाहार की लागत राज्य सरकारों और सम्बन्धित अभिकरणों से परामर्श करके तय की जा रही है । सरकार की नीति समाहार लागत को निम्नतम रखने की है ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : May I know whether at the Chief Ministers' Conference a decision was taken to have procurement only through one agency with a view to having uniform rates ?

Shri Jagjiwan Ram : It is not feasible and hence such a decision was not taken.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Has the Hon. Minister received complaints against some of the agencies suggesting their removal from those areas ?

Shri Jagjiwan Ram : We have received no complaint suggesting closure of any agency.

Shri Tulsidas Jadhav : Will the Hon. Minister hold an enquiry into the complaints that wheat is not being procured in Punjab ? Secondly, on what basis the cost of production is calculated ?

Shri Jagjiwan Ram : In Punjab procurement was done by the Co-operative Marketing Federation and the Food Corporation was not responsible for this. As I mentioned just now there is a lobby of the traders which does not want any kind of restriction. They also make propaganda. It is only when we received such reports and advised the Punjab Government to procure as early as possible that it was found out there was no such thing.

As regards the fixation of prices, I have consistently maintained that at present it is neither feasible nor desirable to work out that cost of production in agriculture on the lines followed in respect of industrial production.

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether orders have been issued to the procuring agencies to purchase only when the price falls below that fixed price and allow the traders to purchase at a price higher than the fixed price ? Secondly, are arrangements being made for on the spot payment to the cultivators is not being done at present ?

Shri Jagjiwan Ram : As a matter of course the payment should be made within 3-4 days and if possible on the spot. If the Hon. Member gives any specific instance where payment has been made after two months, we will enquire into that.

As regards the other part of the question, we are trying to bring down the prices. If the price falls we purchase whatever is available and apart from that our quantum purchase depends on the requirement also and we may purchase even at slightly higher rates.

Shri Kamal Nayan Bajaj : This year there being bumper crop in Punjab, the cultivators there are apprehending damage to their stocks because of inadequate storing facilities with them.

Shri Jagjiwan Ram : It is unrealistic to talk like that when some of the wheat is still lying in the fields. It is that we term as trader's lobby. In Punjab the new harvest has not so far arrived in the market. In Punjab the entire foodgrains are disposed off through regulated market. If the Hon. Member can cite any specific instance where the cultivator has come back with his produce from the regulated market, we will enquire into that.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : समाहार अभिकरणों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने कहा कि उन्हें सहकारी समितियों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । क्या उन्हें पता है कि

जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सम्पत्ति को हड़पना चाहता है तो उसे दुर्विनियोग कहा जाता हैं, और जब दो व्यक्ति ऐसा करते हैं तो उसे षडयन्त्र कहा जाता है और जब 10 से अधिक करते है तो उसे सहकार कहा जाता है ?

श्री जगजीवन राम : मैं अपने माननीय मित्र के किसी भी कथन को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि वे अपने तजर्बे से कहते हैं।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में समाहार मूल्यों में 100 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी क्योंकि प्रतिपक्षी मुख्य मंत्री केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाल सके हैं। किन्तु महाराष्ट्र में ज्वार के समाहार मूल्यों में केवल 10-15 प्रतिशत की ही वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त इसके परिवहन पर 5 से 10 प्रतिशत तक व्यय आ जाता है और 5 प्रतिशत ज्वार सूख जाती है। गेहूं और ज्वार के समाहार मूल्यों में इतनी असमानता क्यों है ?

श्री जगजीवन राम : गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष गेहूं के मूल्यों में वृद्धि नहीं की गई है। वास्तव में उत्तर प्रदेश जैसे कुछ क्षेत्रों में इसमें कमी की गई है।

जहां तक दबाव डालने की बात है इसका प्रश्न ही नहीं उठता। मूल्य राज्य सरकारों के परामर्श से निश्चित किए जाते हैं। महाराष्ट्र के मामले में हमने वहां की सरकार द्वारा मूल्य बढ़ाने का विरोध नहीं किया है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : उन्हें उनको बढ़ाने के लिए कहना चाहिए था।

श्री जगजीवन राम : मुझे उन्हें बढ़ाने के लिये क्यों कहना चाहिये ?

Shri Shiv Charan Lal: At present wheat is being procured at the rate of Rs. 75 per quintal while during the sowing season the same is supplied to them at almost the double rates which is not proper. May I know the price at which Government propose to supply them the seed during the sowing season and whether Government propose to fix a 16 per cent limit for the price fluctuation?

Shri Jagjiwan Ram: The Hon. Member fully well knows that one maund of wheat does not yield only one maund of produce but many times over.

Shri Prem Chand Verma: The Hon. Minister just now stated that in Punjab the overhead charges for procurement comes to Rs. 4.07 per quintal. But in Himachal Pradesh the price charged from the consumer is Rs. 20 to 30 more than the procurement price. Do Government propose to have a machinery as would enable to purchase them wheat at reasonable price?

Shri Jagjiwan Ram: What I quoted was the procurement price and that does not include the transport charges, interest on the capital etc. etc. All these expenses have to be borne by the consumer.

Shri O. P. Tyagi: Is it a fact that during the Rabi season buffer stock was not made and there are apprehensions that during the Kharif season also it will not materialise. Will Government intensify its procurement efforts and exceed the targeted figure?

Shri Jagjiwan Ram: I have given an answer to these two questions while replying to Professor Ranga's question a bit earlier.

Shri Balraj Madhok: It is true that the prices in Punjab will not be allowed to fall below the procurement price but we have a bumber crop in the Punjab this year and about 8 lakh tons of foodgrains are expected to be procured. Since this good crop is the result of new variety of seeds, I want to know whether arrangements would be made to store this new variety of seeds so that the farmers get the required quantity of this good variety of seeds at reasonable rates at the time of sowing, and that they are not put to purchasing this seed at a high price of Rs. 5/- per Kilogram?

Shri Jagjiwan Ram: There are a number of varieties of seeds which are easily available even more than the requirement. But some difficulty is experienced in regard to the availability of only those seeds on which some experiments are being carried out by our Scientists who have not yet reached a stage which may permit the release of these seeds to the farmers. But since the interested farmers come to know that some experiment is being carried out on some seeds, they become impatient to get them, and go to the extent of purchasing those progressive seeds even at the rate of Rs. 100/- or Rs. 150/- a quintal. However, we have taken necessary steps in regard to the release of those seeds which have been given clearance by the Scientists and those will be made available to the farmers.

बिहार तथा पश्चिम बंगाल में रबी की फसल वाली भूमि

*1451. **श्री वेणी शंकर शर्मा:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल तथा बिहार में गत रबी सीजन तथा इस रबी सीजन में कितनी एकड़ अतिरिक्त भूमि में गेहूं तथा अन्य रबी फसलें बोई गई थीं ;

(ख) उसमें से कितनी एकड़ भूमि में सिंचाई की समुचित सुविधाएं उपलब्ध थीं और कितनी एकड़ भूमि प्रकृति (वर्षा) पर निर्भर थी ; और

(ग) उन क्षेत्रों में, जहां अच्छी फसल का होना वर्षा पर निर्भर होता है सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-1025/68]

Shri Beni Shankar Sharma: The Hon. Minister is aware that Bihar and West Bengal were the rice-eating States, but owing to the Government's policy of begging and borrowing foodgrains, these States have now developed the habit of eating wheat and grams. Now if even wheat can also be produced to the fullest capacity in the soil where rice used to grow, the foodgrain problem in our Bengal and Bihar can be solved very well. But it appears from his statement that only 19% and 16% area of Bihar and West Bengal respectively, has been irrigated and only that much could be done. I would like to know from the Hon. Minister that since the people in Bengal and Bihar have now learnt to eat wheat and grams,

whether he would kindly arrange for adequately irrigating whole of the cultivable land in order to grow wheat and grams there ?

Shri Jagjiwan Ram : The Hon. Member will be happy to know that there has been a very good crop of wheat in a large area in Bihar which was known to be a rice-producing area. So far as grams are concerned, Bihar has been producing a very good crop of grams since quite long. Quick arrangements are being made at many places to produce not only one but more than one crops a year. The more quickly the Bihar Government acts, the more help it will get from us.

Shri Beni Shankar Sharma : It is a matter of pleasure that our farmers are now producing two or three crops a year. When I visited my constituency (Banka) recently, I saw that the farmers there were sowing Tai-Chung variety of rice wherever irrigation facilities were available. I had never seen rice in the fields in such a season and I was very happy to find that rice had been sown there and I could see such a greenary which had never been seen before. So, will the Hon. Minister please make arrangements to provide the farmer with more water for irrigation as this can enable our farmers to grow three crops a year ? It is only the water, that matters. I have been persistently requesting, and once again request the Hon. Minister to any-how get enough funds sanctioned by his cabinet and arrange for water at least. Since he himself comes from Bihar, we are proud of him. But in reply to Q. No. 1440, he has just now told that eight thousand private tube-wells and 70 State tube-wells are being installed in Bihar. When U. P. is getting 570 tube-wells and West Bengal 450, then why is this step motherly treatment with Bihar whom you are giving only 70 tube-wells ?

Shri Jagjiwan Ram : I don't know how does the Hon. Member recollects the step-mother. It has always been the procedure there that Bihar would be able to get as much loan from the Land Development Bank as its capacity to spend and also as is the curiosity in the farmers.

सरकारी उपक्रमों में प्रोत्साहन मजूरी

*1452. **श्री रवि राय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए प्रारम्भिक अध्ययन से यह पता चला है कि जहां पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रोत्साहन मंजूरी देना आरम्भ किया गया है वहां उत्पादन बढ़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि 19 अप्रैल, 1968 को हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रधानों के सम्मेलन में इस समस्या पर विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) से (ग). इस प्रश्न पर 19 अप्रैल, 1968 को हुई सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बैठक में श्रम ब्यूरो के निदेशक को, जिन्हें आवश्यक सूचना एकत्र करने के लिए कहा गया है, कुछ आधार सामग्री उपलब्ध कराए जाने के बारे में उनकी सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से विचार-विमर्श किया गया। सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के प्रधान इस प्रस्ताव से सहमत हो गए हैं।

मैं यह भी बता दूं कि अप्रैल मास में भी जानकारी एकत्रित की गई थी परन्तु वह अधिक वैज्ञानिक नहीं थी ।

Shri Rabi Ray: When the Hon. Minister admits that the productivity in Public Undertakings increases if such an incentive is given, then, I want to know whether there had been certain discussion on this issue in the last Indian Labour Conference? If so, what decissions were taken?

Shri Hathi: This issue was not discussed; however, a decision was taken in regard to increasing productivity in each industry.

Shri Rabi Ray: Index for cost of living has been prepared on the basis of production; so, may I know as to which year's living index has been taken as the basis?

श्री हाथी : इसका सम्बन्ध उत्पादकता से है और यदि यह प्रोत्साहन-योजना कर्मचारी को प्रदान की जाती है तथा यदि वह अधिक उत्पादन करता है तो उसे अधिक लाभ होगा । उद्देश्य यह है कि पहले तो मूल-वेतन नियत किया जाए तथा फिर अधिक उत्पादन के अनुसार प्रोत्साहन के रूप में, उसके वेतन के एक भाग को रहन-सहन की लागत के रूप में जोड़ दिया जाय । इन तीनों को मिलाकर वेतन बने तथा इसी अभिप्राय से हम यह पता लगाना चाहते हैं कि कहां यह प्रोत्साहन दिया जाय तथा कितना दिया जाये । इसके लिए कुछ आंकड़े एकत्रित करने पड़ेंगे तथा इसीलिए हमने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों को कहा है कि जहां ऐसे वैज्ञानिक आंकड़े एकत्रित हो सके हैं, वे श्रम-आयोग को प्रेषित कर दिये जायें । यह उन्होंने स्वीकार कर लिया है ।

Shri Rabi Ray: Will you place the collected data on the Table?

Shri Hathi: It is yet to be collected.

Shri George Fernandes : If this incentive-scheme is yet to be implemented, may I know whether the Hon. Minister will assure that it will be implemented after due consultations with the labour-unions and after their agreeing to it; and that he will consider it from production point of view only, without going into the details whether certain union is a recognised one or not?

श्री हाथी : वास्तव में यही बात मैंने पहले कही थी और इस योजना पर चर्चा करने से पहले श्रम-संघों को अवश्य ही विश्वास में लिया जायेगा ।

Shri George Fernandes: My second point is whether the point of their being recognised or not will also be.....

श्री हाथी : जैसी भी योजना होगी मजदूरों को विश्वास में रखा जायेगा ।

श्री क० नारायण राव : अध्यक्ष महोदय, इन तमाम वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम आलोचना का विषय रहे हैं । इस दृष्टि से तथा इस तथ्य की दृष्टि से भी कि इस आलोचना के बाद भी उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है, क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या वह इस

पर विचार करेंगे कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से यह भ्रष्टाचार निकालने के लिये लाभ के बंटवारे में मजदूरों को भी शामिल करना उत्तम होगा ?

श्री हाथी : वस्तुतः यह नहीं, परन्तु पिछले भारतीय श्रम सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्धों को अच्छा बनाने में अधिकाधिक सुधार कैसे हो सकता है। तथा दोनों पक्षों का एक दल इस बारे में पड़ताल करे।

Shri Mohd. Ismail : The Heavy Engineering corporation, Ranchi, manufactures machines. I have heard that some study team has been constituted in regard to production there. I want to know whether it is true or not ; if not, whether you are planning to formulate any incentive scheme ; and whether you have issued any instruction in this behalf?

Shri Hathi : At present, it is the question of collecting data. For this, we have asked for a data from there also, and it is only after receiving the same, that we can say anything.

श्री शान्तिलाल शाह : क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि ये प्रोत्साहन-योजनायें किसी मजदूर के वेतन पर बुरा प्रभाव डालने अथवा किसी अन्य से छुटकारा पाने के लिये प्रयुक्त नहीं की जायेंगी ?

श्री हाथी : किसी मजदूर से छुटकारा पाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सवाल तो यह है कि जितना अधिक वे उत्पादन करें उतना ही अधिक उन्हें लाभ हो तथा उन्हें मूल वेतन, रहन-सहन का भत्ता मिले तथा इसके अतिरिक्त यदि प्रोत्साहित होकर अधिक उत्पादन करें तो और भी कुछ मिले। यही उद्देश्य है।

श्री रंगा : इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि मंत्री महोदय ने हमें यह समझाया है कि प्रोत्साहन-योजना का क्या अर्थ है तथा इसकी क्या सीमायें हैं। नन्दाजी और पंडित नेहरू के समय से भी ये लोग मजदूरों द्वारा इस तथाकथित एवम् कपो-कल्पित लाभ में भाग लेने अथवा साझेदार होने और इन प्रोत्साहन-योजनाओं में सम्मिलित होने की बातें करते आ रहे हैं। इस मामले के अध्ययन में प्राप्त-तथ्यों को छांटने में और स्वयं ही इस बात के लिये निर्णय करने में कि यह प्रोत्साहन-योजना दूसरों के लिये आदर्श संस्थान इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कहां, किस सीमा तक तथा कैसे ढंग से लागू करनी चाहिये, सरकार क्यों इतने वर्ष नष्ट कर रही है ?

श्री हाथी : विभिन्न उद्योगों को भी ध्यान में रखना होगा। ऐसा तो नहीं है एक ही प्रोत्साहन-योजना सब जगह काम दे जाये। यह तो प्रत्येक उद्योग पर निर्भर करता है क्योंकि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न परिस्थितियां हैं, उत्पादन के ढंग भिन्न हैं, तथा इसमें समय लगता है।

श्री दी० चं० शर्मा : युगोस्लेविया से हमारे बड़े अच्छे सम्बन्ध हैं और जहां तक मैं जानता हूं, किसी भी प्रजातंत्र देश अथवा अन्य देश की तुलना में युगोस्लेविया में यह प्रोत्साहन-योजना सबसे अच्छी तरह काम कर रही है। तो क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में युगोस्लेविया के प्रयोग पर विचार तथा उस पद्धति पर

प्रयत्न कर सकते हैं ताकि इन तथाकथित प्रबन्धकों और अध्यक्षों का, जिनको सरकारी उपक्रमों के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं लाभ में उतना ही भाग हो जितना कि मजदूरों का हो ?

श्री हाथी : मैंने उस योजना का अध्ययन नहीं किया है । अतः मैं कुछ नहीं कह सकता ।

Shri Deven Sen: I want to know whether this incentive-scheme will be applicable to all categories of workers or only to some of them?

Shri Hathi: There is no question of applying that just now. The point is how to collect data, and not whether it will be applied to all or a few of them.

Distribution of Chemical Fertilizers in U. P.

*1453. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the amount of grant given to the Government of Uttar Pradesh by the Central Government for the distribution of chemical fertilizers has been reduced from Rs. 57 crores in 1966-67 to Rs. 19 crores in 1967-68;

(b) if so, the extent of increase in the price of chemical fertilizers as a result of this reduction ;

(c) whether it is also a fact that the price of ammonium sulphate has been increased from Rs. 405 to Rs. 492 per quintal ; and

(d) the action taken by Government to bring down the increase in prices to enable the farmers to produce more foodgrains ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram): (a) to (d). The Central Government do not give any grants to the State Governments for the distribution of chemical fertilizers. They, however, grant short-term loans to them for fertilizer marketing and for fertilizer distribution. The amount of the short-term loan given to U. P. Government during 1967-68 was much more than the amount sanctioned during 1966-67; during 1967-68, an amount of Rs. 11.99 crores was sanctioned as short-term loan for fertilizer marketing and Rs. 9 crores for taccavi for fertiliser distribution as against Rs. 1.95 crores sanctioned for the former and Rs. 2.00 crores for the latter during 1966-67.

It is true that the retail (maximum) selling price of Ammonium Sulphate was increased from Rs. 405/- per metric tonne to Rs. 492/- per metric tonne (and not per quintal as mentioned in the Question) with effect from the 1st April, 1967 and with effect from the 1st April, 1968, the price has been further raised to Rs. 502/- per metric tonne. Even at the revised level of prices in 1967-68, the Central Fertiliser Pool was partly subsidising the sale of fertilizers and is expected to suffer a loss in that year. The exact position is, however, not known as the accounts for the year have yet to be finalized and audited. Slight increase in the retail prices of Ammonium Sulphate, Urea and Muriate of Potash has been made during 1968-69 to ensure that the Pool operations do not result in a loss.

In view of the greater out put per acre given by the exotic and hybrid varieties of seeds introdued in recent years, the farmers have so far found it profitable to use fertilizers even at the current prices. Several large fertilizers factories are coming up in different parts of the country which would increase the availability of fertilizers. As these factories are expected to

produce fertilisers at a lower cost, the prices may come down after a number of new factories go into production.

Shri Molahu Prasad : The Government, in the statement has told that the retail selling price has been increased from Rs. 405/- to Rs. 492, and w.e.f. from 1st April, 1968, to Rs. 502/- per metric ton. In this context, I want to know from the Hon. Minister as to what is the cost as well as the selling price per metric ton of fertilizer whether produced in private sector or public sector. Details may please be given in this regard.

Shri Jagjiwan Ram : I have nothing more to add to what I have stated just now.

Shri Molahu Prasad : I had asked about production cost of fertilizer produced in private and public sectors, and also the selling price. I don't know when did the Hon. Minister tell about it. This information should be provided.

Shri Jagjiwan Ram : I have told about the foodgrain. If the Hon. Member wants to know about fertilizer, then, it does not rise out of it. Answer can be given to him about this also if he gives notice thereof.

Shri Molahu Prasad : The Hon. Minister has said in his statement :

"In view of the greater output per acre given by the exotic and hybrid varieties of seeds introduced in recent years, the farmers have so far found it profitable to use fertilizers even at the current prices."

In this context I want to know whether it is not a fact that only one per cent of farmers or those who have adequete arrangements of irrigations, can get and use these new varieties of seeds and if it is true, whether Government is trying to provide the ordinary farmers with fertilizers at a cheaper cost ?

Shri Jagjiwan Ram : So far, the requirements of even well irrigated areas, and the farmers, who want to sow new varieties of seeds are not being fulfilled inspite of our importing fertilizers from outside. They do not get enough fertilizer. It is true that other farmers are not getting enough fertilizer.

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : खाद का वितरण तो राज्यों द्वारा किया जाता है परन्तु खाद्यान्न के अधिक उत्पादन की चिन्ता केन्द्र सरकार को रहती है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि विभिन्न राज्यों, विशेषकर गुजरात में, सहकारी संस्थाओं द्वारा जो नाइट्रोजन खाद वितरित किया जाता है वह किसानों तक नहीं पहुंचता तथा क्या वह राज्यों को यह सलाह देने पर विचार करेंगे कि नाइट्रोजन खाद न केवल सहकारी संस्थाओं द्वारा ही नहीं बल्कि ... ...

अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रदेश से अब माननीय सदस्य अन्य राज्यों की भी बात चलाने लगे हैं।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : सब राज्यों के बारे में यह एक सामान्य प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्यवश मुख्य प्रश्न उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है।

Shri Maharaj Singh Bharati : The Hon. Minister has stated in his statement that when the production increases, the prices will come down. As regards Potash-manure, you will always have to import it. There is, therefore, no question of prices coming down. You will not have any control of prices over 70% of manure which will hereinafter be produced in the factories. So you understand that the prices will come down when production increases? Do you think that you are going to produce more than the requirement?

Shri Jagjiwan Ram: I don't claim that we are going to produce more than the demand since it will go on increasing as fast as the new varieties of seeds and water will be available to the farmers. There is no doubt about it that our per capita consumption is the best in the world, but from the schemes in hand, about establishing various factories, it appears that when these factories start functioning, the prices will comparatively come down.

भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण

+

*1455. **श्री शिवचन्द्र झा :**

श्री काशी नाथ पाण्डे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली योजना अवधि के बाद से भारतीय कृषि अधिक वाणिज्यिक हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में वाणिज्यिक फसलों की वर्तमान प्रतिशतता कितनी है और पहली योजना के आरम्भ में कितनी थी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-1026/68**]

Shri Shiva Chandra Jha : I want to know whether this increase in the commercial crops has been at the cost of foodgrains or it is got on account of preparing new land ?

Shri Jagjiwan Ram : This too has happened at a few places and a bit of foodgrain area got reduced ; but some increase has been achieved by means of this new method also. There has, however, been some effect on foodgrains.

Shri Shiva Chandra Jha : A trend of commercialisation has set in which created Kulaks in Russia and a similar wave of kulkisation is going on here also. I want to know whether it is true or not ?

Shri Jagjiwan Ram : It is true that the rich farmers in the countryside are getting more benefits from this new method and the poor farmers are not able to get it. It is also true the benefits of new varieties of seeds and chemical fertilizers went only to those who had resources.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या सरकार को ज्ञात है कि वाणिज्यिक फसलों तक के मामले में भी हमारी अर्थ-व्यवस्था इतनी कमजोर है कि खाद्यान्न के मुकाबले में ही नहीं

बल्कि खाद्यान्न के साथ-साथ वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में भी काफी वृद्धि करने की गुञ्जाइश है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये क्या सरकार वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहित न करके कृषि को ही एक उद्योग के रूप में मान्यता देने के बारे में वाणिज्यिक सिद्धान्तों को स्वीकार करने तथा इसे ऐसे ही मानने का विचार करती है ?

श्री जगजीवन राम : यही विचारधारा चल रही है । कृषि की इस नई पद्धति में हम इसे केवल निर्वाह करने के स्तर से उठाकर वाणिज्यिक अथवा लाभकारी स्तर पर ला रहे हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether the Hon. Minister is going to adopt the same policy in regard to crops as he had adopted for foodgrains ? It so happens that when these crops come in the market, the big dealers purchase them at cheaper rates and, later on, sell them at very high rates ; and thus make high profits. Are you going to formulate certain specific policy so that these dealers get less profit and the agriculturists are able to get proper or more prices ?

Shri Jagjiwan Ram : We always think for such arrangements that may fetch the farmers the fixed prices through the co-operatives or Commodity Corporation and that the dealers do not make undue profits by purchasing the foodgrains at the time of harvest.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : वाणिज्यिक फसलों में तो खाद्यान्न की दरों में भारी असंतुलन होने के कारण, विशाखन हो जाने की भारी सम्भावना है जैसा कि अभी हाल ही में गन्ने के बारे में हुआ । क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिससे कि वाणिज्यिक फसलों तथा खाद्यान्नों में यथानुसार स्थिरता बनाये रखी जा सके । ताकि यह विशाखन न हो सके जोकि हमारे तमाम उत्पादन-सामर्थ्य को प्रभावित करता है ।

श्री जगजीवन राम : इस सम्बन्ध में लगातार प्रयोग किये जाते हैं ताकि हम इन विभिन्न कृषि-पदार्थों के मध्य मूल्यों की समानता जैसी कोई चीज स्थापित कर सकें । परन्तु मैं यह दावा नहीं करता कि अब तक इसका कोई बहुत ही संतोषजनक हल निकाल लिया गया है ।

भारतीय खाद्य निगम

*1456. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में भारतीय खाद्य निगम ने कितने देशी तथा आयातित, अलग-अलग, खाद्यान्नों का क्रय-विक्रय किया ;

(ख) उपरोक्त अवधि में इस संगठन पर कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) खाद्यान्न के क्रय-विक्रय आदि पर उनके वितरण के समय तक निगम ने उपरि व्यय कितना किया तथा उसमें से उपभोक्ताओं से कितनी राशि वसूल की गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने वित्तीय

वर्ष 1967-68 में खाद्यान्नों की निम्नलिखित मात्राएं सम्भाली थीं :

	(आंकड़े लाख मीटरी टन में)
(1) देशी	30.6
(2) आयातित	25.0

(ख) 1967-68 के अस्थायी आंकड़ों के आधार पर लगभग 541 लाख रुपये ।

(ग) वर्ष 1967-68 के लिये निगम के ऊपरी खर्चे (अर्थात् प्रशासनिक प्रभार, ब्याज, मिलिंग, हैण्डलिंग प्रभार और भाड़ा) राज्य सरकार के नामितों को खाद्यान्न देने की अवस्था तक अनुमानतः लगभग 5 रुपये प्रति क्विंटल बैठते हैं । निगम उपभोक्ताओं को परचून में खाद्यान्न नहीं बेचता है । उपभोक्ताओं से ली जाने वाली खुदरा कीमत सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है और यह कीमत सभी स्रोतों से प्राप्य खाद्यान्न जिनमें आन्तरिक खरीदारी शामिल है और राज्य सरकार के खाते में प्रशासनिक प्रभार, खुदरा व्यापारी को अनुमेय लाभ और स्थानीय कर, यदि कोई हो, को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है ।

Shri Prem Chand Verma : Is it true that the administrative expenditure of the Food Corporation is also included in it ; if so, what action is being taken to reduce this expenditure ? The administrative expenditure on the Road Corporation has been talked about in the press and certain other reports, and it has been pointed out that it is too much as also that the work of this Corporation has not come upto the expectations. Will the Hon. Minister initiate any action in this behalf ?

Shri Jagjiwan Ram : It is always reviewed and as far as the information goes, the administrative expenditure is not too much. Sometimes it is more when less foodgrains are received. But, as I said, in view of several specific items it can not be claimed as much.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Detention of Lucknow-Delhi Mail due to 'Tazia'

+

अ० सू० प्र० संख्या 25. **Shri Mahant Digvijai Nath :** **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Arjun Singh Bhadoria : **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Lucknow-Delhi Mail scheduled to reach Delhi Station at 9.00 A. M. reached there at about 3.30 P. M. on the 10th April ; 1968 ;

(b) whether the train was detained as a result of 'Tazia' being placed on the Railway track ;

(c) whether Government have investigated the matter and if so, the outcome thereof ; and

(d) the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri R. L. Chaturvedi) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). On the night of 9th April, 1968, at about 22·00 hours, some Muharram processionists carrying 'Tazias' wanted to cross the railway track at a level crossing of Moradabad. As the size of one the 'Tazias' was such that it could not be passed under the overhead communication wires of the Railway, the processionists insisted on the wires being cut for the passage of the procession and did not allow trains to pass through the level crossing. As the maintenance of law and order is a matter for the local civil authorities, the matter was duly brought to the notice of the district authorities of the U. P. Government. The latter authorities ordered the cutting of the wires in question, and they had to be cut at 05.20 hours on 10-4-68. This led to the suspension of train services till the morning of 10-4-1968 and consequent detentions to a number of trains for periods ranging from half an hour to about seven hours.

Shri Mahant Digvijai Nath : The former Food Minister of U. P. and the sitting Member of Parliament Shri Jharkhande Rai was also travelling by the same train in which I was travelling. When the train kept standing at Rampur station, it was told that the 'Tazia' had been placed on the railway lines. That was the occasion of Ardh- Kumbh in Haridwar. As far as I know, 18 trains including goods, mail and passengers trains, were stopped on account of it. These trains were not permitted to leave the station until the wires were cut down. My point, in asking this question, is that this incident is a chain to so many other incidents which are taking place in the name of communal riots. I want to know whether any "Tazia" of this size or of smaller or bigger size, was always placed there near the cattle pond in Moradabad. Also I want to know whether old, or new wires were netted on that railway track, if those were old, how the 'Tazia' was taken away every year, and under what circumstances were the orders given to cut down the wires ; and also whether the responsibility of cutting the wires rests with Railway officials or of the Central Home Ministry ?

Shri R. L. Chaturvedi : The Hon. Member's first question is whether the 'Tazia' was placed on the Railway lines for the first time. I may submit in this connection that it was the first occasion. His second question is whether the wires were the same as before and at the same height. So, I can only say in this regard that some alightment was done perhaps in 1967 and therefore there might have been some difference in the height, I cannot say anything exactly correct.

Shri Mahant Digvijai Nath : Who is responsible for the inconvenience delay and, resultantly the mental torture as well as financial loss caused to thousands of people owing the passenger and goods train being late for hours together ?

Shri R. L. Chaturvedi : The Hon. Member knows it that everybody has to share the inconvenience when such things happen. There is no doubt that many people were travelling as that was the occasion of "Ardh Kumbh." What else can I say now except that I regret that they were put to inconvenience ?

Shri Hukam Chand Kachhwai : Is it true that this "Tazia" was deliberately placed on the railway line under a well planned scheme to play mischief and creat trouble ? Has the Railway Administration taken any action against the persons responsible for it ; if not, what are the reasons therefor ? May I know whether the Government has taken any account

for the people's inconvenience and loss caused owing to the trains being late and the wires being cut ?

Shri R. L. Chaturvedi : The Hon. Member has asked whether this Tazia was placed there in a well organise way and under a preplanned scheme. I am not in a position to say anything in this regard. The local authorities must be knowing more about it. I have stated what I knew.

Shri Hukam Chand Kachwai : It is regrettable that the Hon. Minister has not been able to collect the information although the notice was given on the 11th April.

Shri R. L. Chaturvedi : We have given the information to the local authorities and they have taken the necessary action.

Shri Hukam Chand Kachwai : Has any action been taken against those persons and any enquiry held into this matter ?

Shri R. L. Chaturvedi : In such a situation the primary duty of the Railways is to apprise the local authorities as they are responsible for maintaining law and order. Railways cannot take any action **suomotu.**

Shri Hukam Chand Kachwai : Have Railways taken any legal action in the matter ?

Shri R. L. Chaturvedi : Our legal action is limited to the extent of informing the District authorities.

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ।

श्री सोहन लाल चतुर्वेदी : गिरफ्तारियों के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

Shri A. B. Vajpayee : Placing of Tajia or any other thing obstructing the movement trains is an offence under the Railway Act. Railway Police can itself proceed in such cases. Why the Railway Police did not take action ?

Shri R. L. Chaturvedi : Railway Protection Force has nothing to do with it. In such cases the Railway has to report the matter to the District authorities.

Shri Jharkhande Rai : May I know whether these Tajias were placed on the line or on the road besides the Railway track ?

Shri R. L. Chaturvedi : I cannot say with certainty whether they were placed exactly on the line or away from it, but this much is sure that the Railway track was blocked.

अध्यक्ष महोदय : ध्यान आकर्षण सूचना । श्री रवि राय ।

श्री बलराज मधोक : श्रीमन्, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब तक मैं उनको बुला चुका हूं ।

श्री बलराज मधोक : मैं विरोध प्रकट करता हूं । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं देते । भारत सरकार की इस साम्प्रदायिक नीति तथा जिन

लोगों ने ऐसा किया है मैं उनके विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करता हूं। संसार में कभी ऐसी बात नहीं हुई है।

श्री सोहन लाल चतुर्वेदी : यह अपनी-अपनी राय का मामला है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच करार

*1437. **श्री चित्ति बाबू** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी की सहायता से कलकत्ता में एक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में 26 मार्च, 1968 को एक करार पर भारत तथा पश्चिमी जर्मनी ने हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सहायता किस रूप में दी जायेगी ;

(ग) समूची योजना पर कितना धन व्यय होगा ; और

(घ) इस संस्था का उद्देश्य क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम जर्मनी की सरकार से प्राप्त सहायता, सलाहकार, अधिवृत्ति और प्रशासन के रूप में होगी।

(ग) लगभग इक्यासी लाख रुपये।

(घ) व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी अनुसंधान करना, प्रशिक्षण के लिए साधन तैयार करना, केन्द्र तथा राज्यों में दस्तकारी प्रशिक्षण से सम्बन्धित अधिकारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था करना तथा भारतीय उद्योगों को औद्योगिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित सभी मामलों में सलाह देने हेतु सुविधा जुटाना, संस्थान का कार्य होगा।

भारत सेवक समाज

*1438. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारत सेवक समाज के संयुक्त सचिव श्री एस० एस० सिंह के हाल के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्ष 1965-66 तक सरकार ने समेकित लेखे नहीं मांगे थे ; और

(ख) यदि हां, तो जी० एफ० आर० के उपबन्धों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) यह मामला कि सामान्य वित्त नियम 149 (3) में अनुदानग्राही संस्थाओं के लेखों का वार्षिक समेकित विवरण अपेक्षित था, लोक लेखा समिति (तीसरी लोक सभा) की 34वीं रिपोर्ट के प्रसंग में सामने आया । सरकार तथा भारत सेवक समाज दोनों ने इसकी जांच की थी और पूर्वव्याप्ति सहित इसे स्वीकार किया था ।

Installation of Public Telephones in Ramakrishnapuram

*1439. **Shri Yashpal Singh**
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a some shopkeepers of Ramakrishnapuram, New Delhi, have sent applications for installation of public telephones ;

(b) if so, the number of applications received and the dates of their receipt ; and

(c) the reasons for not taking any action on them ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) 37,17 received upto March, 1967.
20 in 1967-68.

(c) Non-availability of capacity in the exchange and coin collecting box instruments.

Tube Wells to be Constructed in the Country in 1968

*1440. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of new tube-wells proposed to be constructed in the country during the year 1968-69 according to the target fixed therefor ;

(b) the amount of financial assistance proposed to be provided to each State for the construction of tube-wells ; and

(c) the total area of land in terms of acres that is likely to be irrigated by them ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : (a) to (c). A Statement is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-1027/68]**

Procedure for Allotment of Telephones

*1441. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have adopted any new procedure for the allotment of telephones ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether any facility has been provided to men of ordinary means under the new procedure ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The existing rules of allotment have been modified to some extent.

(b) In the revised rules of allotment of telephones, the OYT Scheme has, further, been extended to all stations having installed capacity of 1000 lines or above with effect from 1.1.68. Further, whenever the exchange capacity of a station reaches 1000 lines, OYT Scheme will be introduced at that station. At stations where OYT was in vogue in a relaxed form, this has been discontinued from 1.1.1968. The apportionment of exchange capacity available for allotment has been divided as below:

Category	At stations OYT operative before 1/1/68.	At stations OYT introduced with effect from 1/1/68.
OYT	70%	50%
Special	15%	20%
General	15%	30%

At non-OYT stations the apportionment will be as below:

General	..	80%
Special	..	20%

(c) Yes, Sir.

(d) In the earlier rules of allotment there was no reservation for providing telephone connections under 'General' category. Now a reservation of 15% at stations where OYT was operative before 1/1/68 and 30% where OYT has been made operative w. e. f. 1/1/68, has been made. At Non-OYT stations the earlier allocation of 70% for 'General' category has been raised to 80%.

चीनी का नेपाल से चोरी छिपे लाया जाना

*1443. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल से बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके बड़ी मात्रा में भारत में चोरी छिपे चीनी लाई जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह चीनी खुले बाजार में दी गई चीनी के कारखाना मूल्य से भी कम मूल्य पर बेची जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि भारतीय अथवा नेपाली चीनी के अलावा, नेपाल से भारत में चीनी के सीमा पार संचलन अथवा वह किस भाव पर बेची जाती है, के बारे में सही सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, उन्होंने जिला प्राधिकारियों को होशियार कर दिया है कि भारतीय अथवा नेपाली चीनी को छोड़कर किसी अन्य चीनी के सीमा पार संचलन को रोका जाये।

Import of Edible Oils

*1444. **Shri Shashibhushan Bajpai**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the impact of the import of edible oils from abroad on the oil production and agriculture in the country;

(b) whether farmers would get less price for groundnut and other commodities from which oil is extracted because of such import; and

(c) if so, the action taken in the matter?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram): (a). Import of edible oils during 1965-67 merely supplemented the reduced availability of indigenous oils due to fall in production resulting from drought conditions in those years.

(b) The prices of groundnut and other oilseeds had reached excessively high levels during the aforesaid years. They started coming down in the latter part of 1967 in anticipation of a good crop of groundnut and other oilseeds.

(c). Does not arise.

कृषि आयोग

*1446. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 28 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 914 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आयोग की स्थापना की जा चुकी है और यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं और उसके विचारणीय विषय क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (ग). मामाला अभी विचाराधीन है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग

*1447. **श्री स० मो० बनर्जी:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दिये जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या यह आयोग जल्दी ही कोई अन्तरिम प्रतिवेदन देगा; और

(ग) यदि हां, तो कब?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा दिसम्बर, 1968 के अन्त तक रिपोर्ट दिये जाने की आशा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुंघेर डाकघर में बेकार पड़ी मशीनें

*1448. **श्री मधु लिमये** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के मुंघेर डाकघर में बेकार पड़ी लाखों रुपये की मशीनों के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या उस पत्र में ट्रंककाल व्यवस्था आदि के बारे में भी शिकायतें हैं ;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और इस शिकायत पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां। दिनांक 2 अप्रैल, 1968 को एक शिकायत प्राप्त हुई है। वह स्वचल केन्द्र उपस्कर को विलम्ब से प्रयोग में लाने से सम्बन्धित है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) इसकी इमारत बनाने में देरी हो जाने के कारण स्वचल केन्द्र उपस्कर को प्रयोग में न लाने की स्थिति के बारे में सरकार को जानकारी थी। इसी दृष्टिकोण से जनवरी, 1968 में उपस्कर का देवगढ़ को स्थानान्तरण करने के लिए मंजूरी दी गई। उपस्कर का स्थापन-कार्य अब वहां चालू है। जहां तक मुगेर का सम्बन्ध है इमारत बनाने के कार्य में शीघ्रता बरती जायेगी और देवगढ़ उपस्कर जिसकी बाद में प्राप्ति होने की सम्भावना है, इसके स्वचलीकरण के लिए प्रयोग में लाया जायेगा।

ट्रंक-काल के सम्बन्ध में पटना और मुंगेर के बीच ट्रंक लाइन जिस पर मुंगेर के पूरे परियात का पारगमन किया जाता है, अक्सर तांबे के तारों की चोरियां हुई हैं, जिससे ट्रंक-काल में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इस लाइन को एलम्युनियम संवाहक स्टील का झाल लगा मजबूत तार (ए० सी० एस० आर०) में बदलने के लिए जांच की जा रही है।

Sales Tax on Vegetable Seeds in Delhi and U. P.

*1449. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the reasons for raising Sales Tax on vegetable seeds in the Capital ;

(b) whether Government have any proposal to withdraw it ; and

(c) whether it is also a fact that from the 1st April, 1968, Sales Tax has been raised on some seeds in U. P. and if so, the reasons therefor ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : (a) to (c). The information is being collected from the concerned States and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received.

तटीय समुद्र में बड़ी संख्या में पाई जाने वाली मछलियां

*1450. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में विभिन्न क्षेत्रों के तटीय समुद्र में बड़ी संख्या में पाई जाने वाली मछलियों को पकड़ने की क्या योजनायें हैं ;

(ख) उक्त अवधि में इन स्थानों से कितनी मछलियों को निर्यात किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या मछली उद्योग में कुछ निहित स्वार्थ तटीय समुद्र में बड़ी संख्या में पाई जाने वाली मछलियों को पकड़ने में रुकावट बन रहे हैं, जहां भविष्य में बड़ी संख्या के मछलियों के मिलने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजनाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है :

(1) मछली पकड़ने की छोटी नावों का यान्त्रिकरण करना ;

(2) मछली पकड़ने की बड़ी नावों की सहायता से समुद्रतट से दूर मछली पकड़ने के कार्य को बढ़ावा देना ;

(3) लकड़ी की नावों में सुधार करने के कार्य में सहायता प्रदान करना ;

(4) मछली पकड़ने के कार्य में प्रयोग में होने वाली सामग्री (जाल आदि) की सप्लाई करना ;

(5) मछली पकड़ने की सहकारी समितियों व मछुओं को सहायता प्रदान करना ;

(6) नावों के रुकने तथा ठहरने, प्रशीतन व परिवहन आदि के बारे में व्यवस्था करना ।

(ख) उपरोक्त योजनाओं से प्रतिवर्ष मछली का लगभग 45,000 मीटरी टन अतिरिक्त उत्पादन होने की आशा है । इसमें से लगभग 1500 मीटरी टन उस अतिरिक्त विधायित मछली की मात्रा है जो पिछले 3 वर्षों की अवधि में निर्यात की गई थी । पिछले 3 वर्षों में कुल 19000 मीटरी टन मछली का विधायन किया गया था ।

(ग) जी नहीं । मछली उद्योग तथा इसके अनुषंगी उद्योग का क्षेत्र काफी बड़ा है और हो सकता है कि एक क्षेत्र में रुचि रखने वाले दूसरे क्षेत्रों में रुचि रखने वालों से सर्वदा सहमत न हो सकें । इन कदमों के उठाने का उद्देश्य यह है कि सर्वतोमुखी विकास को दृष्टि में रखते हुए अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त किया जाये ।

हरियाणा में सरकारी औद्योगिक स्कूल

*1454. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हरियाणा सरकार रोहतक, हिसार और पानीपत में स्थित 3 सरकारी औद्योगिक स्कूलों को बन्द कर रही है ; और

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) हरियाणा राज्य के श्रम विभाग द्वारा की गई जांच के आधार पर यह तय किया गया है कि रोहतक, हिसार और पानीपत के राज्यकीय औद्योगिक स्कूलों को इस वर्ष बन्द कर दिया जाये ।

(ख) इसके कारण हैं :

(एक) इन स्कूलों में प्रवेश चाहने वालों की संख्या इतनी नहीं है जिससे इनका जारी रखना उचित ठहराया जाये।

(दो) जिन व्यवसायों के प्रशिक्षण की व्यवस्था इन स्कूलों में है वे ही व्यवसाय स्थानीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में भी सिखाए जाते हैं । अतः दुहरी प्रशिक्षण व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं है।

(तीन) इन स्कूलों को बन्द करने से खर्च कम होगा ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की बिक्री

*1457. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली दुग्ध योजना के डिपुओं पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वे निकट की दुकानों पर दूध बेच देते हैं अथवा नगद दूध लेने वाले ग्राहकों को देते हैं जबकि कार्ड रखने वालों को दूध नहीं मिलता है;

(ख) क्या डिपुओं को नियत समय से पहले ही बन्द कर दिया जाता है और यदि कार्ड रखने वाले समय से बहुत पहले न पहुचें, तो उन्हें निराश वापस जाना पड़ता है ; और

(ग) क्या डिपुओं के कार्यकरण में सुधार करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां । दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि कार्ड होल्डरों को दूध न देकर आस-पास की दुकानों को दूध बेचा जाता है ।

(ख) ये शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं ।

(ग) जी हां ।

(1) डिपो पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों पर तत्काल जांच की जाती है और जैसे ही कार्ड रखने वालों को दूध न मिलने अथवा दूध के डिपो को नियत समय से पूर्व ही बन्द कर देना आदि की शिकायतों के विषय में प्रमाण मिल जाता है वहां अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

(2) निरीक्षण करने वाले कर्मचारी सप्ताह में कम से कम दो बार नियमित रूप से दूध के डिपो पर जाते हैं। डिपो के पर्यवेक्षण को दृढ़ रखने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। मैनेजर (वितरण) डिपो की स्थितियों के पुनर्विलोकन व कार्य-प्रणाली में सुधार के लिये समस्त पर्यवेक्षण कर्मचारियों की प्रति सप्ताह नियमित बैठकें बुलाता है।

(3) शिकायत कक्ष प्रातः 6 बजे से सांय 6 बजे तक कार्य करता है और टेलीफोन पर प्राप्त हुई शिकायतों पर कार्यवाही करता है।

(4) झूठे टोकनों का पता लगाने के लिए राशन कार्डों की सहायता से समय-समय पर टोकनों की जांच की जाती है।

(5) दूध के टोकन का एक से अधिक बार प्रयोग न होने देने के लिये डिपो के कर्मचारी एक "टिकलर फार्म" रखते हैं।

दिल्ली में टेलीफोन बिलों का भुगतान न किया जाना

*1458. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में टेलीफोन बिलों का भुगतान न करने वालों में से लगभग 60 प्रतिशत सरकारी कार्यालय हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे दोषियों के विरुद्ध आमतौर पर क्या कार्यवाही की जाती है; और

(घ) इस प्रतिशतता को कम करने के लिये अब तक बेहतर अदायगी प्रक्रिया न अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं। नमूने के एक सर्वेक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लगभग 55 प्रतिशत प्रयोक्ता समय पर भुगतान नहीं करते। इनमें से लगभग 35 प्रतिशत सरकारी प्रयोक्ता हैं।

(ख) डाक-तार विभाग को इसके कारणों का पता नहीं है।

(ग) टेलीफोन पर फिर याद दिलाया जाता है और इसके बाबजूद यदि पैसा न जमा किया जाए तो टेलीफोन काट दिया जाता है। फिर भी वसूली के लिए प्रयत्न जारी रखे जाते हैं।

(घ) टेलीफोन काटने की मौजूदा कार्य-पद्धति के अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। शीघ्र

अदायगी के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिल्ली में प्रयोग के तौर पर छूट देने की योजना भी लागू की गई है।

कच्छ के रन का विस्तार

*1459. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ के रन के अन्य उपजाऊ क्षेत्रों में प्रसार को रोकने की दृष्टि से कच्छ के रन की सारी सीमा के साथ-साथ वृक्षों की रक्षात्मक पंक्ति खड़ी करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की कार्यान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इसके सामरिक महत्व को दृष्टि में रखते हुए इस योजना की कार्यान्विति के लिये क्या केन्द्रीय सहायता दी जा रही है;

(घ) क्या कच्छ के रन तथा सिंध के बीच सीमा के बारे के कच्छ न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये पंचाट के संदर्भ में इस योजना पर पुनर्विचार किया गया है तथा इसमें कोई परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो प्रस्तावित वन पट्टी की परिवर्तित चौड़ाई क्या होगी; और

(ङ) यह योजना कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ङ) जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

निम्नतम मजूरी सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

*1460. **श्री गणेश :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संबंधी निम्नतम मजूरी सलाहकार समिति का प्रतिवेदन अंदमान प्रशासन को प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किये जाने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) 4 दिसम्बर, 1967 को।

(ग) और (घ). इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी

*1461. **श्री माणिक्य बहादुर :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1963 से अब तक पूर्वी पाकिस्तान से कितने व्यक्ति त्रिपुरा में आये हैं;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति बसाये जा चुके हैं और इस कार्य पर कितना व्यय हुआ तथा इस प्रयोजन के लिये अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या त्रिपुरा के मुख्य मंत्री हाल में यह मांग करते रहे हैं कि त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले नये लोगों को पुनर्वास सहायता दी जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) 15 अप्रैल, 1968 तक 1,55,213 व्यक्ति ।

(ख) उनके पुनर्वास की स्थिति का ब्यौरा निम्न है :

(i) 1,55,213 प्रव्रजकों में से, 70,535

प्रव्रजक सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के आधार पर आये हैं । अब तक बैलों की खरीद के लिये उन्हें पुनर्वास ऋण के रूप में 10,51,983 रुपये की धनराशि अदा की गई है;

(ii) 22,129 प्रव्रजक पुनर्वास हेतु त्रिपुरा से बाहर भेजे गये थे । चूंकि उनके मामले में पुनर्वास योजनाएं चल रही हैं, इसलिये इस अवस्था में उनके पुनर्वास के व्यय का अनुमान लगाना संभव नहीं है;

(iii) वर्तमान में 3,169 प्रव्रजक शिविरों में पुनर्वास की प्रतीक्षा में है ।

(iv) शेष प्रव्रजक अपने आप चले गये हैं ।

(ग) त्रिपुरा के मुख्य मंत्री से हाल में ऐसा कोई हवाला प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कोटा स्थित उर्वरक कारखाने में दुर्घटना

*1462. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा स्थित उर्वरक कारखाने में हाल में एक दुर्घटना हुई थी जिसके फलस्वरूप बहुत से श्रमिकों और इंजीनियरों की मृत्यु हो गई थी और बहुत से घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों को समानता के आधार पर कोई मुआवजा दिया गया है; और

(घ) इसके लिये क्या पूर्वोपाय किये गये हैं कि ऐसी दुर्घटनायें पुनः न हों ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) . यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

Installation of Telephone Meters at Subscribers' Residences

*1463. **Shri Hardayal Devgun** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have formulated a scheme to instal telephone meters at the residences of the subscribers also like water and electric meters ; and

(b) if so, when the scheme is likely to be implemented ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये आवर्तक निधि

*1464. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** :
श्री क० लकप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वित करने के लिये एक आवर्त्तक निधि बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ताकि देश में कृषि को बढ़ाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिये धन जुटाने हेतु एक आवर्त्तक निधि की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ग्रामीण श्रम जांच

*1465. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीसवें नमूना सर्वेक्षण (जुलाई, 1964—जुलाई, 1965) के उन्नीसवें तथा प्रथम दौर सहित ग्रामीण श्रम जांच के निष्कर्ष प्रकाशित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ख) खेतिहर श्रमिकों की संख्या मजूरी, रोजगार के दिनों के बारे में नवीनतम जानकारी क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खेतिहर श्रमिकों को कारखानों के श्रमिकों के समान मजूरी तथा लाभ देने के लिये प्रयास किये हैं; और

(घ) खेतिहर श्रमिकों के हितों का अध्ययन तथा उत्कर्ष करने के लिये उनके मंत्रालय में यदि कोई कर्मचारी नियुक्त हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस संबंध में कार्यभार अधिक होने तथा सीमित टेबुलेटिंग सुविधाओं के कारण ऐसी रिपोर्टों के प्रकाशन में प्राय: समय लगता है ।

(ख) (i) 1961 की जनगणना के अनुसार खेतिहर श्रमिकों की कुल संख्या 314.8 लाख थी

(ii) एक विवरण जिसमें न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में अकुशल वयस्क पुरुष श्रमिकों के लिये निर्धारित मजूरी की न्यूनतम दरें दी गई हैं; सभा की मेज पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०-टी** ०-1028/68]

(iii) द्वित्तीय खेतिहर श्रम जांच (1956-57) के अनुसार वयस्क पुरुष खेतिहर श्रमिकों की मजूरी के लिये अखिल भारतीय औसत रोजगार वर्ष में 197 दिन था ।

(ग) न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत खेतिहर श्रमिकों के लिये मजूरी राज्य-सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है जो सारे संगत तथ्यों को ध्यान में रखती है ।

(घ) मंत्रालय में एक विशेष कृषि सेल स्थापित किया गया है ।

हरियाणा में आटा मिलों को घुन लगे गेहूं की बिक्री

*1466. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री हरियाणा में रोलर फ्लोर मिलों को घुन लगे गेहूं की खुली बिक्री के 4 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6423 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में अब सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है क्योंकि अब मंडियों में नई फसल भारी मात्रा में आनी शुरू हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्णय करने में सरकार के रास्ते में क्या कठिनाइयां हैं और ऐसा करने में कितना समय लगेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). यदि हरियाना में स्थित आटा मिलों को देसी गेहूं खरीदने की अनुमति दे दी जाती है तो यह आवश्यक हो जाएगा कि अन्य अधिशेष राज्यों में स्थित मिलों को भी इसी प्रकार अनुमति प्रदान की जाय । इस दृष्टिकोण को समक्ष रखते हुये यह महसूस किया गया कि इस सामान्य प्रश्न पर उस समय विचार किया जाना चाहिए जबकि मंडी में नई फसल की आमद से गेहूं के मूल्यों के रुख के बारे में बेहतर वातावरण तैयार हो जाए ।

रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल

8422. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल प्रति हेक्टेयर में 5 किलोग्राम से कुछ अधिक उर्वरक का इस्तेमाल किया जा रहा जिसमें हमारी कृषि पूर्णतः एक उर्वरक प्रधान व्यवसाय बन गई है तथा पुराने 'कम्पोस्ट' खाद की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रही है; और

(ख) इस वर्ष विभिन्न प्रकार के कुल कितनी मात्रा तथा मूल्य के आयातित तथा देशी उर्वरकों की आवश्यकता होगी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1967-68 की अवधि में कृषि भूमि के प्रति एकड़ क्षेत्र के लिये प्रति एकड़ कृषि योग्य भूमि में पुष्ठाहारों (एन० पी० के०) की खपत लगभग 10 किलोग्राम थी ।

सरकार की नीति यह है कि अधिकतम कृषि उपज प्राप्त करने के लिये आर्गनिक खादों के साथ रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग करने के कार्य को प्रोत्साहित किया जाये ।

(ख) 1968-69 के लिये विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता निम्न प्रकार है :

(मात्रा 10 लाख मीटरी टनों में)
(मूल्य रुपये करोड़ों में)

	नाइट्रोज्य पूरक (एन)		फास्फोट्स पूरक ($पी_2 ओ_5$)		फोटासिक ($के_2 ओ$)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
लक्ष्य	1.700	357.0	0.650	156.00	0.450	36.0
देसी उत्पादन	0.650	136.5	0.330	79.20	—	—
आयात द्वारा पूरी होने वाली कमी	1.050	220.5	0.320	76.80	0.450	36.0

पिछले स्टाक की उपलब्धि व 'आफ टेक' को देखते हुये वास्तविक आयात की मात्रा में कमी होने की संभावना है ।

मछली तेल उद्योग

8423. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मछली तेल उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में भारत से कुल कितनी मात्रा में तथा कुल कितने मूल्य के मछली के तेल (सभी किस्म के) का निर्यात किया गया ;

(ग) विदेशी मुद्रा कमाने के लिये इस उद्योग का और आगे विकास करने की दिशा में इस समय क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या मछली का तेल निकालने के लिये देश में कोई नया कारखाना खोला जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) मछली तेल का वर्तमान उत्पादन 1230 मीट्रिक टन है।

(ख) पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित निर्यात रहा है :

वर्ष	मछली के शरीर का तेल		शार्क लिवर का तेल	
	मात्रा मीटरी टनों में	कीमत (रुपयों में)	मात्रा टनों में	कीमत (रुपयों में)
1962-63	75	72,959	—	—
1963-64	—	583	—	—
1964-65	419	3,13,628	10	13,069
1965-66	115	95,118	—	—
1966-67	50	59,128	—	—

(ग) मछली के शरीर का तेल मुख्यतया तेल सार्डीन से प्राप्त होता है जो कुछ मौसमों में पश्चिमी तट पर मिलती हैं और मछलियों की मात्रा में प्रति वर्ष उतार चढ़ाव होता रहता है। सार्डीन्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिये, स्रोतों के अध्ययन हेतु कदम उठाये गये हैं। साथ ही बड़े-बड़े पोतों की सहायता से परीक्षणात्मक आधार पर मछली पकड़ने के कार्य को शुरू किया गया है। उप-उत्पाद के तौर पर शरीर से तेल प्राप्त करने के लिये फिशमील संयन्त्रों की स्थापना की गई है।

शार्क लिवर तेल के निर्यात की सीमा पर रोक लगा दी गई है। यद्यपि शार्कों के पकड़ने की प्रवृत्ति में वृद्धि दिखाई देती है, संश्लिष्ट विटामिन 'ए' के चालू करने से शार्क लिवर तेल के सम्भाव्य निर्यात में कमी हुई है।

(घ) केरल का राज्य मछली पालन निगम, ऐरनाकुलम में 10 टन मछली भोजन का एक प्लान्ट लगाने का प्रस्ताव बना रहा है जो प्रासंगिक रूप से सार्डीन से मछली तेल निकालेगा।

मछली पालन विभाग, गुजरात वेरावल में एक शार्क लिवर तेल सोधन कारखाना लगा रहा है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 50,000 लिटर होगी और यह आशा है कि यह सितम्बर 1968 में उत्पादन प्रारम्भ कर देगा।

पांडचेरी का मछली पालन विभाग भी माही में एक कारखाना स्थापित कर रहा है।

Telephone Exehange at Hanumangarh Town (Rajasthan)

8424. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Communcations** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that arrangements in the Telephone Exchange at Hanumangarh town and the condition of subscribers' telephone apparatuses always remain unsatisfactory;

(b) whether it is also a fact that many complaints have been sent to him and to the officers concerned by the Chamber of Commerce of Hanumangarh town in this regard;

(c) whether it is further a fact that no action has been taken on these complaints either by him or by the officers concerned ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) It is not a fact that the telephone service at Hanumangarh town is always unsatisfactory. Some improvements are, however, under consideration.

(b) One complaint from the Foodgrain Merchants Association and one from Dr. Karni Singh M. P. have been received.

(c) It is not a fact that no action has been taken on these complaints. Very prompt action on the following lines has been taken :

(i) The exchange equipment has been thoroughly overhauled.

(ii) Arrangements have been made to clear faults round to clock.

(iii) One more line has been provided to improve booking of trunk calls.

(d) Does not arise.

हलवाइयों के लिये चीनी का कोटा

8425. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के उद्देश्य से हलवाइयों तथा चीनी की वस्तु बनाने वाले अन्य व्यक्तियों को नियन्त्रित दामों पर चीनी का विशेष कोटा दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में इन एककों को चीनी के आंशिक विनियन्त्रण के लागू होने के बाद प्रत्येक मास कितना-कितना कोटा दिया गया ;

(ग) सारे देश में इस प्रकार के निर्माताओं को प्रत्येक महीने में कुल कितनी चीनी दी गई;

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात के लिये अन्य क्या प्रोत्साहन दिये जाते हैं ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात में किसी भी हलवाई ने निर्यात हेतु मिठाई बनाने के लिए चीनी के आंवटन हेतु कोई भी प्रार्थना नहीं की थी।

(ग) 136 क्विंटल जनवरी में, 30 क्विंटल फरवरी में और 141 क्विंटल मार्च 1968 में।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) नियंत्रित मूल्यों पर चीनी की नियुक्ति के अलावा मिठाई निर्यातकों को निम्नलिखित रियायतें भी हैं :

1. कच्चे माल आदि के आयात के लिए जहाज तक निष्प्रभार निर्यात के 10 प्रतिशत तक की हकदारी।
2. जहाज तक निष्प्रभार मिठाई के निर्यात के 17 प्रतिशत के हिसाब से नकदी सहायता।
3. पैकिंग में प्रयुक्त टिन-पलेट पर दिए गये आयात शुल्क की वापसी तथा तैयार माल में प्रयुक्त चीनी पर उत्पादन शुल्क में रियायत।

मजूरी बोर्ड

8426. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मार्च, 1968 में हुई अखिल भारतीय कर्मचारी संस्था के सम्मेलन की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया था कि केवल उन स्थानों पर मजूरी बोर्ड स्थापित किये जायें जहां शोषित श्रमिक स्थिति हों तथा कर्मचारी ठीक प्रकार से संगठित न हों तथा जहां सुसंगठित कर्मचारी संघ स्थापित हों वहां मजूरी बोर्ड अनावश्यक हो गये हैं तथा झगड़ों के कारण बन गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग मजूरीबोर्डों के कार्य-संचालन के सभी पहलुओं का व्यापक पुनरीक्षण कर रहा है। इस प्रश्न पर आया कि इस विचार अथवा किसी अन्य विचार को स्वीकार किया जाए; आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही निर्णय किया जा सकता है।

छोटी कोयला खानों तथा लौह अयस्क खानों का बन्द हो जाना

8427. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी छोटी कोयला खानों तथा लोह-अयस्क खानों ने, जिनकी स्थिति

असंतोषजनक है सरकार से अनुरोध किया है कि यदि उनके उत्पादों के मूल्यों को बढ़ाये बिना उन्हें मजूरी बोर्ड के पंचाट को अनिवार्यतः लागू करने के लिये कहा गया तो उन्हें अपने कुछ एककों को बन्द करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग की क्षमता और विशेषतः छोटे एककों की मजूरी बोर्ड पंचाट की क्रियान्विति का भार सहने की शक्ति का कोई सर्वेक्षण कर लिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) उपरोक्त खानों के अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए मजूरी पंचाट को लागू करने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) लौह अयस्क खानों की ओर से अभिवेदन दिए गये हैं, जिनमें मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने में कठिनाई व्यक्त की गई है।

(ख) मंजूरी बोर्ड ने सिफारिशें करने से पहले इन मामलों पर विचार कर लिया था।

(ग) सरकार का मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों में कोई सुधार करने का विचार नहीं है, क्योंकि सरकार ने इन्हें सम्यक विचार-विमर्श के बाद स्वीकार किया था। सम्बन्धित पक्षों को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

मदुरे में डाक तथा तार कर्मचारियों के चिकित्सा-व्यय प्रतिपूर्ति बिल

8428. **श्री किरुत्तिनन** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदुरे में डाक तथा तार कर्मचारियों के चिकित्सा-व्यय बिल, जिनका अभी भुगतान नहीं किया गया था चिकित्सा-व्यय प्रतिपूर्ति गोलमाल के सम्बन्ध में जांच के लिये विशेष पुलिस विभाग द्वारा जनवरी, 1968 में ले लिये गये थे;

(ख) क्या जांच पूरी हो गई है; और

(ग) ये बिल डाक तथा तार अधिकारियों को उन कर्मचारियों को भुगतान हेतु कब वापिस लौटा दिये जायेंगे ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) मदुरे में डाक तथा तार कर्मचारियों के 661 बिल विशेष पुलिस विभाग, मद्रास को सौंपे गये थे।

(ख) अभी जांच चल रही है।

(ग) अगले महीने के अन्त तक बिलों के वापिस किये जाने की संभावना है।

विमानों द्वारा बीज गिराये जाने का परीक्षण

8429. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1953 में विमानों द्वारा बीज गिराने का जो परीक्षण किया गया था उसके क्या परिणाम निकले;

(ख) यदि यह असफल रहा है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अग्रेतर परीक्षण न करने के क्या कारण हैं;

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय राजस्थान सरकार द्वारा 1952 में विमानों द्वारा प्रयोगात्मक आधार पर बुवाई किए गए ये कुछ वन-किस्मों के बीजों से है। परन्तु यह प्रयोग सफल सिद्ध नहीं हुआ।

(ख) अच्छी क्यारियों की अनुपलब्धि तथा अत्यधिक चराई के कारण यह प्रयोग असफल हो गया। केन्द्रीय रूक्ष क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान में हुये भावी अनुसन्धानों से पता चला है कि अनिश्चित जलवायु की परिस्थितियों के कारण रूक्ष क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष बुवाई हानिकारक है।

(ग) उपरोक्त (ख) के होते हुये वायुयान द्वारा भावी बुवाई के लिये कोई प्रयोग नहीं किये गये।

Itkhari Minor Canal in Uttar Pradesh

8430. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Itkhari minor canal in District Banda of Uttar Pradesh is proposed to be constructed from a place which is about four furlongs from the place selected originally ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action proposed to be taken in the matter?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Labourers in Delhi Cloth and Birla Mills

8431. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Cloth Mills and Birla Cloth Mills, Delhi engage labourers mostly on daily wages and that they are not made permanent;

(b) whether it is also a fact that considerable number of such labourers have completed 5 to 6 years of service in all, but they have not been made permanent so far ; and

(c) the number of permanent and temporary employees, separately, in each mill and the reasons for not employing them on regular basis?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) No, Sir. In Textile Mills, over 60% of the workers are on piece-rates and over 30%, on monthly rated basis, while engagement on daily wages is relatively small. The managements claim to have implemented the agreement reached before the Board of Conciliation on 24.12.64, which lays

down that only upto 80% of the strength of workmen required to run the departments, are to be made permanent.

(b) Does not arise in view of reply to part (a).

(c) A statement is attached. [**Placed in Library. See No. LT-1029/68**]

सरकारी गोदामों से उर्वरकों का गायब होना

8432. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बछुरा, मुरादाबाद, औरंगाबाद तथा अन्य स्थानों में सरकारी गोदामों में हाल में उर्वरकों के हजारों बोरे गुम पाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, मेरठ क्षेत्र के कुछ स्थानों पर उर्वरकों के कुछ थैलों की चोरियों के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) पुलिस मामले की जांच कर रही है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस की जांच के परिणामों की प्रतीक्षा में है।

उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र

8433. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से कहा है कि उड़ीसा को ऐसा एक मानचित्र जिसमें उन क्षेत्रों को दिखाया गया हो, जिनमें, सूखे का प्रभाव अवश्य पड़ता है, सप्लाई करे; और

(ख) क्या ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई का प्रबन्ध करने के लिये उड़ीसा को कोई दीर्घकालीन ऋण अथवा सहायता देने का सरकार का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अभावग्रस्त क्षेत्रों को चिरस्थायी लाभ प्रदान करने के लिये उपयुक्त कार्यक्रम लागू करने का प्रश्न कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन रहा है। प्रत्येक राज्य में दीर्घकाल से सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के सीमा निर्धारण के कार्य की ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया जायेगा। इन क्षेत्रों को तीन साल, छः साल या दस साल में फसल के एक बार पूर्णतः या लगभग पूर्णतः नष्ट होने के आधार पर 'क' 'ख' और 'ग' तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। राज्य सरकारों से जिनमें उड़ीसा भी सम्मिलित है इन क्षेत्रों का इस प्रकार वर्गीकरण करने के लिये अनुरोध किया जा चुका है।

(ख) वर्तमान विषम वित्तीय परिस्थितियों के कारण दीर्घकाल से सूखाग्रस्त क्षेत्र के 'शुष्कतम' भाग में, जिसका क्षेत्र एक जिले के सामान्य आकार से अधिक न हो, मार्गदर्शी परियोजनाओं से इस कार्य को आरम्भ करने का प्रस्ताव है। भूमिगत जल की जांच, खनिज संसाधनों, लघु सिंचाई, भूमि और जल-संरक्षण कार्य, वनारोपण और चरागाहों के विकास की परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है।

जहां तक वित्तीय सहायता के रूप का प्रश्न है यह निश्चित किया गया है कि प्रत्येक परियोजना को वर्तमान आधार पर सहायता दी जानी चाहिये। प्रस्तावित कार्यक्रम के अन्तर्गत एक योजना को केवल 1967-68 के वास्तविक व्यय से अधिक खर्च होने वाली प्रस्तावित राशि पर वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी।

राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे विस्तृत योजनायें तैयार करें।

Violation of Forest Rules by Government Officers

8434. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain I. A. S. and Military Officers in the Central Government Service violated the Forest Rules by hunting in the reserved forest areas of Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh as reported in the Hindi edition of the 'Blitz' of the 30th December, 1967; and

(b) if so, the action taken by Government against them?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram): (a) and (b). The required information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha.

रेलवे डाक सेवा भवन कोट्टयम

8435. **श्री नायनार :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोट्टयम रेलवे डाक सेवा भवन इसके निर्माण के बाद से ही चू रहा है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि वर्षा ऋतु में टूटी हुई टायलें गिर जाती हैं जिससे अन्दर काम करने वाले कर्मचारियों का जीवन खतरे में पड़ सकता है और जब वहां वर्षा होती है तो बरामदे में भी पानी भर जाता है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) भारी वर्षा के दौरान पानी टपकता रहा है।

(ख) नवम्बर, 1967 में छत में दुबारा टाइलें लगाये जाने के बाद टूटी हुई टाइलों के गिरने की कोई घटनाएं नहीं हुई हैं। फिर भी बरामदे में कभी-कभी पानी टपकने लगता है।

(ग) नवम्बर-दिसम्बर, 1967 में पूरे छत पर रेल विभाग ने दुबारा टाइलें लगवाई थीं और इसकी मरम्मत के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए इस प्रश्न पर रेल विभाग से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

T. E. and W. S. Class II Examination

8436. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Telegraph Engineering and Wireless Services Class II examination was held in December, 1966.

(b) the basis on which promotion has been given hy G. D. P. C. during 1968;

(c) the reasons for not giving promotion on the basis of seniority-cum-fitness when the examination is a qualifying one; and

(d) if the promotion was given on the basis of salary, when such rules were framed and when they were enforced?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

(b) By 'Selection' on an overall assessment of Confidential Records of qualified candidates by the Departmental Promotion Committee.

(c) Recruitment Rules provide for promotion by 'Selection' by the Departmental promotion Committee from amongst candidates who qualify in the examination.

(d) Does not arise.

Class II T. E. and W. S. Examinations

8437. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that class II T. E. and W. S. Examinations were conducted in 1964 and also in 1965;

(b) if so, the names of States in which the employees got promotions on the basis of those examinations; and

(c) the number of the employees who got such promotions and the basis thereof?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

(b) Promotions to T. E. and W. S. Class II, which is an All-India Service, are not made on State-wise basis.

(c)	1964-Examination	303
	1965-Examination	186

Promotions of the officials who qualified in the aforesaid examinations, were made by 'Selection' on an over-all assessment of their Confidential Records by the Departmental Promotion Committees.

Research Laboratory at Hissar

8438. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have given an assurance to provide financial assistance for starting a Research Laboratory at Hissar for soil analysis and suitable crop ;

(b) if so, the amount to be given ;

(c) the amount to be spent thereon ;

(d) whether foreign assistance would also be sought for it ; and

(e) if so, from where ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : (a) No, Sir. However the Government of India have recently sanctioned the establishment of a Soil Salinity Research Institute at Hissar. The primary objective of the Institute will be to re-orientate the approach towards the solution of problems relating to saline and alkali soils, soil salinity, drainage and irrigation with poor quality water in the country.

(b) The Institute will be under the administrative control of the I. C. A. R. and it will be financed by the Council out of grants received from the Government of India.

(c) Rs. 52.66 lakhs over a period of 3 years ending 31.3.1971.

(d) Yes, Sir.

(e) The source is yet to be decided.

दिल्ली में टेलीविजन सेट

8439. **श्री चित्ति बाबू :** **श्री सुब्रावेलू :**
श्री दीवीकन : **श्री कमलनाथन :**
श्री मयावन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने टेलीविजन सेट बनाये जाते हैं; और

(ख) 1966 और 1967 में दिल्ली में कितने टेलीविजन सेटों के लिये लाइसेंस दिये गये ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) 1966 — 4,162
1967 — 6,161

आई० सी० आई० फर्टिलाइजर फैक्टरी, कानपुर

8440. **श्री भगवान दास :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री उमानाथ : **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० सी० आई० फर्टिलाइजर फैक्टरी, कानपुर के कर्मचारियों ने 26 जनवरी, 1968 को कार्य किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रबन्धकों ने इसकी अनुमति ली थी;

(ग) यदि नहीं, तो प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या कर्मचारियों को उस दिन की अतिरिक्त मजूरी दी गई थी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) आई० सी० आई० द्वारा पनकी, कानपुर में मेसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव्स लि० (फर्टिलाईजर प्रोजेक्ट) नामक एक कारखाने का निर्माण किया जा रहा है। यह 26 जनवरी, 1968 को बंद रहा।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

'रेम्बुइलेट भेंड़ों' का आयात

8441. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री दीवीकन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता संस्था द्वारा अमरीका से 'रेम्बुइलेट' नस्ल की भेंड़ों के आयात कार्यक्रमों को धन दिया जा रहा है;

(ख) चौथी योजना की अवधि में भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिये कितनी भेड़ों का आयात करने का लक्ष्य रखा है; और

(ग) इनमें से राजस्थान को जो कि मुख्य रूप से ऊन उत्पन्न करने वाला राज्य है कितनी भेड़ें दी जायेंगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). मार्च-अप्रैल, 1968 में अमरीका से आयात हुई रेम्बुइलेट भेड़ों के लिये यू० एस० ऐंड नान परियोजना ऋण से सहायता मिली है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भेड़ों के आयात के लिये कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। हां, देश में भेड़ों की देशी नस्लों के सुधार के लिये, लगभग 10,000 अच्छी

ऊन की भेड़ों के आयात करने का प्रस्ताव है। मंत्रालय कोलम्बो प्लान ने अन्तर्गत आस्ट्रेलियाई सहायता से आयातित अच्छी ऊन की भेड़ों की सहायता से हरियाणा राज्य में हिसार नामक स्थान पर एक विशाल केन्द्रीय प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिये एक योजना तैयार कर रहा है।

(ग) राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर उनकी तरफ से इन भेड़ों को आयात करने का प्रस्ताव है। राज्यानुसार आवंटन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। राजस्थान सरकार को पत्र लिखा गया है और उनसे 1968-69 के लिये अपनी अच्छी ऊन वाली भेड़ों की आवश्यकताओं के बारे में सूचना भेजने को कहा गया है।

चावल तथा गेहूं के लिये राज सहायता

8442. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं के लिये दी जाने वाली राज सहायता के बन्द किये जाने के परिणामस्वरूप कुल कितनी राशि की बचत हुई है; और

(ख) चावल के लिये कब तक राज सहायता दी जाती रहेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) वित्तीय वर्ष 1967-68 में आयातित गेहूं पर राज-सहायता देना बंद करने से कोई बचत नहीं हुई है क्योंकि आयातित गेहूं की सप्लाई, इसमें निर्गम मूल्य में परिशोधन से पूर्व अर्थात् 1-4-1967 से 31-12-1967 तक, 1967-68 के बजट अनुमान में पहले प्रत्याशित मात्रा से अपेक्षाकृत अधिक थी।

(ख) फिलहाल आयातित चावल के वितरण में दी जा रही राज-सहायता को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियाई कृषि का सर्वेक्षण

8443. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई विकास बैंक ने एशियाई कृषि का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सर्वेक्षण में भारत की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो जहां तक उसका भारत से सम्बन्ध है इस सर्वेक्षण के अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) भारत को कृषि विकास के लिये एशियाई बैंक से इस समय क्या सहायता मिल रही हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रायोजित तकनीकी तथा आर्थिक सर्वेक्षण दल ने अपना सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। दल ने बैंक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। बैंक के निदेशकों का मण्डल रिपोर्ट पर विचार कर रहा है और मण्डल द्वारा विचार कर लेने पर बैंक रिपोर्ट को प्रकाशित कर सकता है।

(ख) और (ग). बैंक अधिकृत रूप से अपनी टिप्पणी सहित रिपोर्ट को प्रकाशित करेगा तभी रिपोर्ट के अन्तिम तत्वों का पता लगेगा।

(घ) भारत सरकार ने कृषि के विकास के लिये एशियाई विकास बैंक से अभी कोई सहायता नहीं मांगी है।

विद्युत् उपक्रमों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

8444. **श्री उमानाथ :** **श्री रमानी :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री अनिरुद्धन :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री विद्युत् उपक्रमों सम्बन्धी मंजूरी बोर्ड के बारे में 28 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5593 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर इस बीच निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक कर लिया जायेगा और देरी के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) इन सिफारिशों पर सिंचाई व विद्युत् मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है। इस मामले में शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिये जाने की आशा है।

महाराष्ट्र में कुएं खोदने का विशेष कार्यक्रम

8445. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अध्ययन दल की सिफारिश के अनुसार सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में कुओं के खोदने, बोरिंग करने तथा पम्पिंग सेट लगाने के विशेष कार्यक्रम की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1965-66 तथा 1967-68 में इस कार्यक्रम के लिये कितनी राशि मंजूर की गई तथा खर्च हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1965, 1966 तथा 1967 में महाराष्ट्र का दौरा करने वाली केन्द्रीय टीमों ने न तो किसी ऐसे कार्यक्रम की सिफारिशें की थीं और न ही भारत सरकार ने ऐसे किसी कार्यक्रम को स्वीकार किया था।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में गेहूं के मूल्यों में कमी

8446. **श्री शिवाजीराव शं० देशमुख** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन को परामर्श दिया है कि वह मैक्सिकन तथा देशी गेहूं के भाव में कमी कर दें ताकि बिना बिके गेहूं के भंडार बिक सकें;

(ख) क्या सरकार ने इसको कम मूल्यों पर बेचने के लिए राज-सहायता देने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) दिल्ली में इस समय राशन की दुकानों पर पड़े देशी मेक्सिकन गेहूं के थोड़े से स्टाक का निपटान करने की दृष्टि से सरकार ने इस गेहूं के निर्गम मूल्य में कमी की है।

(ख) जी नहीं।

(ग) दिल्ली के राशन वाले क्षेत्र में गेहूं की अन्य किस्मों के लिए उपभोक्ता तरजीह और बाजार भावों में गिरावट की प्रवृत्ति होने के कारण अधिकृत राशन व्यापारियों के पास लगभग 300 मीटरी टन देसी मेक्सिकन गेहूं का स्टाक एकत्रित हो गया था। दिल्ली के राशन वाले क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में फैले हुए अधिकृत राशन व्यापारियों से यह स्टाक वापस लेना प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं था, इसलिए इस स्टाक का निपटान करने के लिए यह निर्णय किया गया कि इसका निर्गम मूल्य 98 रुपये प्रति क्विंटल से घटाकर 75 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाये। यह भाव उपभोक्ताओं को स्वीकार्य होगा।

Telephone Charges outstanding against Subscribers in Patna

8447. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether any telephone charges are outstanding against the telephone subscribers in Patna ;

(b) if so, the total amount of outstanding charges and the names of subscribers against whom heavy arrears are outstanding ;

(c) the action being taken by Government to recover the outstanding dues ; and

(d) the action proposed to be taken to ensure that no arrears are accumulated in future ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) Rs. 11.87 lakhs for bills issued upto September, 1967. The individual accounts are held in trust and it will therefore not be desirable to disclose the names of individual subscribers from whom the arrears are due.

(c) and (d). Steps, such as issue of reminders disconnection of telephones, personal contact with subscribers, and finally legal action, where necessary, are taken with a view to enforce recovery and stop future accumulation of arrears.

Bone Fertilizer

8448. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the estimated consumption of bone fertilizer during the current year and its percentage to the total annual production ; and

(b) the difficulty being experienced in using the bone meal as fertilizer which is being exported at present ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : (a) It is estimated that about 35,000 tonnes of bonemeal is annually produced in India as a by-product by the Bone Crushing Mills. Crushed bones are mostly exported outside the country. The estimated consumption of bone fertiliser during the current year in the country is not known. However, bonemeal except for insignificant exports, is used as manure within the country.

(b) Bonemeal as a fertiliser has not gained much popularity because of its high cost compared with other phosphatic fertilisers and the slower availability of the citric soluble $P_2 O_5$ contained in it.

Use of Oil-Cakes as Manure

8449. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of each type of oil-cakes used as manure last year ;

(b) whether Government are contemplating to impose restrictions on the export of oil-cakes which is left over after extraction of oil ; and

(c) if so, the additional quantity of oil-cake which would be made available in a year for the purpose of manure as a result thereof ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : (a) Statistics regarding each type of oil cake consumed as manure last year are not available.

(b) In view of the fact that oil cakes have a limited manurial value and that their use as a manure is costlier than the use of chemical fertiliser for the same plant nutrient value, no change in the present policy regarding oil cake exports appears to be necessary.

(c) The question does not arise.

Population of Cows and Buffaloes

8450. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of cows and buffaloes respectively in the country at present according to the latest assessment ;

(b) whether it is a fact that the number of buffaloes is increasing at a faster rate than that of cows ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : (a) According to 1961 Census, the total number of cattle in the country was 175.56 millions out of which there were 54.20 million adult females. The total number of buffaloes was 51.21 millions out of which there were 25.02 millions adult females. Final All India figures for 1966 Census are not yet available.

(b) Yes, the increase in case of total buffaloes for the period of 5 years i. e. from 1956 to 1961 was 13.9% and for adult females 11.9% for the same period. In case of cattle the increase for total cattle population has been 10.6% and in case of adult females 8.6% for the same period.

(c) No systematic study has so far been undertaken to determine the reasons for increase of buffaloes at a faster rate than that of cows. It is, however, generally felt that in view of the increased demand for milk as a result of urbanisation and industrialisation, there is a greater demand for buffaloes as it is comparatively a much higher yielder of milk with higher butter fat content. Therefore, increasing number of buffaloes are being reared.

Legal Opinion tendered by the Ministry of Law

8451. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ranjit Singh : **Shri T. P. Shah :**

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the number of cases in regard to which legal opinion was sought from his Ministry in the years 1965 and 1966 ; and

(b) the number of cases out of them filed in the courts and the number out of them where the courts delivered judgement in accordance with the opinion expressed by his Ministry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : (a) The number of cases referred for legal opinion to Law Ministry during the year 1965 and 1966 are as under :

Year	No. of cases referred
1965	22,817
1966	23,533

(b) No data is available in this Ministry.

Employees' Provident Fund Pending with Factories

8452. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Ranjit Singh : **Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total amount of Employees' Provident Fund pending with the management of factories all over India during the last year ;

(b) the names and addresses of factory-owners in respect of whom Provident Fund to the tune of Rs. 5 lakhs or more is in arrears and the number of years since when this amount is pending with them ; and

(c) the number out of them who were prosecuted and convicted ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) Rs. 7.63 crores (as on 31-12-67) in respect of unexempted factories.

(b) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-1030/68]**

(c)	Prosecuted	22
	Convicted	8

मारीशस से चीनी का आयात

8453. **श्री सीताराम केसरी : खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत मारीशस से चीनी का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में कितनी चीनी आयात की गई तथा इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(ग) मारीशस को किस प्रकार अदायगी की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

चीनी का आयात

8564. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में चीनी की वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए किन-किन देशों से चीनी का आयात किया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): 1957 से भारत ने चीनी का कोई आयात नहीं किया है ।

Extension of National Seeds Corporation Work in Madhya Pradesh

8455. **Shri Shashibhushan Bajpai**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount allocated by Government in respect of expansion of the National Seeds Corporation in Madhya Pradesh and the number of Officials appointed therefor and the measures taken to extend its activities ;

(b) whether any Special Officer has been appointed for Indore Division ; and

(c) the Scheme prepraed by Government for the future development of the newly set up modern farm in Western Nimar District for development of seeds ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram): (a) The National Seeds Corporation, Ltd., is an autonomous Undertaking and, therefore, the question of allocation of amounts by the Government for expansion of its activities in individual States does not arise.

The Corporation has, however, opened regional offices in connection with the production and certification of seeds of hybrids and high-yielding varieties. The regional office for Madhya Pradesh is located at Bhopal. 39 officials are in position in the unit.

(b) The Corporation has not appointed any Special Officer for the Indore Division, but a proposal to set up a Sub-Unit there, under the Regional Office at Bhopal is under consideration.

(c) The Government of India have not set up any modern farm in Western Nimar District for development of seeds.

Adulteration of Fertilizers and Seeds

8456. **Shri Shashi Bhushan Bajpai:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether any scheme has been prepared by Government to ensure that fertilizers are not adulterated and that the seeds directly reach the farmers rather than finding their way into the hands of undesirable elements; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram): (a) and (b). Distribution of fertilisers is the responsibility of State Governments and is made largely through Co-operatives. Sale of fertilisers is regulated under the Fertiliser (Control) Order, 1957 which requires, among other things, the observance of prescribed standards of quality. Sale of adulterated fertilisers entails cancellation of a dealer's licence and is an offence punishable under the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

As regards seeds, State Governments are responsible for distribution within their own areas. Only when there is a shortage, the Central Government makes arrangements to meet the deficit either by getting special seed production programmes organised through the National Seeds Corporation or by diverting seeds from the surplus States. Actual distribution is, in any event, with the State Governments.

Strike in Searchlight and Pradip Newspapers

8457. **Shri Sarjoo Pandey:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the staff of Searchlight and Pradip Newspapers (Patna) have gone on srike since the 23rd March, 1968;

(b) whether they have sent any memorandum of their demands to Government; and

(c) if so, the action taken by Government thereon?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) Intimation to this effect has been received.

(b) No. However, it is understood that the strike is due to the non-implementation of the recommendations of the Wage Boards for working Journalists and Non-Journalists.

(c) The Chief Minister of Bihar has been requested to take necessary action for securing implementation of the recommendations of the Wage Board for Working Journalists through the procedure provided for in the Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955, and also to persuade the parties to implement the recommendations of the Wage Board for Non-Journalists.

Suratgarh Farm

8458. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the thirty per cent of the crop has been damaged in Suratgarh Farm due to violent dust storm in March, 1968;

(b) if so, the extent of damage; and

(c) the action taken by Government to check further damage in this regard?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram): (a) to (c). It is understood about 5% of the mustard crop which was in the process of being harvested was damaged by a dust storm in March, 1968. Further details of the damage and of the steps taken to prevent further damage are being ascertained from the Farm authorities and will be placed on the Table of the Sabha when these have been obtained.

Confiscation of Land by British Government

8459. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the names of persons whose lands had been confiscated in Uttar Pradesh by the British Government and the acreage of land of each person so confiscated;

(b) whether Government have decided to restore those lands to the persons concerned; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram): (a) to (c). The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be placed on the Table of the Sabha as soon as possible.

Shortcomings in Department of Communications

8460. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Hindustan of the 23rd March, 1968 according to which Shri Tara Chand Khandelwal, General Secretary of Delhi Citizens Council pointed out several shortcomings in his Department;

(b) if so, whether Government have conducted an enquiry into the facts revealed by him ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) and (c). Subsequent to the publication of the news-item, some members of the Citizens Council, Delhi met the Minister of Communications on 26-3-68 and had discussions with him on the various points. The position regarding each item was explained to them. Later on, Shri Gupta, President of the Delhi Citizens Council and some members paid a visit to the Delhi Telephone Distt. on 5-4-68 to see the working of the District at first hand. Shri Gupta expressed his appreciation of the attempts made to improve the service. Some suggestions for further improvements were also made and they will be looked into.

Collective Agricultural Farms

8461. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of collective agricultural farms at present State-wise ; and

(b) the number of new collective agricultural farms proposed to be set up during 1968-69 State-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

New Varieties of Wheat Seeds

8462. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the new varieties of wheat seeds grown by Government and the per acre yield of each of them ;

(b) whether Government have made arrangements to store adequate quantity of new varieties of wheat seeds produced in the current crop for distribution among the farmers in the country according to their requirements in future for sowing purposes ; and

(c) if so, the estimated quantity of each variety of seeds proposed to be stored ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : (a) to (c). The new wheat varieties, recently released by the Central Varieties Release Committee, and included in the high-yielding varieties programme are Kalyan-Sona, Sonalika, Sharbati Sonora and S-331. "Production and distribution of seeds within the States are managed by the State Governments themselves." The National Seeds Corporation has, however, organized foundation seed production of Kalyan-Sona, Sonalika and Sharbati Sonora over 531 acres during last Rabi. The harvesting is in progress and the Corporation expects an average yield of 15 quintals per acre of foundation seed. This foundation seed is proposed to be utilized for seed multiplication during next Rabi through State Governments, progressive private seed growers, etc.

Gur Purchase for Liquor

8463. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are purchasing a large quantity of Gur for distilling liquor ; and

(b) if so, the quantity of gur purchased in 1967 for this purpose ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : (a) The Central Government has not purchased any gur for distilling liquor.

(b) Does not arise.

Post Offices and Telegraph Offices in Ladakh

8464. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state .

(a) the reason for which Post Offices and Telegraph Offices have not been opened so far in Joskar, Nubra and Oma areas of Ladakh inspite of repeated requests made by the elected representative of the people and by the people of these areas to that effect ; and

(b) when Government propose to provide Post and Telegraph facilities in all the three areas since they are situated on borders ?

The Minister of State in the Departments of Communications and Parliamentary Affairs (Shri I. K. Gujral): (a) and (b). The Post and Telegraph facilities could not be extended due to following reasons :

Post Offices

(1) Joskar : This area is also known as Zanskar. A proposal to open a post office at Padam, the headquarters of Zanskar tehsil, was examined and it was found that the anticipated loss of the proposed office would be more than the maximum permissible limit of loss of Rs. 2,500/- per annum per office which is allowed in exceptional cases. The State Government has been approached for recovery of no-returnable contribution equal to an amount over and above the permissible limit and their reply is awaited.

(2) Nubra : A proposal for opening a Post Office at Diskit, the headquarter of Nubra Valley has since been approved and the office will be opened shortly.

(3) Oma : No request for opening a post office at Oma has been received so far.

Telegraph Offices

Telegraph facilities could not be extended on account of difficulties in erection and maintenance of land lines in those areas. However, Wireless link connecting Nubra and Nyoma with Leh is likely to be provided during the year 1968-69, subject to accommodation being made available by the State Government.

ग्राम पंचायतें

8465. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतों के अधीन ग्राम कचहरियों का फौजदारी तथा दीवानी क्षेत्राधिकार और शक्ति क्या है;

(ख) क्या इस क्षेत्राधिकार तथा शक्ति को सरकार का विचार बढ़ाने और समूचे देश में एक समान करने और तदनुसार राज्यों को सलाह देने का है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) न्याय पंचायतों का दीवानी तथा फौजदारी क्षेत्राधिकार वह है जो कि सम्बन्धित राज्य अधिनियमों में निर्धारित किया गया है। दीवानी क्षेत्राधिकार में धन, चल सम्पत्ति और ऐसे ही अन्य लेन-देन सम्बन्धी साधारण मुकदमें आते हैं; फौजदारी क्षेत्राधिकार आमतौर पर छोटे-मोटे मामलों तक ही सीमित है जिसमें दण्ड स्वरूप जुर्माना करना ही पर्याप्त होगा; कुछ राज्य अधिनियमों में न्याय पंचायतों को जुर्माना अदा न करने की दशा में अल्पावधि कैद की सजा देने का अधिकार भी दिया गया है।

(ख) और (ग). न्याय पंचायत राज्य विषय है और उनका क्षेत्राधिकार और शक्तियां निर्धारित करना राज्य सरकारों का काम है। भारत सरकार के सामने ऐसे क्षेत्राधिकार अथवा शक्तियों को बढ़ाने अथवा उन्हें समूचे देश में एक समान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजहरा खानें

8466. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजहरा खान मजदूरों में बड़ा असंतोष है;

(ख) यदि हां, तो असंतोष के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मांगों को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां, खानों के ठेका श्रमिकों में।

(ख) भिलाई स्टील प्लाट में कच्चे लोहे के उपभोग में कमी हो जाने के कारण खुदाई ठेकेदार श्रमिकों की छटनी कर रहे हैं।

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के अधिकारी सौहार्दपूर्ण समझौता कराने के लिए श्रमिकों और प्रबन्धकों से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

Fall in Wheat Prices in Haryana and Punjab

8467. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the declining prices of wheat in Haryana and Punjab ;

(b) whether Government propose to reconsider the question of raising their minimum price ; and

(c) whether Government have considered the probable effects of the declining prices on the next year's crop ?

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Jagjiwan Ram): (a) The prices of wheat in Punjab have remained generally steady during the last few months. In Haryana, a fall was noticed during February-March,1968 but the position has improved since then.

(b) and (c). There is no proposal to reconsider raising of the minimum support prices. The procurement prices for wheat which are higher than the minimum support prices have already been announced. The State Governments and the Food Corporation of India have also been advised that whenever and wherever prices in the mandis are below the procurement prices announced by Government purchases of whatever quantities of wheat of approved quality are offered for sale should be made at the procurement prices announced. It will thus be ensured that the prices do not fall below the level of procurement prices fixed by Government. The question of considering the effects of declining prices on the next year's crop does not, therefore, arise.

Wheat Supply to Madhya Pradesh

8468. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the quantity of wheat allotted to Madhya Pradesh for the month of February, 1968 ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : 15,400 tonnes.

Super Bazars in Madhya Pradesh

8469. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government had sanctioned any loan for opening Super Bazars in Madhya Pradesh during 1967-68 ;

(b) if so, the amount sanctioned ; and

(c) the terms and conditions of its repayment ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a). Yes Sir. For three Super Bazars.

(b) Rs. 5,62,500

(c) The terms and conditions of repayment of loan are given in the statement enclosed. **[Placed in Library. See No. LT-1031/68]**

Central Government Farm in Madhya Pradesh

8470. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have set up or have taken a decision to set up a Central Government Farm in Madhya Pradesh, as had done in other States ;

(b) if so, the name of the place where the said farm has been set up or is proposed to be set up ; and

(c) the details thereof ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram): (a) to (c). The Madhya Pradesh Government have offered a site in the Sagar Distt. for setting up a Central State Farm. The site will be visited shortly by the Central Seed Farms Committee, to determine its suitability for a State Farm. If the site is found suitable, a detailed project report for setting up the farm will then be drawn up.

Control on Sugar Industry

8471. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Sugar Mills Association has demanded relaxation in control on the sugar industry ; and

(b) if so, the basis therefor and the nature of their demands ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram): (a) and (b). The President of the Indian Sugar Mills Association, at the 35th Annual General Meeting of the Association held on the 2nd April, 1968, made the following requests :

(1) the percentage of free sale quota of sugar may be increased after taking into account the carryover stock from 1966-67 season ;

(2) the period allowed for sale and despatch of free sale sugar released every month may be raised from 30 to 45 days, as in case of levy sugar ; and

(3) 40% of the production of molasses may be allowed to be sold in the free market as in case of sugar.

Employment in Maharashtra

8472. **Shri Deorao Patil**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation be** pleased to state :

(a) the total number of persons in Maharashtra who got employment during the last three Five Year Plans ;

(b) the number of unemployed persons in the rural and urban areas during the period from 1952 to 1967 ; and

(c) the efforts being made to solve the problem of increasing unemployment among educated persons in rural areas ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir): (a) Precise information is not available. However according to the estimates made by Maharashtra Government in the memorandum on the Fourth Five Year Plan, 12.3 lakh new job opportunities were created during the Third Five Year Plan.

The State of Maharashtra came into existence in 1960 and as such the question of furnishing estimates prior to that date does not arise.

(b) According to the same source 15. 36 lakhs of persons were reported to be un-employed at the end of the Third Plan. Separate statistics relating to the un-employed persons in rural areas are, however, not available.

A statement showing the number of work-seekers on the registers of Employment Exchanges at the end of each year for the period 1960-67, which gives some idea of the trends in urban unemployment is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1032/68.]**

(c) Various development programmes in the field of agriculture, village and small industries, irrigations and power, transport and communications and social services such as Education, Health and Social Welfare etc. included in the annual plan of the State are likely to provide more and more employment opportunities in the coming years for the unemployed including the educated unemployed.

Rural Indebtedness

8473. **Shri Deorao Patil**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleeased to state :

(a) whether any Committee was appointed by the Planning Commission to undertake a study of the problem of indebtedness of the farmers ;

(b) if so, the recommendations thereof ;

(c) whether it is also a fact that the indebtedness of farmers is increasing constantly ; and

(d) if so, the measures suggested by the Planning Commission to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). According to the All India Rural Debt and Investment Survey carried out by Reserve Bank of India in 1961-62 the indebtedness of all the cultivating households was estimated at Rs. 2380 crores. In the absence of any data for subsequent years, it is difficult to come to any conclusion. However, one of the major programmes of planned economic development is to strengthen the institutional structure of co-operatives and bring into being other appropriate institutions for enabling them to meet to the maximum extent possible the requirement of production credit of cultivators at fair rates of interest.

पश्चिम बंगाल सरकार की हरिनघट्टा दुग्धशाला

8474. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की सरकार की हरिनघट्टा दुग्धशाला में कितना दूध तैयार होता है, प्रति लिटर कितनी लागत आती है और यह जनता को किस भाव पर बेचा जाता है;

(ख) इसका लागत ढांचा, विक्रय तथा उत्पादन मूल्य दिल्ली दुग्ध योजना की तुलना में कैसा है;

(ग) सरकार इस दुग्धशाला को मुनाफे पर चला रही है अथवा घाटे पर और पिछले पांच वर्षों में कितना मुनाफा अथवा घाटा हुआ है ; और

(घ) कलकत्ता में दूध की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (घ). हमारे पास अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार से जानकारी मांगी गई है और मिलते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इन्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई

8475. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इन्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के प्रबन्धों तथा श्रमिकों के बीच विवाद के, जिसकी वजह से 4 अक्तूबर, 1967 से उत्पादन बन्द हो गया था, कारणों की जांच कर ली गई है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में इस कम्पनी के सभी 16 जिला कार्यालयों में सभी श्रमिकों को जबरी छुट्टी दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

सरकारी उपक्रमों के फालतू कर्मचारियों तथा निर्माण सम्बन्धी फालतू श्रमिकों को रोजगार देना

8476. **श्री रवि राय : श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बड़ी परियोजनाओं के पूरे होने तथा इस परिणामस्वरूप सभी श्रेणियों के बहुत से अनुभवी श्रमिकों की छंटनी के कारण सरकारी उपक्रमों के फालतू कर्मचारियों तथा बेरोजगार हुए निर्माण मजदूरों को रोजगार दिलाने की समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो समस्या को हल करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर): (क) जी हां, जब कभी भी ऐसे कर्मचारी अतिरिक्त करार दिये जाते हैं, इस ओर ध्यान दिया जाता है ।

(ख) सरकारी उपक्रमों में आवश्यकता से अधिक करार दिये कर्मचारियों की नियुक्ति सहायता देने हेतु व्यवस्था है ।

(ग) इस व्यवस्था से सम्बन्धित जानकारी संलग्न टिप्पणी में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-1033/68]**

औद्योगिक कार्यों के लिए गुड़ के प्रयोग पर पाबन्दी

8477. **श्री रवि राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुड़ के औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयोग, जिसमें शराब बनाना भी शामिल है, पर पाबन्दी लगाने वाले आदेश के गुड़ तथा चीनी के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) और (ख). औद्योगिक कार्यों के लिए गुड़ के प्रयोग पर लगी पाबन्दी के फलस्वरूप तथा खुले बाजार में बिक्री एवं नियंत्रित वितरण के लिए अतिरिक्त चीनी की साथ ही साथ निर्मुक्ति के कारण भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां मूल्यों में अनुचित वृद्धि हो गई थी, गुड़ तथा चीनी के मूल्य कमशः लगभग 30 रुपये और 50 रुपये प्रतिक्विंटल तक गिरे हैं ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री का कलकत्ता का दौरा

8478. **श्री रवि राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 30 मार्च, 1968 को कलकत्ता का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का क्या प्रयोजन था और उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी, हां ।

(ख) अमृत बाजार पत्रिका के शताब्दी समारोह में भाग लेने तथा पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के साथ खाद्य विषयक वर्तमान समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से दौरा किया गया था

Uttar Pradesh Krishak Samaj

8479. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance given by the Government of Uttar Pradesh to the organisation named Uttar Pradesh Krishak Samaj in the years 1965-66 and 1966-67 ; and

(b) the names and designations of the office-bearers of the said organisation District-wise and their functions ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram): (a) No financial assistance was given by the Government of Uttar Pradesh to Uttar Pradesh Krishak Samaj in the years 1965-66 and 1966-67.

(b) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-1034/68]**

Fair Price Foodgrains Shops in Gorakhpur

8480. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names and addresses of the persons to whom Government Fair Price Foodgrains shops were allotted in the Gorakhpur District of Uttar Pradesh during 1966 and 1967 ;

(b) the names of those shopkeepers to whose family more than one Government Fair Price Foodgrain shop was allotted and the number of complaints against them which were received from the public and representatives of the public during 1967 and the action taken thereon ;

(c) whether it is also a fact that the allotment of shops in the name of those shopkeepers against whom complaints by the public and the representatives of the people were based on facts were not cancelled and the allotment of shops in the name of those shopkeepers, against whom complaints were not based on facts, were cancelled by the District Supply Officer, Pargana Officer or the District Magistrate ; and

(d) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram): (a) to (d). A report has been called for from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

Forest Department of Uttar Pradesh

8481. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the seniority of a Forester and a Forester Guard in the Forest Department of Uttar Pradesh is determined from the date of his appointment or otherwise ;

(b) the number of Rangers out of those who were declared unfit by the Public Service Commission during 1966, who have been reappointed so far to their previous posts and the time in each case after which they were reappointed in that manner ; and

(c) the details thereof Range-wise ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram): (a) to (c). The Government of Uttar Pradesh have been requested to furnish the necessary information. Information will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Leather Industries at Kanpur

8482. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of such leather industries in Kanpur which have not provided interim assistance to the labourers in accordance with the recommendations of the Wage Board;

(b) whether it is a fact that B. I. C. Branch of Cooper Allen and North West Tannery, Kanpur are effecting retrenchment and are continuing the contract system; and

(c) if so, whether the management had taken the permission of the Labour Department for this work and if not, the steps taken by Government to check it?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) Only one out of the 32 concerns in Kanpur covered by the recommendations is reported to have not implemented the Interim Relief fully.

(b) No.

(c) Does not arise.

बीजों का आयात

8483. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 तथा 1967 में मैक्सिकन गेहूं के बीजों असीरियां म्विटुन्डे मूंगफली-बीजों ताई चुग नेटिव । आई० आर० 8 धान में बीजों का अन्य देशों से कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया गया ;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य को इन किस्मों के बीज कितनी-कितनी मात्रा में दिये गये;

(ग) ये बीज किस अभिकरण के माध्यम से वितरित किये गये; और

(घ) बीजों के कुवितरण के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें आईं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (ग). जानकारी प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-1035/68]**

(घ) गलत वितरण के विषय में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

बीज परिष्करण संयंत्र

8484. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संकर बीजों के लिए समूचे देश में काफी संख्या में परिष्करण संयंत्रों की आवश्यकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बीज परिष्करणों के न होने के कारण बीज परिष्करण संयंत्र नहीं लग पा रहे हैं ।

(ग) क्या सरकार का विचार इन उपकरणों को देश में उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) बीज प्रक्रिया से जिसमें उचित ढंग से सुखाना, साफ करना, उपचार करना व थैलों में भरना शामिल है, जीव्यता शक्ति बनी रहती है । संकर व अन्य अधिक उत्पादनशील किस्मों के बीजों के विषय में तो प्रक्रिया और भी जरूरी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) बीज प्रक्रिया के देशी उपकरणों के विनिर्माण को विकसित करने के लिए किए गये प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रक्रिया संयन्त्रों में काम आने वाले अधिकांश उपकरण अब देश में तैयार हो रहे हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन

8485. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष उत्तर प्रदेश में कुल उत्पादन कितना हुआ है; और

(ग) राज्य में चीनी का इतना अधिक उत्पादन हो जाने से देश में चीनी की कमी कितनी मात्रा में पूरी होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). जी हां । चालू वर्ष से 15 अप्रैल, 1968 तक उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन 8.11 लाख मीटरी टन हुआ है जबकि गत वर्ष उसी तारीख तक 7.09 लाख मीटरी टन हुआ था ।

(ग) इससे इस वर्ष मार्च-अप्रैल तथा अप्रैल-मई की अवधि के लिये प्रति मास 34,000 मीटरी टन अतिरिक्त निर्मुक्ति करने में सहायता मिली है ।

कृषि विकास योजना

8486. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि विकास के लिये एक 'इंडिकेटिव वर्ल्ड प्लान' तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत उसमें सहयोग देने के लिये सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना से भारत को क्या लाभ होने की आशा है; और

(घ) यदि नहीं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन से किसी न किसी रूप में अब तक कुल कितनी सहायता मिली है और चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये यदि कोई सहायता मिलने की आशा है तो कितनी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा कृषि विकास के तैयार किये जा रहे 'इंडिकेटिव वर्ल्ड प्लान' में अन्य बातों के अलावा इन बातों की व्यवस्था होने की सम्भावना है :

(एक) एक अन्तर्राष्ट्रीय मार्गदर्शी रूपरेखा जिसकी सहायता से सरकारें कृषि सम्बन्धी नीतियां निर्धारित तथा क्रियान्वित कर सकेंगी;

(दो) देशों के बीच उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी नीतियों के भेदों में ताल-मेल स्थापित करने के लिये प्रयत्न हेतु एक उपयोगी आधार; और

(तीन) सहायता लेने वाले तथा सहायता देने वाले देशों तथा संगठनों को कृषि के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के बारे में मार्गदर्शन।

प्लान में भारत सहित अन्य विकासशील देशों के लिये सरकारों द्वारा कार्यवाही करने के लिये युक्त निर्देशिका की व्यवस्था किये जाने की आशा है जिसमें इन देशों को अपने कृषि विकास का आयोजन करने में जिन नीति सम्बन्धी प्रश्नों का सामना है, उनमें से कुछ प्रश्नों का विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा।

माडर्न बेकरीज (इन्डिया) लिमिटेड, मद्रास

8487. **श्री अगाडी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड, मद्रास जैसा कि समाचार-पत्रों में छपा विज्ञापन आया है 'फारटीफाइड मिल्क ब्रेड' का मार्केट में विक्रय कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो 'फारटीफाइड मिल्क ब्रेड' में कितनी लाइसिन तथा द्वितीय दूध का प्रयोग किया गया है;

(ग) क्या गैर-सरकारी बेकरियों को अपने उत्पादों में लाइसिन का प्रयोग करने 'फारटिफाइड ब्रेड' के बनाने के दौरान में निदेश देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या लाइसिन भारत में बनाया जाता है अथवा इसका आयात किया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कम्पनी विटामिन युक्त डबल रोटी को 'माडर्न ब्रेड' ट्रेड नाम के अंतर्गत विक्रय कर रही है। यह कहना ठीक नहीं है कि इसका विज्ञापन 'मिल्क ब्रेड' के रूप में किया जाता है।

(ख) लाइसिन तथा दुग्ध चूर्ण क्रमशः 0.1 प्रतिशत तथा 0.55 प्रतिशत गेहूं के आटे की मात्रा के अनुसार मिलाये जाते हैं ।

(ग) नहीं ।

(घ) फिलहाल भारत में वाणिज्यिक आधार पर लाइसिन तैयार नहीं किया जाता है और इसका आयात किया जाता है ।

काडवाड गांव (मैसूर राज्य) से उप-डाकघर का हटाया जाना

8488. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काडवाड गांव, जिला कारवाड़, मैसूर राज्य की जनता ने विरोध प्रकट किया है कि वहां से उप-डाकघर न हटाया जाये;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर विचार किया गया था, पर चूंकि डाकघर की मौजूदा इमारत पर्याप्त खुली और हवादार नहीं है और वर्षा के मौसम में वहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता अतः स्थानान्तरण की मंजूरी दे दी गई है ।

Arrears of Telephone Bills in Delhi

8489. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that huge arrears have accumulated in respect of telephone bills from telephone users in Delhi ;

(b) if so, the outstanding arrears in respect of 1965-66, 1966-67 and 1967-68 respectively ;

(c) the amount of arrears realised by Government since November, 1967 so far and the amount still outstanding against them ;

(d) the steps taken to realise the arrears since November, 1967 ; and

(e) the number of telephone connections disconnected for non-payment of dues during the last five months ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The arrears as on 1-1-1968 for bills issued up to 30-9-1967 were Rs. 2.25 crores.

(b) Of the arrears, Rs. 0.29 crores related to 1965-66 and Rs. 0.39 crores to 1966-67. The arrears relating to 1967-68 (up to September, 1967 only) were Rs. 0.49 crores. The balance amount (Rs. 1.08 crores) represents arrears in respect of period prior to 1965-66.

(c) During November-December, 1967 a sum of Rs. 1.55 crores had been recovered leaving an arrear still to be recovered at Rs. 2.25 crores, as already stated.

(d) Steps, such as, issue of reminders, disconnection of telephones, personal contact with subscribers, and finally legal action, where necessary, are taken with a view to enforce recovery.

(e) About 2,575 telephones were disconnected.

Schemes for Agricultural Development in U. P.

8490. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the nature of schemes implemented in Uttar Pradesh by the Central Government for agricultural development since the 1st January, 1967 so far;

(b) the names of such schemes as have since been completed and the progress in respect of other schemes;

(c) the names of schemes postponed by Government and the reasons therefor; and

(d) the schemes being implemented in Eastern U. P. in particular and the results achieved so far?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram): (a) The Central Government does not directly implement schemes for agricultural development in the States except for certain specific items. It only gives financial assistance to State Governments for the implementation of agricultural development programmes. However, there are certain schemes covering some aspects of agricultural programmes such as those relating to fundamental research higher education, training, surveys and investigations, pilot studies, special services, and a few others, which, though located in the States, are a direct administrative responsibility of the Central Government.

(b) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Agricultural Development in U. P.

8491. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the amount of assistance given by the Central Government to Uttar Pradesh for agricultural development during each of the years commencing the 1st January, 1957 to date;

(b) the schemes for the implementation of which such assistance was granted; and

(c) the schemes relating to Eastern U. P. in particular, for which assistance was provided?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram): (a) to (c). Assistance is provided by the Central Government to States for State Plan and Centrally Sponsored Schemes. Under the existing procedure such assistance for State Plan schemes is released to States only under the Major Heads of Development and not according to individual cheme or group of schemes. The details of the Central Assistance given to U. P. Government for these schemes under Major Heads of Development from 1956-57 to-date is given in the Annexure. **[Placed in Library. See No. LT-1036/68]**

Information in regard to assistance given to U. P. for the Centrally Sponsored Schemes is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Central assistance is not earmarked for any part of a State such as eastern U. P., unless there is a specific Centrally sponsored scheme for a particular project that may happen to be located in a particular district or area.

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बाहर उर्वरकों की बिक्री

8492. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री मीठा लाल मीना : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से बाहर उर्वरकों की बिक्री को उदार बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप उर्वरकों के मूल्यों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) इसके परिणामस्वरूप उर्वरकों के मूल्यों में कोई परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है ।

सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल

8493. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी क्षेत्र के चीनी मिलों की संख्या तथा उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) 1966-67 के मौसम में इन मिलों द्वारा कितनी चीनी का उत्पादन किया गया था तथा चालू मौसम में कितनी चीनी का उत्पादन किये जाने की संभावना है; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र के आंकड़ों की तुलना में यह आंकड़े कितने अधिक अथवा कम हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस समय भारत में कार्य कर रही सहकारी चीनी कारखानों की संख्या 58 है और उनकी वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 9.4 लाख मीटरी टन चीनी की है ।

(ख) और (ग). 1966-67 और 1967-68 में (7 अप्रैल, 1968 तक) सहकारी

तथा संयुक्त स्टाक कारखानों के चीनी-उत्पादन का ब्योरा नीचे दिया जाता है :

मौसम	चीनी का उत्पादन लाख मीटरी टन में	
	सहकारी	संयुक्त स्टाक
1966-67 (पहली अक्तूबर से 30 सितम्बर तक)	6.57	14.94
1967-68 (पहली अक्तूबर से 7 अप्रैल तक)	6.45	14.70

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम

8494. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि विशेषज्ञों के अनुसार 11 महीने से कम अवधि के लिए नियुक्त किये जाने वाले श्रमजीवी पत्रकारों को दिये जाने वाले अर्जित अवकाश से सम्बंधित श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धाराएं तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए लगाए गये नियम परस्पर विरोधी हैं;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों का यह विचार है कि 11 महीने से अधिक समय से लगातार कार्य कर रहे श्रमजीवी पत्रकार अर्जित अवकाश के अधिकारी नहीं हैं; और

(ग) क्या मूल कानून के शब्द तथा भाव के विरुद्ध श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में त्रुटि के बारे में मंत्रालय की राय ली गई है?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) इस प्रकार का कोई भी प्रतिवाद सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है ।

(ख) सरकार को इस प्रकार के किसी विचार की जानकारी नहीं है ।

(ग) चूंकि इस प्रकार की कोई भी त्रुटि सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई, इसलिए विधि मंत्रालय की राय लेने का प्रश्न भी नहीं उठता ।

ओरियण्टल रिसर्च एण्ड कैमिकल लेबोरेटरीज लिमिटेड, हावड़ा

8495. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओरियण्टल रिसर्च एण्ड केमिकल लेबोरेटरीज लिमिटेड सल्किया, हावड़ा, पश्चिम बंगाल ने कर्मचारी भविष्य निधि की न तो कर्मचारियों के अंश की राशि जमा कराई है और न अपने अंश की;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से उसे ऐसा करने दिया गया है; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). नियोजक ने भविष्य निधि का अंशदान अदा नहीं किया है ।

(ग) वसूली कार्यवाही और अभियोजन द्वारा कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

तांबे के तार तथा पी० एण्ड टी० तार की चोरियां

8496. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तांबे के तार तथा पी० एण्ड टी० तारों की बार-बार चोरियां होती रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे ऐसी चोरियों के होने की कम से कम संभावना रहे; और

(ग) वर्ष 1966 तथा 1967 में ऐसे कितने मामले हुए और कितने मूल्य की चोरियां हुईं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(i) सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को यह लिखा गया है कि वे तांबे के तारों की चोरियां रोकने के लिये कार्यवाई के वास्ते पुलिस महानिरीक्षकों को निदेश जारी करें ।

(ii) टेलीग्राफ तार (गैर-कानूनी स्वामित्व) अधिनियम, 1950 में अपराधियों के लिये कठोर दंड की व्यवस्था करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

(iii) तांबे से झले तारों के लिये विदेश मुद्रा की उपलब्धि के आधार पर तांबे के तारों को तांबे से झले हुए तारों में बदलने का भी प्रस्ताव है ।

(ग)

1966		1967	
मामलों की संख्या	**रकम रुपयों में**	**मामलों की संख्या**	**रकम रुपयों में**
11,301	25,19,997	16,643	64,17,941

त्रिभाषी मनी-आर्डर फार्म

8497. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **संचार** मंत्री 28 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5602 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिभाषी मनी-आर्डर फार्मों का मूल्य बढ़ाकर तीन पैसे से पांच पैसे कर दिया जायेगा;

(ख) क्या पहले भी प्रादेशिक भाषाओं में फार्म जारी करने के बारे में प्रयोग किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोग का क्या परिणाम रहा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) मनीआर्डर फार्म की कीमत 3 पैसे से बढ़ाकर 5 पैसे करने के प्रस्ताव है। किन्तु इस बढ़ी हुई कीमत का भी मनीआर्डर बुक करते समय कमीशन में समंजन कर दिया जायगा और इस प्रकार से जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कीमत में इस वृद्धि का सरकार द्वारा हाल ही में लिये गए इस निर्णय से कोई सम्बन्ध नहीं है कि अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में मनीआर्डर फार्म त्रिभाषी छापे जाएं और हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में द्विभाषी।

(ख) और (ग). इससे पूर्व कुछ डाक-तार सर्कलों में मनीआर्डर फार्म अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में द्विभाषी छापे गये थे, किन्तु ऐसा प्रायोगिक दृष्टि से नहीं किया गया था। बाद में उस नीति में परिवर्तन कर दिये गए और मौजूदा निर्णय इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के अनुसार है।

कृषि उपज परिष्करण कारखाने

8498. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि वर्ष 1970-71 तक संभाव्य अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर कृषि उपज परिष्करण सम्बन्धी 1194 कारखाने स्थापित किये जाने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है और प्रत्येक राज्य में कितने-कितने कारखाने स्थापित करने का सुझाव दिया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरपदस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) 1194 विधायन यूनिटें स्थापित करने के बारे में विशेषज्ञ समिति की सम्बन्धित सिफारिश संलग्न विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-1037/68**] विशेषज्ञ समिति ने इन यूनिटों की राज्यवार संख्या का सुझाव नहीं दिया है।

(ग) सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है। यह रिपोर्ट अभी तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के विचाराधीन है।

बर्मा से स्वदेश लौटने वाले व्यक्ति

8499. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मार्च, 1968 के समाचार-पत्र "स्टेटमैन" में "पथेटिक प्लाइट आफ बर्मा रिपेट्रिएट्स एक्सेप्ट एट स्मगलर्स बाजार" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों की दयनीय दशा के बारे में कितनी सत्यता है ; और

(ग) बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों को उचित ढंग से बसाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). जी, हां। इस विषय पर मद्रास सरकार को लिखा है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1038/68**]

त्रिपुरा में बेरोजगार व्यक्ति

8500. **श्री माणिक्य बहादुर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ तथा अन्त में त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्रमशः कितनी थी तथा इन अवसरों पर इस राज्य में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी थी ;

(ख) उस राज्य के रोजगार कार्यालयों में इस समय क्रमशः कितने कुशल, अर्द्ध-कुशल तथा अकुशल कर्मचारियों तथा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के, जिनमें इंजीनियर और तकनीशन भी सम्मिलित हैं, नाम दर्ज हैं ; और

(ग) उस राज्य के लिये वर्ष 1968-69 तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ और अन्त में क्रमशः कितने व्यक्ति बेरोजगार रह जायेंगे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) यथा तथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो जानकारी इस बारे में उपलब्ध है वह नियोजन कार्यालय अगरतला (त्रिपुरा) के चालू रजिस्टरों में नियुक्ति सहायता के लिए नाम लिखाने वाले लोगों से सम्बन्धित है। इसे पिछले पृष्ठ पर विवरण एक में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1039/68]**

(ख) जानकारी पिछले पृष्ठ पर दिये विवरण दो में है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-1039/68]**

(ग) सन् 1968-69 से सम्बन्धित अनुमान उपलब्ध नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये आरम्भिक कार्य अभी आरम्भ ही हुआ है।

Post Office in Madhubani (Bihar)

8501. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to open a Post Office in Madhubani Village under Chhatapur Police Station in Saharsa District of Bihar State ; and

(b) if so, when it would be opened ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). An Extra Departmental Branch Post Office has been opened at Madhubani village on 27-2-1968.

Export of Telephone Equipment

8502. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of public and private firms and companies which exported telephone equipments to foreign countries during the last four years and the names of such countries ;

(b) the amount of foreign exchange earned as a result thereof ; and

(c) the amount invested in each of the said firms ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) (a) and (b). Only the Indian Telephone Industries Limited, Bangalore, which is a Government Company, exported telephone equipment to foreign countries. The names of the countries to which the exports were made during the last four years and the foreign exchange earned therefrom are given below :

Year	Countries to which exports were made	Amount of foreign exchange earned from exports
1964-65	Afghanistan, Belgium, Burma, Ceylon, Iraq, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Poland, Sudan, Somali Republic and South Vietnam.	Rs. 6,95,026

1965-66	Afghanistan, Belgium, Brazil. Ceylon, Greece, Iran, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Syria, Somali Republic, South Vietnam, Thailand, United Kingdom and Uganda.	Rs. 7,77,663
1966-77	Afghanistan, Belgium, Brazil, Burma, Ceylon, Iraq, Ireland, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Nigeria, Sudan, Somali Republic, Singapore, South Vietnam, Thailand, Turkey, United Arab Republic and United Kingdom.	Rs. 79,90,975
1967-68	Afghanistan, Brazil, Belgium, Ceylon, Kenya, Iran, Ireland, Kuwait, Mauritius, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Vietnam, Thailand, Uganda, United Arab Republic and United Kingdom.	Rs. 50,21,542 (approximately)

(c) The Government of India have invested Rs. 3,58,74,500 in the share capital of the Indian Telephone Industries Limited, Bangalore.

दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी

8503. **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के दर्जे में कोई अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय सहायता तथा पुनर्वास के मामले में क्या अन्तर है ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली में पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों को सरकार से कोई वित्तीय सहायता अथवा पुनर्वास अनुदान नहीं मिला है जबकि पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में आने वाले शरणार्थियों को वित्तीय सहायता अर्थात गृह-निर्माण ऋण तथा अन्य पुनर्वास अनुदान मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख) जी नहीं । दिल्ली में शरणार्थियों में पंजीकरण के बारे में 1947 में जो आर्डिनेन्स जारी किया गया था उसमें पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों में कोई भेदभाव नहीं रखा गया था ।

(ग) और (घ). पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल तथा पड़ोसी राज्यों में आये हैं और जहां कहीं आवश्यक है उन्हें पुनर्वास सहायता दे दी गई है ।

तथापि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति, जो दिल्ली में लाभकारी रोजगार पर लगे हैं, उनको 'न लाभ न हानि' के आधार पर बहुत संख्या में आवास प्लाट आवंटन करने की एक योजना अनुमोदित कर दी गई है ।

Use of Hindi in Office of Election Commission

8504. **Shri Hardayal Devgun :** Will the Minister of **Law** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5526 on the 28th March, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that apart from giving replies to some letters in Hindi, all other items of work are done in English in the office of Election Commissioner ;

(b) if so, whether the Ministry of Home Affairs had issued certain instructions to the Commission last year for doing their work in Hindi and if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for not giving replies in Hindi of all the letters received from the Hindi-speaking States and also for not doing other items of work in Hindi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : (a) to (c). The Election Commission has not received any special instructions from the Ministry of Home Affairs for doing its work in Hindi. The Election Commission observes, as far as possible, the general instructions issued by the Government for the use of Hindi, in the transaction of its business. Most of the officers of the Commission who are authorised to authenticate orders on behalf of the Commission are, by virtue of their age, exempt from learning Hindi or do not possess sufficient knowledge of Hindi. All letters received in Hindi are, therefore, not replied to in Hindi. However, when the officers and staff of the Commission become sufficiently equipped with knowledge of Hindi in due course, it may be possible to accelerate the pace of work in Hindi in the Commission.

Teaching of Hindi to Employees in Election Commission

8505. **Shri Hardayal Devgun :** Will the Minister of **Law** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5535 on the 28th March, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that Government propose to teach Hindi to all the employees in the office of the Election Commissioner and also to augment the strength of the Hindi-knowing employees in the said office so as to promote the use of Hindi there ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem): (a) In accordance with the instructions issued by the Ministry of Home Affairs regarding Hindi teaching scheme the officers and staff of the Election Commission are being deputed from time to time for training in Hindi. The Commission is thus augmenting its strength of Hindi-knowing employees. The Commission is also considering the question of creating a separate Hindi Section under the charge of a whole-time Section Officer.

(b) Does not arise.

Strike Notice by Suratgarh Agricultural farm Employees' Union

8506. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Agricultural Mechanised Farm Employees' National Union, Suratgarh gave a notice of general strike from the 11th April, 1968 ;

(b) whether it is also a fact that the strike is to protest against the injustice meted out by the officials to workers and failure to implement various agreements concluded in 1966 ;

(c) whether the workers have sent their demands to Government and that they have not been considered so far ; and

(d) if so, the action being taken by Government regarding acceptance of their demands and to avert the general strike ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : (a) to (d). The Kendriya Krishi Yantrik Farm Rashtriya Mazdoor Union, Suratgarh, gave a notice of strike from the 11th April, 1968, if a charter of demands submitted by them was not accepted. The notice contained a series of demands and also made allegations that the management of the Farm had not honoured agreements made with the Employees' Union in the past. The notice did not contain any allegations of injustice by individual officers of the farm but made only general allegations that the management of the farm was violating the code of discipline to harass workers.

The demands of the Union have been under active consideration of Government. These demands also formed the subject of conciliation proceedings under the chairmanship of the Assistant Labour Commissioner (Conciliation), Ajmer. These proceedings were attended by the representatives of the Union and of the Director of the Farm. As a result of these conciliation proceedings, an agreement was reached on all the points in dispute except for three demands. It was agreed in the conciliation proceedings that these three demands should be referred to Government for further consideration and that in the meantime, the Union would not go on strike from the 11th April, 1968. It was also decided that the Assistant Labour Commissioner (Conciliation) would call a further meeting about the 25th April, 1968, of the representatives of the Union and the Management to review the position. The Government have taken decisions on two of the three demands. The third is under their active consideration.

As agreed to by the representatives of the Union, no strike took place from the 11th April, 1968.

मैसूर में लघु सिंचाई योजनायें

8507. **श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा .**
श्री क० लकप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर सरकार से कहा है कि लघु सिंचाई योजना जैसे नलकूप लगाने तथा भूमिगत जल निकालने के अन्य तरीकों के लिए क्रम-बद्ध कार्यक्रम तैयार करे जिससे

राज्य के कुछ भागों में व्याप्त दुर्भिक्ष तथा पानी की कमी की स्थिति का सामना करने के लिये ये स्थायी उपाय बन सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). निरन्तर रूप से दुर्भिक्ष ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों को स्थाई लाभ पहुंचाने के लिये उचित कार्यक्रम को लागू करने का प्रश्न कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन था। घनाभाव के कारण अब निर्णय किया गया है कि मार्गदर्शी योजनाओं को उन अत्यन्त सूखाग्रस्त क्षेत्रों में शुरू किया जाये जिनका क्षेत्र एक साधारण जिले से अधिक न हो। इस योजना के अन्तर्गत भूमिगत पानी और खनिज साधनों की खोज, लघु सिंचाई योजनायें, भूमि और पानी संरक्षण कार्यक्रम, वनारोपण और चारागाहों के विकास को शुरू करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय विशेषज्ञों की टीम के पथप्रदर्शन के अधीन, जो कि उन क्षेत्रों की जरूरतों का मूल्यांकन करने के लिये सम्बन्धित क्षेत्रों का भ्रमण करेगी, राज्य सरकारें इन मदों पर ठोस प्रयोजनायें बनायेंगी। ऐसी योजनायें तैयार करने के लिये राज्य सरकारों का मार्ग दर्शन किया जा चुका है। मैसूर सरकार ने अपने अत्यधिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों का पता लगा लिया है। आशा है विशेषज्ञों की एक केन्द्रीय टीम शीघ्र ही राज्य का दौरा करेगी।

रोजगार सम्बन्धी केन्द्रीय समिति

8508. **श्री शिव चंडिका प्रसाद** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार सम्बन्धी कोई केन्द्रीय समिति है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कृत्य क्या हैं ;

(ग) उस समिति की 1967 और 1968 में अब तक कितनी बार बैठक हुई है तथा उसमें क्या-क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(घ) यदि उसकी बैठक नहीं हुई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) जी हां।

(ख) समिति के कार्यकलाप होंगे :

(एक) नियोजन सूचना की समीक्षा करना तथा शहरी व देहाती क्षेत्र में नियोजन अवसर तथा बेरोजगारी का अनुमान लगाना और नियोजन अवसर बढ़ाने हेतु उपाय सुझाना ;

(दो) राष्ट्रीय नियोजन सेवा के विस्तार हेतु सुझाव देना ;

(तीन) विकास प्रायोजनाओं से अतिरिक्त करार दिये गये लोगों को नियुक्ति सहायता की व्यवस्था करना ;

(चार) शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिये विशेष कार्यक्रम सुझाना ;

(पांच) नियोजन कार्यालयों में युवा नियोजन सेवा और नियोजन सम्बन्धी सलाह के कार्य विस्तार हेतु सुझाव देना ;

(छः) प्रशिक्षित दस्तकारों की आवश्यकताओं का अनुमान लगा कर, व्यावसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद को सलाह देना ;

(ग) और (घ). समिति की बैठक 21 मई, 1968 को आयोजित है। प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित प्रशासनिक कारणों से सन् 1967 में अथवा सन् 1968 में, उक्त तिथि के पूर्व, समिति की बैठक नहीं की जा सकी।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद

8509. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री गार्डिलिगन गौड :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद तथा उनके मंत्रालय के अन्य एककों में हाल ही में कुछ क्लर्क तथा टाइपिस्ट दैनिक मजूरी पर नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या दैनिक मजूरी पर लोगों की नियुक्ति की योजना सरकार की मंजूरी से लागू की गई है अथवा विभाग ने स्वयं लागू कर दी है ; और

(घ) जिन व्यक्तियों को दैनिक मजूरी पर रखा गया है उनकी मजूरी तथा सेवा की शर्तों का ब्योरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में वनस्पति घी की काले बाजार में बिक्री

8510. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गत पन्द्रह दिनों में वनस्पति घी काले बाजार में बेचा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और(ख). इस अवधि में विशेष रूप से बड़े डिब्बों में वनस्पति का स्टाक रोकने और अधिक मूल्य वसूल करने की प्रवृत्ति सम्बन्धी खबरें समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई थीं । लेकिन सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने से स्थिति सामान्य स्तर पर आ गयी । इस सम्बन्ध में किये गये उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

(1) थोक तथा खुदरा व्यापारियों को वनस्पति की सप्लाई उनको गत तीन महीनों में की सप्लाई के आधार पर विनियमित कर दी गयी है ।

(2) किसी भी उपभोक्ता को एक ही समय में 4 किलो से अधिक खुले रूप में वनस्पति या राशन कार्ड दिखाने पर एक महीने में 16.5 किलो के एक टीन से अधिक वनस्पति न दी जाए लेकिन खुले रूप में बिक्री को तरजीह दी जाए ।

(3) सभी थोक व्यापारी अपने मासिक कोटे का कम से कम 10 प्रतिशत विवाहों के लिये सप्लाई करने हेतु आरक्षित रखें । इस प्रयोजन के लिए अधिक से अधिक 16.5 किलो के 4 टीन सप्लाई किए जा सकते हैं लेकिन दिल्ली प्रशासन से मैदा या सूजी का लिया गया परमिट अथवा नगर निगम अथवा दिल्ली महानगर परिषद के सदस्य या ग्राम प्रधान (ग्रामीण क्षेत्रों में) का प्रमाण-पत्र दिखाना होगा ।

(4) खुदरा व्यापारियों को इसके लिए एक बिक्री रजिस्टर रखना पड़ेगा जिसमें ग्राहकों के नाम उनके हस्ताक्षर सहित दर्ज करने होंगे ।

(5) प्रत्येक थोक तथा खुदरा व्यापारी को अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर वनस्पति नियन्त्रित दरों पर बेचा जाता है, लिखा रहेगा ।

Assistance for Rehabilitation of Displaced Persons of Nefa, Ladakh Etc.

8511. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the amount and form of assistance given by the Central Government to the State Governments during the period from 1962 to 1967 for rehabilitation of the people who were displaced in NEFA and Ladakh areas and in Kashmir, Rajasthan and Gujarat during Sino-Indian and Indo-Pakistan hostilities in 1962 and 1965 respectively; and

(b) the number of refugee camps set up by the Central Government in the said States ?

The Duputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): A statement indicating the position is attached. **[Placed in Library. See No. LT-1040/68]**

(b) The Central Government did not set up any camps directly in the affected States but they had assisted the Governments concerned in setting up such camps, where necessary, financially and also by strengthening the supervisory staff as in Jammu and Kashmir. Following the Indo-Pakistan conflict of August-September 1965, 13 camps were opened in Jammu and Kashmir and 5 in Rajasthan by the State Governments. All these camps have been closed.

उर्वरकों का परिवहन

8512. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 3 वर्षों में उर्वरकों के परिवहन पर कितनी राशि व्यय हुई तथा रेलों और सड़क के द्वारा परिवहन पर कितनी राशि व्यय हुई ;

(ख) भारत सरकार द्वारा उर्वरकों के सड़क द्वारा परिवहन पर इतनी अधिक राशि व्यय करने के क्या कारण थे ; और

(ग) सड़क तथा रेलों द्वारा उर्वरकों के परिवहन पर प्रति टन तुलनात्मक खर्च कितना आता है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) गत 3 वर्षों की अवधि में उर्वरकों के परिवहन पर व्यय की गयी रकम तथा रेल व सड़क के द्वारा परिवहन पर व्यय की गई रकम निम्न प्रकार है :

	1965-66	1966-67	1967-68
परिवहन व्यय—रेल तथा सड़क	5,58,64,066	5,85,35,850	अभी लेखा तैयार नहीं है
रेल	अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं	4,64,04,579	,,
सड़क	,,	1,21,31,271	,,

(ख) रेल परिवहन की अपर्याप्त उपलब्धि तथा समय-समय पर लगाये जाने वाली आप्रेशनल प्रतिबन्धों और राज्य सरकारों की तुरन्त मांग को दृष्टि में रखते हुए भी, रेलों की क्षमता की अनुपूर्ति के लिए सड़कों द्वारा उर्वरक भेजना, की प्रणाली को अपनाना पड़ा है। इसके अतिरिक्त सड़क परिवहन के अपनाने से आयातित उर्वरकों को बन्दरगाहों से शीघ्र उठाने व उसे शीघ्र ही राज्यों में पहुंचाने के कार्य में काफी सहायता मिली है।

(ग) सड़कों के माध्यम से उर्वरकों के परिवहन का कार्य राज्य सरकारें करती हैं और वे ही ट्रान्सपोर्टरों की दरें निर्धारित करती हैं। ये दरें एक-सी नहीं हैं। प्रायः सड़कों द्वारा परिवहन करने पर 16 पैसे से 20 पैसे प्रति मीटरी टन प्रति किलोमीटर के हिसाब से व्यय होता है जब कि रेल द्वारा एक मीटरी टन भार की ढुलाई पर औसतन 5 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से व्यय होता है।

कृषि स्नातक

8513. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष देश के विभिन्न कालेजों तथा विश्वविद्यालयों से कितने कृषि स्नातक (बी० एस-सी० एग्री०) निकले हैं ;

(ख) उपयुक्त अवधि में इन स्नातकों में से किस अनुपात में अथवा कितने प्रतिशत स्नातक सरकारी सेवाओं में लिए गए हैं ; और

(ग) भविष्य में इन बेरोजगार स्नातकों को रोजगार अथवा अन्य सहायता देने के लिये सरकार का विचार क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1964—66 की अवधि में विभिन्न महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले कृषि स्नातकों की संख्या निम्न प्रकार है :

	1964	1965	1966
कुल संख्या	4731	5259	4232
महा विद्यालयों की संख्या (उपरोक्त आंकड़ों के लिए)	56	59	63

(ख) जिन कृषि स्नातकों को देश में व देश से बाहर सरकारी नौकरियां प्राप्त हो गई हैं उनकी संख्या, अनुपात तथा प्रतिशत खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि नौकरी के अवसर केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकारों और गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा भी दिये जाते हैं।

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में हमारे कृषि विकास के क्रम में जो नये-नये जीविकोपार्जन के स्रोत अनिवार्यतः उपलब्ध होंगे, उनके अतिरिक्त चतुर्थ योजना की कृषि शिक्षा अनुसंधान और विकास सम्बन्धी बनायी जाने वाली परियोजनाओं द्वारा भविष्य में प्रशिक्षित कृषि स्नातकों को नौकरी की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराने की आशा है।

चावल तथा गेहूं का आयात

8514. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन मास में विभिन्न देशों से कितनी मात्रा में गेहूं तथा चावल का आयात किया गया ; और

(ख) उपरोक्त खाद्यान्नों का किन शर्तों पर आयात किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1041/68**]

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूं का आयात अंशतः पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत और अंशतः संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक खरीदारी के रूप में किया गया है। आस्ट्रेलिया से किया गया गेहूं का आयात उस देश में की गयी खरीदारी में से ही था।

थाईलैंड और बर्मा से चावल का आयात उन देशों में की गयी वाणिज्यिक खरीदारी द्वारा भी किया गया है।

मैसर्स शा वालेस एण्ड कम्पनी, कलकत्ता को अमोनियम सल्फेट तथा यूरिया की सप्लाई

8515. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में तथा मार्च, 1968 के अन्त तक मैसर्स शा वालेस एण्ड कम्पनी को कितनी मात्रा में अमोनियम सल्फेट तथा यूरिया दिया गया ; और

(ख) उक्त कारखाने को यह सामग्री किस कार्य के लिये दी गई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). प्रत्येक के सामने लिखे प्रयोजन के लिये वर्ष 1966-67 में तथा मार्च, 1968 के अन्त तक मैसर्स शा वालेस एण्ड कम्पनी, कलकत्ता को निम्नलिखित मात्रा में अमोनियम सल्फेट तथा यूरिया दिया गया :

(आंकड़े टोन्ज में)

फर्म का नाम	उर्वरक की किस्म	अवधि 1966-67	अवधि 1967-68	जिस प्रयोजन के लिए नियतन किया गया
मैसर्स शा वैलेस एण्ड कम्पनी, कलकत्ता	सल्फेट आफ अमोनिया	11,000	12,424	उत्तर पूर्व भारत अर्थात आसाम तथा पश्चिम बंगाल में चाय के बागों को सप्लाई करने के लिये
	यूरिया	44		यीस्ट बनाने के लिये

कपास का मूल्य

8516. **श्री वेदव्रत बरुआ** :
श्री रवि राय :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने कृषि मूल्य आयोग से अनुरोध किया है कि

कपास के मूल्य बढ़ाये जायें ताकि उसके उत्पादकों को कुछ मुनाफा मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). कृषि मूल्य आयोग ने अप्रैल, 1968 में मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात आदि कई राज्यों का दौरा किया और उत्पादकों, व्यापारियों, उद्योगों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से 1968-69 के मौसम के लिए कपास और मूंगफली की मूल्य नीति के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया। इन विचार-विमर्शों में सम्बन्धित पक्षों द्वारा आयोग के समक्ष अनेक दृष्टिकोण प्रस्तुत किये गये। आयोग ने अभी तक 1968-69 के मौसम के लिए कपास की मूल्य नीति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इन परिस्थितियों में सरकार को ज्ञात नहीं है कि गुजरात सरकार या किसी अन्य पक्ष ने इस विषय में कृषि मूल्य आयोग के समक्ष क्या विचार रखे हैं।

अमोनियम सल्फेट तथा यूरिया की सप्लाई

8517. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय कृषि विभाग द्वारा वर्ष 1966-67 में तथा मार्च, 1968 के अन्त तक अमोनियम सल्फेट तथा यूरिया जिन-जिन भट्ठियों को दिया गया उनके नाम क्या हैं तथा प्रत्येक को इसकी कितनी-कितनी मात्रा दी गई ; और

(ख) उक्त सामान की खरीद तथा बिक्री पर सरकार को कितना मुनाफा अथवा घाटा हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1966-67 और 1967-68 के वर्षों में भट्ठियों के नाम एवं अमोनियम सल्फेट और यूरिया की उस मात्रा को बतलाने वाला एक विवरण संलग्न है जो उनमें से प्रत्येक को दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1042/68**]

(ख) भट्ठियों को इन मदों के देने के सम्बन्ध में कोई पृथक व्यापार और लाभ एवं हानि के लेखे तैयार नहीं किये गये। फिर भी 1966-67 में केन्द्रीय उर्वरक पूल ने जिसका मुख्य कार्य कृषीय प्रयोग के लिये उर्वरकों का साम्यिक वितरण है। 40.66 करोड़ रुपयों की हानि उठायी है। 1967-68 वर्ष के पूल के लेखे को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थी

8518. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 12 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 618 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित किए गए व्यक्तियों की अर्जित भू-सम्पत्ति के लिए प्रतिकर देने से इंकार किए जाने के बारे में जानकारी अब प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को उनकी सम्पत्ति के लिए, जो वे पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ आये हैं ; प्रतिकर के भुगतान के बारे में सरकार द्वारा अपनी नीति पर पुनर्विचार करने से इन्कार किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) जी, हां ।

(ख) यह सूचित किया गया है कि भारत आने वाले पूर्वी पाकिस्तान के प्रव्रजकों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति को पाकिस्तान सरकार ने, पाकिस्तान प्रतिरक्षा नियमों के अधीन 'शत्रु सम्पत्ति' के रूप में माना है और उसका कोई मुआवजा अदा नहीं किया है ।

(ग) अन्य कारणों के साथ-साथ निम्न कारणों के फलस्वरूप प्रव्रजकों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति का मुआवजा अदा करना भारत सरकार के लिये सम्भव नहीं है :

(1) पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की सम्पत्तियों की व्यवस्था 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते के अन्तर्गत की जाती हैं जिसके अनुसार सम्पत्तियों के स्वाम्य अधिकार शरणार्थियों के रहते हैं ।

(2) वस्तुतः भारत के पूर्वी खण्ड में कोई निष्क्रान्त सम्पत्ति नहीं है जो कि मुआवजा पूल का भाग बन सके और जिसमें से प्रव्रजकों को मुआवजा अदा किया जा सके ।

(3) वित्तीय अभिग्रस्ति के अतिरिक्त प्रव्रजकों के दावों का सत्यापन करने में भी महान कठिनाइयां उत्पन्न होंगी ।

पश्चिम बंगाल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

8519. **श्री बदरुद्दुजा :** **श्री देवेन सेन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के समुद्री तट में गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए कनाडा का सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी नहीं । पश्चिम बंगाल के समुद्री तट में गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए कनाडा का सहयोग प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत में शिक्षित बेरोजगार

8520. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काम दिलाऊ दफ्तरों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 1 जनवरी, 1968 को देश में कितने शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार थे ;

(ख) क्या देश में बेरोजगारी की गम्भीर स्थिति को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना को रोजगार प्रधान बनाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) दिनांक 1 जनवरी, 1968 की भारत के नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 10, 87, 371 शिक्षित (मैट्रिक और इससे अधिक) लोगों के नाम नियुक्ति सहायता प्राप्त करने के लिए दर्ज थे।

(ख) और (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए आरम्भिक कार्य अभी हाल ही में शुरू हुआ है। अतः योजना से सम्बन्धित विभिन्न नीतियों पर, जिनमें नियोजन सम्बन्धी नीति भी शामिल है, अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम की त्रिवेन्द्रम स्थित शाखा

8521. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के त्रिवेन्द्रम स्थित शाखा कार्यालय द्वारा किए जा रहे काम के बारे में राज्य सरकार ने कोई असन्तोष व्यक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के लिए रूसी सहायता

8522. **श्री क० लकप्पा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उपभोक्ता सहकारी भंडारों के लिए रूस से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई है और उसका उद्देश्य क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Direct dialling system between Nagpur and Bombay

8523. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to introduce direct dialling system between Nagpur and Bombay; and

(b) if so, the progress made so far in this direction and when this service is likely to be inroduced?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

(b) A Coaxial cable system is being provided between Nagpur and Bombay. The work has been taken up. Orders for equipment for the expansion of Bombay Trunk Automatic Exchange to enable connection to Nagpur have also been placed. The direct dialling facility is expected to be made available by 1971.

इसगांव (आंध्र प्रदेश) में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

8524. **श्री गंगा रेड्डी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के इसगांव स्थान पर 2 हजार एकड़ भूमि से भी अधिक जंगल को साफ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भूमि के कृष्यकरण पर प्रति एकड़ कितनी राशि व्यय हुई ;

(ग) इसगांव में बसाये गये परिवारों की संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या यह सच है कि जो क्षेत्र पुनर्वास के लिए छांटा गया है वह कृषि के बिलकुल योग्य नहीं है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रव्रजकों को बसाने के लिए आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के इसगांव स्थान पर लगभग 6,700 एकड़ भूमि को साफ कर दिया गया है।

(ख) लगभग 400 रुपये प्रति एकड़ ।

(ग) 31-3-1968 को इसगांव में लगभग 700 नये प्रव्रजक परिवार रह रहे थे ; वे पुनर्वास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(घ) जी, नहीं। पुनर्वास के लिये जो क्षेत्र चुना गया है, वह बुवाई के लिए उपयुक्त है और इसमें भूमि की व्यवस्था तथा फसलों की कार्य-प्रणाली की क्षमता है।

अंदमान द्वीप समूह के नील द्वीप में शरणार्थी

8525. **श्री गणेश** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंदमान द्वीप समूह के नील नाम के द्वीप में कितने शरणार्थियों को बसा दिया गया है तथा उन्हें कब लाया गया था ;

(ख) उनके बसाने की योजना क्या है तथा क्या उन्हें भूमि दे दी गई है ;

(ग) क्या यह भूमि धान की खेती के योग्य है और क्या उस भूमि के लिए पानी की कमी है ; और

(घ) यदि हां, तो बसने वालों को काम में लगाये रखने के लिए इस बीच सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) अप्रैल और मई, 1967 में पूर्वी पाकिस्तान से आये 402 व्यक्तियों के 86 परिवारों को नील द्वीप में भेजा गया था ।

(ख) नील द्वीप में लगभग 2,500 एकड़ भूमि उद्धार के लिए उपयुक्त है । इसमें से लगभग 1,000 एकड़ भूमि के वनों को साफ कर दिया गया है । आगामी कार्यकाल में इस क्षेत्र पर प्रव्रजकों द्वारा बुवाई करने का प्रस्ताव है । चूंकि अधिक वन भूमि को साफ कर दिया जायेगा, पहले साफ की गई भूमि को नारियल के वृश रोषण करने के प्रयोग में लाया जायगा जिसके लिये इस द्वीप में अच्छी गुंजाइश है । आशा की जाती है कि अन्ततः क्षेत्र के तीन-पांचवे भाग पर बाग लगाए जायेंगे और शेष सामान्य कृषि प्रयोजन के लिये प्रयोग किया जायेगा । प्रत्येक प्रव्रजक परिवार को, पांच एकड़ भूमि जिसमें तीन एकड़ बागान तथा दो एकड़ साधारण कृषि भूमि आवंटित की जायेगी ।

(ग) इस द्वीप की भूमि नारियल के बागों के लिये अधिक उपयुक्त है । तथापि यह पाया गया है कि वृक्ष गिराकर जो भूमि साफ की जायेगी उसके दो-पंचम भाग पर धान की खेती की पैदावार की जा सकती है । द्वीप में पानी की कमी नहीं है ।

(घ) प्रव्रजक जिन्हें नील द्वीप में भेजा गया है, वे वर्तमान में बनों के वृक्षों को गिराने का कार्य कर रहे हैं । आगामी कार्यकाल में, वे इसके अतिरिक्त पहले साफ की गई भूमि पर धान की पैदावार करेंगे । उसके उपरान्त उस भूमि पर नारियल बागान लगाये जायेंगे जोकि इस प्रयोजन के लिये अधिक उपयुक्त हैं और प्रव्रजक ऐसे बागान में रोपण कार्य करेंगे ।

स्रवण क्षेत्रों में भू-संरक्षण के लिये वित्तीय सहायता

8526. **श्री अगाड़ी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने मैसूर, आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में राज्यवार 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि में नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण-क्षेत्रों में भू-संरक्षण के लिए कितनी राशि निर्धारित की तथा उनमें से कितनी व्यय हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैसूर, आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में राज्यवार 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों की अवधि में नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में भूमि-संरक्षण के लिये जितनी राशि निर्धारित की तथा उसमें से जितनी रकम व्यय हुई, उसके बारे में जानकारी निम्न प्रकार है :

मैसूर — रुपये लाखों में

वर्ष	निर्धारित की गई रकम	व्यय की गई रकम
1962-63	6.90	0.59
1963-64		3.49
1964-65	17.60	4.56
1665-66		3.96
1966-67	10·00	7.76
योग ...	34.50	20.36

आन्ध्र प्रदेश

1962-63		15.39
1963-64	60.00	13.18
1964-65		16.51
1965-66		15.91
1966-67	13.00	15.38
योग ...	73.00	76.37

महाराष्ट्र

1962-63	—	—
1963-64	—	—
1964-65	10.00	4.01
1965-66	—	6.00
1966-67	8.00	13.33
योग ...	18.00	23.34

Delhi Milk Scheme

8527. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the expenditure incurred by Government on the Delhi Milk Scheme during the years 1964-65, 1965-66 and 1966-67 ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : Expenditure incurred by the Government on the Delhi Milk Scheme in the years 1964-65, 1965-66 and 1966-67 was as follows :

1964-65	..	..	Rs. 4,83,13,854
1965-66	..	..	Rs. 6,01,17,319
1966-67	..	..	Rs. 6,94,09,106

Election Petitions

8528. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Law** be pleased to state the number of Election Petitions in respect of last general Elections which were filed in the Supreme Court and in respect of which the judgement has been pronounced and the number of those in respect of which the judgement has not so far been pronounced ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : No election petitions are filed direct in the Supreme Court ; only appeals against the orders of the High Courts are filed in the Supreme Court under Section 116A of the Representation of the People Act, 1951,

74 appeals against the orders of the various High Courts have been filed in the Supreme Court, out of those 6 have been disposed of so far.

चकमा परिवारों का पुनर्वास

8529. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ ऐसे चकमा परिवार जिन्हें पुनर्वास के लिए नेफा क्षेत्र में ले जाया गया था, हाल में कछार वापिस लौट आये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सूचना मिली है कि कुछ हितार्थी व्यक्तियों ने इन परिवारों को त्रिपुरा जाने के लिए उकसाया था जहां कि पहले ही चकमा कबीले के लोग रह रहे हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि चकमा परिवार जो नेफा में पुनः बसने के लिए अपने अग्रगामी प्रयत्न कर रहे थे, तुलनात्मक दृष्टि से उन्होंने जीवन को कष्टमय समझा और सुगमता से इन उकसाहटों के शिकार बन गये ।

डाक बक्से

8530. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश में नयी प्रकार के डाक बक्से प्रयोग में लाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इन डाक बक्सों का आकार क्या है ;

(ग) उन पर कितनी लागत आने का अनुमान है ; और

(घ) इस परिवर्तन के ब्योरा सहित कारण क्या हैं ;

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं। फिर भी लेटर बक्स के पुराने डिजाइन में सुधार करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

भूवैज्ञानिक तथा भूभौतिकीविद

8531. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में स्नातकोत्तर डिग्री वाले 5,000 से अधिक भूवैज्ञानिक तथा भूभौतिकीविद हैं ;

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों की राष्ट्रीय पंजी में कुल कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं ; और

(ग) सरकार का विचार उनको पुनः नौकरी दिलाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है जिससे देश में बेरोजगारी की समस्या को और गम्भीर होने से रोका जा सके ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) जी हां।

(ख) चार हजार से अधिक।

(ग) खनन और इससे सम्बन्धित अन्य गतिविधियों के विकास कार्यक्रम द्वारा जिसे वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित किया गया है, आशा है बढ़े हुए नियोजन अवसर प्राप्त होंगे।

अंदमान में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी

8532. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंदमान द्वीप में इस वर्ष पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थी स्थाई रूप से पुनर्वास के लिये भेजे जा रहे हैं ;

(ख) भेजे जा रहे ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या पूर्वी पाकिस्तान से और अधिक परिवार आ रहे हैं ; और

(घ) इसके पुनर्वास पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) आगामी मानसून के उपरान्त, पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रव्रजकों के 114 परिवारों को अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भेजने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां। पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजकों का आना अभी जारी है।

(घ) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों तथा बर्मा और श्रीलंका से लौटने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये 1968-69 के वर्ष में लगभग 29 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।

मिजो पहाड़ी जिले में डाक डिवीजन

8533. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में मिजो पहाड़ी जिले में एक अलग डाक डिवीजन बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विभागीय मानकों के अनुसार इस प्रस्ताव का औचित्य नहीं है।

फार्म ऋण

8534. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 में फार्म ऋण के लिये सरकार ने धन नियत किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना धन नियत किया गया है ;

(ग) बिहार के लिये कुल कितना धन नियत किया गया है और उसमें से कुल कितने प्रतिशत राशि मुंघेर जिले के लिये नियत की गई है ; और

(घ) देहाती क्षेत्रों में ऋण का वास्तविक वितरण कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1043/68**]

यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर संघ द्वारा प्रस्तावित हड़ताल

8535. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर संघ के सदस्य आगामी अक्तूबर में हड़ताल करने वाले हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) हड़ताल न हो इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

कृषि स्नातक

8536. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से अब तक देश में प्रति वर्ष कुल कितने व्यक्तियों ने कृषि स्नातक की डिग्री प्राप्त की है ;

(ख) उपरोक्त अवधि में कृषि स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है ; और

(ग) कृषि पाठ्यक्रमों के लिये प्रति वर्ष कितने अनुसूचित जातीय और अनुसूचित आदिम जातीय छात्रों को सरकार द्वारा छात्रवृत्तियां दी गई थीं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1954 से 1966 तक की अवधि में देश में जितने स्नातक तैयार हुए हैं उनके बारे में जानकारी निम्न प्रकार है :

	1954	1955	1956	1957
कुल संख्या	792	886	808	994
महाविद्यालयों की संख्या (उपरोक्त आंकड़ों के लिये)	20	21	21	24

	1958	1959	1960	1961
कुल संख्या	1,387	1,700	2,090	2,612
महाविद्यालय की संख्या (उपरोक्त आंकड़ों के लिये)	29	31	34	39

	1962	1963	1664	1965	1966
कुल संख्या	2,912	4,099	4,731	5,259	4,232
महाविद्यालयों की संख्या (उपरोक्त आंकड़ों के लिये)	46	53	56	59	63

(ख) और (ग). देश के कृषि महाविद्यालयों तथा राज्य सरकारों से जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्ति

8537. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 15 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 576 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963-64 से अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में बसाये गये पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों में अनुसूचित जातियों के लोगों सम्बन्धी जानकारी इस बीच इक्ट्ठी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1949 और 1963 के बीच वहां बसाये गये कुल 2861 परिवारों में से ऐसे अनुसूचित जातियों के परिवारों की संख्या कितनी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). जी, हां । संघ क्षेत्र अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में किसी समुदाय को भी अनुसूचित जाति घोषित नहीं किया गया है । तथापि नये प्रव्रजकों में से जिन्हें 1965, 1966 और 1967 के वर्षों के अन्तर्गत द्वीप में भेजा गया था, उनमें से 382 परिवारों ने घोषित किया है कि वे पूर्वी पाकिस्तान में अनुसूचित जाति के सदस्य थे ।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

हरिजनों के विरुद्ध आन्ध्र प्रदेश के कृषि मंत्री का कथित वक्तव्य

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

"Reported statement by the Agriculture Minister of Andhra Pradesh against Harijans".

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : अध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान 24 अप्रैल, 1968 के "पैट्रियेट" समाचार-पत्र में प्रकाशित आन्ध्र प्रदेश के कृषि मंत्री की समाचार-पत्र संवाद्दाताओं के साथ हुई अनौपचारिक बातचीत के समाचार की ओर दिलाया गया है । राज्य सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

मैंने इस बारे में आन्ध्र-प्रदेश के मुख्य मंत्री, जो आजकल दिल्ली में हैं, से आज विचार-विमर्श किया है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वह इस मामले की स्वयं जांच करके मुझे अपनी रिपोर्ट भजेंगे।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : तब तक उन्हें निलम्बित कर दीजिए।

श्री प्र० रं० ठाकुर (नवद्वीप) : आप समाचार-पत्र संवाद्दाताओं से रिपोर्ट देने के लिये क्यों नहीं कहते हैं ?

Shri Rabi Ray : I am surprised to hear the reply of the Home Minister to my call attention motion. What was the utility of having talks with the Chief Minister ? A Harijan boy was burnt in Andhra Pradesh. Harijans are not receiving good treatment in Andhra Pradesh and Maharashtra. In both these States the Congress is in power. May I seek the assurance.....

अध्यक्ष महोदय : आपकी सुविधा के लिये मैं एक सुझाव दूंगा। गृह-कार्य मंत्री महोदय का कहना है कि उनके पास जानकारी नहीं है। बिना जानकारी के वह माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते हैं ? जानकारी उपलब्ध हो जाने पर वह सभा को दे देंगे।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : मंत्री महोदय हमें आश्वासन दें कि वह जानकारी देंगे।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एरिंग) : मैं श्री अन्नासाहिब शिन्दे की ओर से ... ... **(अन्तर्वाधा)**।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : What is going on.

Shri George Fernandes (Bombay-South) : We want the resignation of that Minister. The Home Minister should assure the House that that Minister will be removed.

श्री शिव नारायण : मैं एक साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुख्य मंत्री आजकल दिल्ली में हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह स्थगित कर दिया गया है। यह ठीक है कि मुख्य मंत्री यहां हैं। किन्तु गृह-कार्य मंत्री महोदय के पास जानकारी नहीं है। जानकारी के मिलने पर सभा को दे दी जायेगी। इसके लिये मंत्री महोदय को कुछ समय अवश्य चाहिये।

Shri George Fernandes : He should be dismissed from the Cabinet. He is not fit for holding a portfolio of a Minister.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : May I know whether the Home Minister has tried to cantact the Agriculture Minister of Andhra Pradesh ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। गृह कार्य मंत्री महोदय ने मुख्य मंत्री से बातचीत की थी। मुख्य मंत्री को इसके बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि वह परसों दिल्ली आ गये थे। वे दोनों ही मामले की सत्यता का पता लगायेंगे।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : गृह कार्य मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने मुख्य मंत्री से बातजीत की थी किन्तु मुख्य मंत्री महोदय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वह सम्बन्धित मंत्री से बातचीत नहीं कर पाये थे। उन्हें उन मंत्री महोदय से बातचीत करनी चाहिए थी **जो** चाहते थे कि हरिजनों को पीटा जाना चाहिए। **(अन्तर्बाधाएं)**।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। मैं बता चुका हूं कि यह मामला स्थगित कर दिया गया है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : निस्संदेह इस समाचार से सबको खेद है। मैं समझता हूं कि कोई समझदार व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति पैदा हो जाने पर मेरा कर्तव्य राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाना है। सम्बन्धित मंत्री से टेलीफोन पर सम्पर्क स्थापित करना पर्याप्त नहीं होगा। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को भी इस मामले की जानकारी नहीं थी। उन्होंने टेलीफोन पर सम्बन्धित मंत्री से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया किन्तु वह सम्पर्क स्थापित नहीं कर सके। अब उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वह इस मामले की स्वयं जांच करके मुझे रिपोर्ट देंगे। और अधिक मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री प्र० रं० ठाकुर : यदि ऐसी घटना पश्चिम बंगाल में हो जाती तो उन्हें सदस्यता से हटा दिया जाता।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से कई बार कह चुका हूं कि यह उचित नहीं है।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : गृह-कार्य मंत्री महोदय के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि वह इसे एक साधारण मामला समझते हैं। हम समझते हैं कि यह एक अविलम्बनीय महत्व का मामला है। अतः इस मामले में जानकारी यथाशीघ्र प्राप्त की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम दो दिन का समय देंगे। दो दिन के अन्दर जानकारी मिल जानी चाहिए। मुख्य मंत्री को हैदराबाद वापिस जाना है।

Shri Madhu Limaye : He need not go back. He can be cantacted on the phone.

अध्यक्ष महोदय : टेलीफोन पर सम्पर्क स्थापित करने से कोई लाभ नहीं है। वह टेलीफोन पर बात करने से इन्कार कर सकते हैं।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : यह एक ऐसा मामला है जिस पर सभी को खेद है। हम चाहते हैं कि इस संबंध में अच्छी तरह चर्चा की जाये। इसके लिए आधे घंटे का समय बहुत कम है। अतः इस पर चर्चा के लिए कम से कम दो घंटे का समय दिया जाना चाहिए ताकि लगभग सभी दलों के सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल सके। मेरा अनुरोध है कि कल या परसों इसके लिए दो घंटे का समय नियत किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है । मैं भी आन्ध्र प्रदेश से सदस्य हूं । मैंने कल इस बारे में सूचना मिलते ही इसे स्वीकार कर लिया । अब इसका उत्तर गृह-कार्य मंत्री को देना है न कि मुझे । सामान्यतः मैं इसे स्वीकार नहीं करता । किन्तु इसे स्वीकार न करने पर गलतफहमी हो सकती थी । अब गृह-कार्य मंत्री महोदय इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जब इस पर चर्चा के लिए कहेंगे मैं उसकी स्वीकृति दे दूंगा । क्या सोमवार ठीक रहेगा ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रंगा ने भी सुझाव दिया है तथा अन्य ध्यान दिलाने की सूचनाएं भी आई हैं । अब सबको सोमवार को लिया जायेगा ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एरिंग) : मैं श्री अन्नासाहेब शिन्दे की ओर से अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं को एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) मध्य प्रदेश अनाज (सीमा परिवहन पर प्रतिबंध) संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 15 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 716 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) पश्चिमी बंगाल चावल (वहन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 17 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 746 में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) जी० एस० आर० 747 जो दिनांक 17 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बिहार से दालों का निर्यात निषिद्ध करने वाले दिनांक 1 नवम्बर, 1966 के बिहार सरकार के आदेश संख्या 21807-एस० सी० का विखंडन किया गया ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-1021/68]

औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा (नियंत्रण) दूसरा संशोधन नियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं निम्नलखित

पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) पश्चिमी बंगाल राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 30-आई० आर०/आई० आर० 4/1ए-1 (ए)/64-पी० टी० की एक प्रति जो दिनांक 25 जनवरी, 1968 के कलकत्ता राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में कतिपय उद्योग जोड़े गये ।

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1848 की धारा 95 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (नियंत्रण) दूसरा संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 6 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 677 में प्रकाशित हुए थे ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-1022/68]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

चौवनवां प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्द्याल) : मैं शिक्षा मंत्रालय—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक सभा) के एकसौदौवें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में प्राक्कलन समिति का चौवनवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

सोलहवां, सत्रहवां तथा अठारहवां प्रतिवेदन

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्न प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :

(1) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (तीसरी लोक-सभा) के 39वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 16वां प्रतिवेदन ।

(2) वर्ष 1961-62 के लिए दामोदर घाटी निगम के लेखे सम्बन्धी परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में लोक लेखा समिति (तीसरी लोक-सभा) के 15वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 17वां प्रतिवेदन ।

(3) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (तीसरी लोक-सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 18वां प्रतिवेदन ।

एपीजे शिपिंग कम्पनी के बारे में 22 अप्रैल, 1968 को खाद्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर प्रश्न

QUESTIONS ON STATEMENT MADE BY FOOD MINISTER ON 22nd APRIL, 1968 Re: APEEJAY SHIPPING COMPANY

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Minister of Food and Agriculture had corrected his reply on 22 April, 1968 regarding recall of Shri A. M. Thomas. First of all the statement made by the Hon. Minister on 22nd April, 1968 is not fully correct. He stated in his reply on 11th April, 1968 that there was nothing unusual in that. I want to know whether they are unaware of the reply given to Starred Question No. 626 on 13th March, 1968 by the Prime Minister that the normal procedure prescribed is for files and papers coming up for decision to pass on from the lower level to the higher level and reach the Minister through a Joint Secretary/Secretary. In specific cases a Deputy Secretary may also deal direct with the Minister.

I wrote a letter to Prime Minister on 16th February, 1968 wherein I **inter alia** asked in categorical terms that Shri A. M. Thomas should be recalled from Australia, because he took no action against Apeejay Shipping Company even after calling the said file in an extra-ordinary manner. I asked a question on 11th April, 1968 which was addressed to the Prime Minister. The reply to my question was given by the Food Minister, Shri Jagjiwan Ram. He said that an extract from the said letter (Shri Limaye's letter) regarding the recall of Shri Thomas was not sent to his Ministry or Ministry of External Affairs. He also said on 11th April that "the External Affairs Ministry advised my Department that they were not aware of any demands for the recall of Shri A. M. Thomas". Here I would like to point out that the Prime Minister and the Minister of External Affairs is one and the same person. I addressed a letter to the Prime Minister who is Minister of External Affairs also. As such why the External Affairs Ministry advised the Department of Food that they were not aware of any demand for the recall of Shri A. M. Thomas. Secondly, may I know why the Prime Minister did not refer for comments the demand of recall of Shri Thomas ? Will the Prime Minister give a reply to this question ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैंने एक बात तो यह कही थी कि उपमंत्री द्वारा फाइल को सीधे मंगाकर देखे जाने में कोई गलती नहीं

है क्योंकि यदि कोई मंत्री किसी फाइल को देखना चाहता है तो वह फाइल को सीधी मंगाकर देख सकता है तथा ऐसे अवसर पर साधारण प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे श्री थामस ने फाइल यह देखने के लिये मंगाई थी कि चावल की कम सप्लाई या कम चावल उतारने के सम्बन्ध में क्या सरकार को धोखा दिया गया है। उपमंत्री ने देखा कि सावधानी बरतने के लिये कार्यवाही की जा रही है। वह उस कार्यवाही से संतुष्ट थे और उन्होंने फाइल लौटा दी। उनके विचार से यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें श्री थामस से स्पष्टीकरण मांगा जाता या उनसे पूछताछ की जाती।

Shri Madhu Limaye : I want an answar from the Prime Minister.

अध्यक्ष महोदय : वैसे तो प्रश्न खाद्य मंत्री के नाम पर था। परन्तु यदि प्रधान मंत्री इस बारे में उत्तर देना चाहें तो वह इसका उत्तर दे सकती हैं।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : श्री थामस को वापस बुलाने की मांग इस आधार पर की गई थी कि कोई गलती थी। खाद्य मंत्रालय से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक वापसी के लिये कोई मामला नहीं बनाया जाता तब तक मेरे लिये यह आवश्यक नहीं होता कि मैं विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी दूँ।

Shri Madhu Limaye : Sir, now she says that she is under no obligation to inform the External Affairs or anybody else. It is a disrespect shown to the House. Because my question—"whether a demand has been made for his recall in view of the suspicious circumstances, and if so, the reaction of the Government thereto"—was admitted by you. First of all she got this question transferred from her name to in the name of Food Minister. Now she says that she is not responsible for it. I am raising a point of order, which is very important one.

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

Shri Madhu Limaye : It was her duty to give answer to my question. Now she says, "I am under no obligation". May I know whether we have not got any rights and privileges in this House ? If we have, who will reply to my question.

श्री रंगा (श्री काकुलम) : यहां पर तो प्रधान मंत्री सर्वेसर्वा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप व्यवस्था के प्रश्न पर भी वाद-विवाद करना चाहते हैं। मेरे विचार से तो व्यवस्था के प्रश्न पर वाद-विवाद नहीं होना चाहिये। व्यवस्था के प्रश्न पर तो अध्यक्ष को अपना निर्णय देना होता है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : दूसरों को भी अपनी दलील देने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री रंगा : मेरे विचार से तो व्यवस्था के प्रश्न के समर्थन और विरोध में जो-जो सदस्य कुछ कहना चाहें, वे कह सकते हैं और उनके द्वारा दिये गये तर्कों पर आप निर्णय करते समय

विचार कर सकते हैं। यह तो आप पर ही निर्भर होता है कि आप व्यवस्था को स्वीकार करें अथवा अस्वीकार करें।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : व्यवस्था के प्रश्न से केवल अध्यक्ष और उस सदस्य का सम्बन्ध होता है, जो उसे उठाता है। किसी अन्य सदस्य को, चाहे वह किसी दल का नेता ही क्यों न हो, उसे बढ़ाकर या घटाकर कहने का अधिकार नहीं होता।

श्री नाथ पाई : मैं श्री मधु लिमये के व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन करता हूँ। मेरा भिन्न व्यवस्था का प्रश्न नहीं है क्योंकि एक व्यवस्था के प्रश्न पर दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मेरे विचार से प्रधान मंत्री का वह बात कहने का इरादा नहीं था जो वह कह गईं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यदि मेरे कथन से कोई गलत-फहमी पैदा हो गई है तो मुझे इसका अफसोस है। मैंने 'आब्लिगेशन' का शब्द सभा के लिये प्रयोग नहीं किया था। वह मैंने विदेश मंत्रालय के लिये प्रयोग किया था।

श्री रंगा : विदेश मंत्रालय से मामला कृषि मंत्रालय में भेजा गया। कृषि मंत्रालय कहता है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अब प्रधान मंत्री कहती हैं कि कृषि मंत्रालय या विदेश मंत्रालय को जानकारी देने के लिये वह उत्तरदायी नहीं हैं। इस दशा में प्रधान मंत्री का क्या काम रह जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों के विचार अवश्य जानना चाहता हूं। परन्तु यदि प्रत्येक मिनट के बाद सदस्य इस प्रकार खड़े होकर स्वेच्छा से बोलना शुरू कर देंगे, तो काम कैसे चलेगा। कुछ दल के नेताओं की तो बात सुनी जा सकती है, सब सदस्यों को तो इस प्रकार का अवसर नहीं दिया जा सकता। अब श्री नाथ पाई जी समाप्त करें।

श्री नाथ पाई : मेरा विचार यह है कि प्रधान मंत्री इस सभा के प्रति उत्तरदायी हैं और जो बात सभा जानना चाहती है, प्रधान मंत्री इसका उत्तर देनें के लिये जिम्मेदार हैं। इसलिये प्रधान मंत्री का यह कहना कि "मेरे ऊपर दायित्व नहीं है" उचित नहीं है और उन्हें ये शब्द वापस लेने चाहिये।

Shrimati Indira Gandhi : I received a letter from Shri Madhu Limaye. It mentioned **inter alia** something about Apeejay Shipping Company, so the relevant extracts were sent to the Ministry of Food. The demand of recall was not referred to either the Ministry of External Affairs or the Ministry of Food. After receiving the Comments thereon from the Ministry of Food I deemed that no action is necessary in the matter. Immediately I decided that Shri Thomas is not to be recalled. As far as this House is concerned, I am fully responsible to it

श्री मधु लिमये : मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर तो आप निर्णय दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार ही नहीं किया है ।

Shri George Fernandes (Bombay South) : The question was to be answered on 10th April by the Minister of External Affairs, who is herself Prime Minister. The answer to the said question should have been prepared by 10th April in the External Affairs Ministry. This question was transferred on 10th April in the name of Ministry of Food and the Minister of Food, Shri Jagjiwan Ram gave a reply to it on 11th April. May I know the reason why the draft reply of the said question regarding the recall of Shri Thomas was not sent to the Minister of Food alongwith the question. At one place the Food Minister said that the Ministry of External Affairs intimated the Deptt. of Food that they have no information about the recall of Shri Thomas. In the end of his statement he said that "after full consideration of the matter, the Government are satisfied that no action is necessary on the suggestion made by Mr. Limaye for the recall of Mr. A. M. Thomas." Such a decision might have been taken by the Prime Minister herself or in the Ministry of External Affairs. May I know whether Government took any action after receiving a letter from Shri Madhu Limaye; if so, the result thereof ?

श्री जगजीवन राम : मेरे मंत्रालय को केवल प्रश्न भेजा गया था उसके उत्तर का प्रारूप नहीं । इसलिये वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से उस सम्बन्ध में पूछना अनिवार्य था । जो उत्तर वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने हमारे पास भेजा था, वह सभा को दे दिया गया था । चूंकि श्री थामस से पूछने की कोई बात नहीं थी, अतः उनसे इस सम्बन्ध में कोई पूछताछ नहीं की गई ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : कार्य-मंत्रणा समिति ने औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय से सम्बद्ध अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिये केवल दो घंटे नियत किये हैं । अतः किसी भी सदस्य को आधा घंटा नहीं दिया जा सकता । समाज कल्याण की अनुदानों की मांगों के लिये 4 बजे म० प० से 7 बजे म० प० तक का समय नियत किया गया है । मांगों पर चर्चा का आज अन्तिम दिन है और 7 बजे म० प० मांगों पर चर्चा समाप्त कर दी जायेगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

अनुदानों की मांगें—1968-69—जारी
DEMANDS FOR GRANTS—1968-69

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय से सम्बद्ध मांगों पर विचार और मतदान होगा। जो सदस्य मांगों पर कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहें, वे अपनी पर्ची पटल पर 15 मिनट के अन्दर भिजवा दें।

वर्ष 1968-69 के लिये औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें पेश की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
53	औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय	66,03,000
54	उद्योग	3,66,20,000
55	नमक	50,09,000
56	औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय।	94,85,000
119	औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय।	8,61,57,000

उपाध्यक्ष महोदय : इन पर ठीक चार बजे मतदान होगा। कांग्रेस की ओर से एक या दो सदस्य बोलेंगे। विपक्ष के सदस्यों से भी मेरा अनुरोध है कि वह समय-सीमा का पालन करें। श्री नन्दकुमार सोमानी को दस मिनट मिले हैं। श्री नन्दकुमार सोमानी।

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : आज हमारा देश औद्योगिक विकास के नाजुक दौर से गुजर रहा है। जिन नीतियों को आज हम अपनाते हैं, जिन्हें भारत सरकार आगे प्रस्तुत करती है, वे हमारे भविष्य के बारे में बहुत कुछ बतायेंगे। उनसे यह पता चलेगा कि क्या हमारे यहां स्थिरता, मन्दी, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति कम आय, कम उत्पादन तथा कम निर्यात होता रहेगा अथवा कभी ऐसा अवसर आयेगा जब हमारी इन स्थितियों में कोई सुधार हो सकेगा। यह सब हमारी नीतियों पर निर्भर करेगा। हमारे देश में नीति सम्बन्धी निर्णय लेने की प्रतिक्रिया में कुछ बड़ी भारी कमी है। हम कीमतों को घटाने-बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। हम एकाधिकार के पक्ष में भी नहीं हैं,

लेकिन हमें इस अवस्था में यह नहीं भूलना चाहिये कि यदि हमें विश्व से मुकाबला करना है, यदि हमें विकसनशील देशों के साथ प्रतियोगिता करनी है तो हमें देखना होगा कि आर्थिक आकार की कौन सी प्रौद्योगिकी, उत्पादन के कौन से औजार, किस प्रकार के कराधान के स्तर इस देश में परिचालित हो रहे हैं, हमें अपने देश की बातों के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों में जो कुछ हो रहा है उस पर गौर करना होगा।

इसलिये जब कभी कोई महत्वपूर्ण नीति विषयक निर्णय किया जाता है तो यह किसी के दबाव में आकर या धमकी में आकर नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक नीति विषयक निर्णय लेने का सम्बन्ध है हमें 'कम्प्यूटर टेकनोलौजी' को अपनाना होगा। हम भली प्रकार जानते हैं कि हमारे देश में क्या-क्या क्षेत्र हैं, क्या सीमाएं हैं और कीमत निर्धारण सम्बन्धी निचले ढांचे की क्या सीमाएं हैं। इसलिए जब हम कभी किसी उद्योग के परिचालन की बात करते हैं तो हमें कम्प्यूटर की सहायता से इन निर्णयों का स्वांगीकरण कर देना चाहिए और इस प्रकार कम्प्यूटर से जो भी युक्ति-संगत, वैज्ञानिक और विकासशील उत्तर मिलें हमें उनका पालन करने योग्य होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि इस मंत्रालय को उत्प्रेरक एजेंटों के रूप में काम करना पड़ता है तथा औद्योगिक दृष्टि से पुराने और रूढ़िवादी समाज को एक ऐसे आधुनिक समाज में बदलना होता है जिसमें औद्योगिक मामलों, कम्पनी विस्तार तथा अन्य ऐसे मामलों के बारे में देश के हित में निर्णय करने का काम पेशेवर प्रबन्धकों पर छोड़ दिया जाता है।

खेद की बात है कि मन्दी से हमने कुछ सबक नहीं सीखा। मैं समझता हूं कि मन्दी के कारण बहुत भारी कष्ट उठाने पड़े और इससे कई करोड़ रुपये के उत्पादन की क्षति हुई और 2,00,000 से भी अधिक श्रमिकों पर इसका कुप्रभाव पड़ा। लेकिन हमने मन्दी के बारे में कोई दीर्घकालीन अध्ययन नहीं किया है और न ही जहां उत्पादकता तथा प्रगति की सम्भावना है वहां के लिए हमने कोई सहायक नीतियां अपनाई हैं।

हमारे देश में पर्याप्त संसाधन हैं लेकिन मन्त्रालयों के बीच कोई अच्छा समन्वय नहीं है। यथा यह कहा गया है कि 1970-71 के पश्चात् हैवी इंजीयरिंग कारपोरेशन, रांची, को कोई आदेश (आर्डर) नहीं मिलेगा और शायद इसे बन्द ही करना होगा। इसलिये सरकारी क्षेत्र में अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई परियोजना बनाते समय हमें देखना होगा कि यह अपनी अधिकतम क्षमता का प्रयोग कर सकें और देश की न्यूनतम लागत आये। कागज उद्योग लगातार हानि उठा रहा है और मन्त्रालय इस पर तनिक भी गौर नहीं कर रहा है। अगर अगले वर्ष या उसके पश्चात् देश में कागज की कमी हुई और इसकी चोर बाजारी हुई तो इसका कारण इस मंत्रालय की नीतियां होंगी और मंत्री महोदय कागज की इस कमी के लिये प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होंगे।

सरकार छोटी कार का निर्माण करने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक नया कारखाना खोलने जा रही है। मैं नहीं जानता इसकी क्या आवश्यकता है। क्या हमारे पास इतनी विदेशी

मुद्रा है ? इस पर 32-35 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की लागत आयेगी और फिर भी हमें पूरी आशा नहीं है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी । इसके बजाय अगर हम देश के वर्तमान मोटर गाड़ी निर्माताओं को 5-6 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दे दें तो कारों का निर्माण पर्याप्त बढ़ जायेगा और इन्जीनियरिंग उद्योगों में जो अनुपयुक्त क्षमता, अलाभकर उत्पादन है वह समाप्त हो जायेगा ।

जहां तक देशी प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने बहुत कम काम किया है और यह बिल्कुल ठीक समय है जब कि हमें इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए और इन प्रयोगशालाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए तथा अधिक लाभकर परियोजनाएं तैयार की जानी चाहिये जिससे कि हमें विदेशी आयातित प्रौद्योगिकी से छुटकारा मिल सके और अपने लोगों को उत्साहित कर सकें ।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi): This Ministry has done nothing useful during the last one year. It has utterly failed in fulfilling its responsibility of industrial development in the country. All the industries are facing recession except a few like chemical, fertilizer and petroleum. The worst thing is that there is no hope of industrial development in future also because it has not been mentioned in its report and policy resolution that there is any scheme for industrial development for future. There is a necessity of full review of the previous industrial policy.

In an agricultural country like India there should have been two objectives of industry, firstly, to support agriculture and secondly, to make strong the defence of the country but our policy do not have these two objectives. It has not contributed towards the defence of the country and also did not make up the deficiency of the agriculture. It has failed both way. As a result of this policy, today we are having a worst economic system in the country. So long this policy is not changed and there is no complete change in the industrial development Act there will be no industrial development in the country. It is the need of the hour to improve the economic system of the country. New policy should be made.

श्री राजाराम (सलेम) : औद्योगिक विकास विभाग, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में छोटे तथा बड़े पैमाने के उद्योगों के व्यवस्थित विकास को प्रोत्साहन देकर देश के शीघ्र औद्योगीकरण के लिए उत्तरदायी है । लेकिन देश के अनेक भाग अभी पिछड़े हुए हैं, कई राज्यों की उपेक्षा की जा रही है, राज्यों द्वारा किये गये निवेदनों पर ध्यान नहीं दिया जाता । उदाहरणार्थ, यहां तक कि जब मद्रास में कांग्रेस सरकार थी तब वहां के उद्योग मंत्री ने सलेम में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए एक लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र भेजा था लेकिन उसका अभी तक केन्द्रीय सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में ढुलमुल नीति अपनाई गयी । इसी कारण देश को मन्दी का सामना करना पड़ा । इतना ही नहीं बल्कि 83,000 से अधिक स्नातक और डिप्लोमा प्राप्त इन्जीनियरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा । यदि इस विभाग ने अपना कार्य अच्छी प्रकार किया होता तो यह स्थिति कभी न उत्पन्न

होती । इस विभाग ने देश में उद्योगों का विकास नहीं किया है । हमने देश में तीन आटोमोबाइल यूनिट स्थापित किये हैं जिनमें स्टैंडर्ड, फिएट तथा अम्बेसेडर कारों का निर्माण होता है । लेकिन इन यूनिटों का कार्य संतोषजनक नहीं है । भारतीय मानक संस्था द्वारा विशिष्ट-विवरण दिये जाने के बावजूद भी ये कारें अच्छी सेवा नहीं दे रही हैं, ऐसी कारों का निर्यात भी नहीं किया जा सकता ।

हमारा देश कृषि-प्रधान है और हमें शक्ति (बिजली) से चलने वाले हलों की आवश्यकता है । हमारे कृषकों के पास थोड़ी-थोड़ी भूमि है । हमने केवल 252 हलों का निर्माण किया है । जापान ने 1500 रुपये की लागत पर ऐसे हल तैयार किये हैं और वहां के कृषक उनका अच्छा उपयोग कर रहे हैं । हमें गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगपतियों को ऐसे हलों के निर्माण का परामर्श देना चाहिए क्योंकि देश में कृषि विकास के लिए ऐसे हलों की एक बड़ी संख्या में आवश्यकता है, अथवा सरकारी क्षेत्र ही ऐसा कार्य आरम्भ क्यों नहीं कर देता ?

श्री सी० एन० अन्नादुराय ने अपने बजट भाषण में कहा था कि भारत सरकार मद्रास राज्य में 'मोलिस्टर' धागे का निर्माण करने के लिए एक कारखाना स्थापित करने के लिये एक लाइसेंस देने का विचार रखती है जिसमें गैर-सरकारी क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये का पूंजी व्यय होगा । हमने इस कारखाने के लिए लाइसेंस मंजूर करने के लिए आग्रह किया था लेकिन अभी तक मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । मेरे विचार से देश में भेद-भाव की भावना व्याप्त है और उत्तर तथा दक्षिण का झगड़ा चल रहा है । मंत्री महोदय को लाइसेंस मंजूर करने के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए । मद्रास के मुख्य मंत्री ने यह अनुरोध भी किया है कि भारतीय टेलीफोन उद्योगों का दूसरा यूनिट मद्रास में स्थापित किया जाये । सरकार को इसे मान लेना चाहिए ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
53	2	श्री श्रीनिवास मिश्र	एक कारगर औद्योगिक नीति बनाने में असफलता ।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये ।
53	3	श्री श्रीनिवास मिश्र	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा कार्य-संचालन ।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये ।
54	22	श्री श्रीनिवास मिश्र	छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने में विषमता रोकने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
54	23	श्री श्रीनिवास मिश्र	औद्योगिक सहकारी समितियां गठित करने में धीमी गति ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
49	31	श्री श्रीनिवास मिश्र	सांभलपुर (उड़ीसा) के निकट बढ़िया किस्म के चूने के पत्थरों के भण्डार का दोहन करने के लिए दूसरी सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
49	32	श्री श्रीनिवास निश्र	ट्रैक्टरों के निर्माण की धीमी प्रगति ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
49	33	श्री श्रीनिवास मिश्र	दोषपूर्ण आयोजन और प्रशासन के कारण हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को हुई हानि ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री प्र० कु० घोष (रांची) : देश में औद्योगिक उत्पादन के दर में कमी चिन्ता का एक विषय बन गया है । औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारण मांग के सामान्य स्तर में गिरावट आना है । इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए समुचित नीति यही होगी कि उद्योगों को अपने उत्पादन में वृद्धि करने तथा तीव्र गति से विकास करने के लिए उत्साहित करके ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जायं जिनसे जनसधारण की क्रय-शक्ति में वृद्धि हो । औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ रोजगार के नये अवसर बढ़ेंगे और इससे लोगों की क्रय-शक्ति भी बढ़ेगी । औद्योगिक उत्पादन में कमी का कारण काफी सीमा तक सरकारी उपक्रम भी हैं । औद्योगिक क्षेत्र में विकास की इस प्रकार की प्रवृत्ति के कारण हैं, श्रमिक अशान्ति, और सरकारी उपक्रमों का कार्य उन आई० सी० एस० तथा आई० ए० एस० अधिकारियों को सौंप देना जिन्हें कोई अनुभव प्राप्त नहीं है । इन अधिकारियों को श्रमिकों से कोई सहानुभूति नहीं है । वे ऐसी नीतियों को अपनाते हैं जिनके द्वारा श्रमिक अपनी आवश्यक सुविधाओं से बंचित हो

जाते हैं। इस प्रकार श्रमिक हताश हो जाते हैं और उत्पादन को बढ़ाने में पूरा योगदान नहीं देते। इसका परिणाम यह होता है कि उत्पादन कम हो जाता है और करोड़ों रुपये का घाटा होता है। इसके अतिरिक्त उपक्रमों में गुटबन्दी, प्रान्तीयता, पक्षपात और भाई भतीजावाद भी दिखाई देता है। सबसे खतरनाक जो है वह है इनमें साम्प्रदायिकता।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स कारपोरेशन, रांची के अन्तर्गत हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट अनिश्चित अवस्था में है। वरिष्ठ इंजीनियरों की राय में यह प्लांट बोकारो के लिए सप्लाई को कभी भी पूर्ण न कर सकेगा। बहुत से उपकरण जिनका निर्माण हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट में हो सकता था बोकारो के लिए रूस से मंगाये जा रहे हैं। इसका कारण है कारखाने के जनरल मैनेजर द्वारा पक्षपात, प्रान्तीयता तथा भाई भतीजावाद का अपनाया जाना जिसके कारण कर्मचारियों में एक असंतोष की भावना व्याप्त है। तकनीकी पर्यवेक्षण कर्मचारियों की शिकायत है कि संगठन चार्ट मनमाने ढंग से तैयार किया गया है। इसमें तकनीकी कर्मचारियों की अपेक्षा प्रशासनिक कर्मचारियों का अधिक पक्ष लिया गया है। हम एक ऐसे मुख्य उपक्रम में जिस पर कि देश का भविष्य निर्भर है ऐसी बात नहीं होने देंगे। इसलिए अन्य सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों के प्रसिद्धि प्राप्त इंजीनियरों द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिये और उन्हें संगठन चार्ट बनाने का काम भी सौंप देना चाहिए तथा वर्तमान जनरलमैनेजर को हटा देना चाहिए। उद्योग विभाग द्वारा छोटे उद्योगों की उपेक्षा की जा रही है। छोटे उद्योग सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन का 33 प्रतिशत दे रहे हैं और सम्पूर्ण औद्योगिक श्रमिकों के 35 प्रतिशत को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन हम उन्हें औद्योगिक कच्चे माल का केवल 6 प्रतिशत भाग दे रहे हैं। हमें उद्योगों के राज्य निदेशकों को औद्योगिक कच्चे माल का 50 प्रतिशत तथा कच्चे माल के लिए विदेशी मुद्रा का 50 प्रतिशत दे देना चाहिए ताकि छोटे उद्योग उनसे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकें।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति औद्योगिक विकास मंत्रालय के कार्य की ओर संकेत करती है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति का आधार ही गलत है। जैसा कि हमारा अनुभव है भारतीय उद्योग विदेशी सहयोग, विदेशी शैल्पिक ज्ञान, विदेशी मुद्रा, विदेशी मशीनों और उपकरणों आदि पर निर्भर करता है। एकाधिकारवादियों ने भी हमारे उद्योगों को हथियाया। इन्होंने सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों से अधिकतम लाभ कमाने के प्रयत्न किये। केवल औद्योगिक नीति संकल्प को समाप्त ही नहीं किया गया है अपितु सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र को उन औद्योगिक क्षेत्रों में भी अतिक्रमण करने दिया है जो कि वर्ष 1948 और 1956 के औद्योगिक नीति संकल्पों के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। यह सब जानते हैं कि जब सीमेंट निगम स्थापित किया गया था तब इसका उद्देश्य सीमेंट का निर्माण करना था। लेकिन अभी तक इसके द्वारा जरा सा भी सीमेंट का उत्पादन नहीं किया गया है। इसका मुख्य कार्य सारे भारत में केवल सीमेंट का वितरण करना है। यह कहा जाता है कि यहाँ औद्योगिक मन्दी है। हमारे माल-डिब्बे बनाने वाले उद्योग और अन्य इंजीनियरिंग उद्योगों को क्या हुआ ? पिछले कुछ महिनों से हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि माल-डिब्बे दक्षिण कोरिया, दक्षिण वियतनाम और अन्य देशों को निर्यात किये जा रहे हैं। सोवियत रूस, हंगरी और

यूगोस्लाविया के साथ भी माल-डिब्बे सप्लाई करने के सम्बन्ध में करार हुआ है। मंत्री महोदय को वैगन उद्योग की स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि देश में बहुत से वैगन कारखाने कई महिनों से बन्द पड़े हैं, सरकार को धोखा देने का प्रयत्न किया जा रहा है और उद्योगों को कई महिनों तक बन्द रखा जाता है।

कच्चे माल की सप्लाई की कमी के कारण छोटे-पैमाने के उद्योगों को हानि उठानी पड़ रही है। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए कच्चे माल की सप्लाई के सम्बन्ध में भेदभाव किया जाता है, उनको अनुदान भी अपर्याप्त मात्रा में दिया जाता है, उनके लिए विपणन और आधुनिकीकरण की व्यवस्था भी अपर्याप्त है। जब तक हम छोटे और मध्यम उद्योगों को सहायता नहीं देते और उनकी बड़े-बड़े व्यापारियों से रक्षा नहीं करते तब तक भारतीय औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। सरकार को जनसाधारण की आवाज को सुनना चाहिए और औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि छोटे और मध्यम उत्पादक एक समृद्ध औद्योगिक क्षेत्र बनाने में समर्थ हो सकें।

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. Deputy Speaker, I stand to oppose the demands for grants relating to the Department of Industrial Development and Company Affairs. In fact, the meaning of industrialisation is not clear to Government. It should be clarified. Heavy industries have not been set up in sufficient number and the existing heavy industries have not been working to full capacity. Corruption is rampant in both public and private sectors.

From the reports of three committees set up by Government it is evident that there has not been any industrialisation in the country. Only some industries have been set up at some places.

No policy about industrialisation can be successful unless other policies about property, language, caste and administration, which are related to it, are not implemented. Disparities should be removed and harmonious relations established between the employers and the employees.

The Managing Agency system is very defective. Shri Dutta, while disagreeing with the report of Mahalnobis Committee, has made comments that this system has led to concentration of economic power. Therefore, this system should be done with. Government should soon come forward with a scheme in this regard.

I would also like to say something about contributions being made by companies to political parties. This thing is not proper, Government should pay attention to this aspect. Government had given an assurance to bring forward a bill to ban contributions by companies to political parties. But it is doubtful that such a Bill would be brought forward because big leaders of Congress Party are against it. The Estimates Committee in its 9th report has given a very important suggestion which says :

देश के औद्योगीकरण के क्षेत्र में हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि यदि आत्मनिर्भरता

के बारे में वास्तव में ही सार्थक बनना है तो यह आवश्यक है कि विशेषज्ञों की किसी संस्था द्वारा औद्योगीकरण की नीति पर व्यावहारिक दृष्टि से पुनर्विचार किया जाय ।

Government should consider this suggestion.

Like Agricultural Commission, an Industries Commission should be set up which would suggest how concentration of wealth, which has taken place during the last 20 years, should be stopped and industrialisation effected.

Birla Brothers have accumulated huge wealth by unfair means. An Enquiry Commission on the lines of Vivin Bose Commission should be set up to look into the affairs of Birla Brothers.

Small scale industries are not flourishing due to the influence of big industries.

As I have just stated, an industrial commission should be appointed to make an assessment of industrialisation done during the last 20 years and recommend the manner in which industrialisation should be made in future.

Industries should be set up in backward states like Bihar, Orissa, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh etc. in order to increase the per capita income of these states.

Shri Bhola Nath (Alwar) : This is a good thing that the work of co-ordination relating to matters of rural industrialisation has been entrusted to this Ministry. It is a matter of regret that mostly industries are being set up in big cities like Calcutta and Bombay and no attention is being paid towards industrialisation in villages. Industries should be decentralised and a scheme prepared for industrialisation of villages which should be implemented as early as possible.

There is no use of talking of recession. We are not even getting things of daily use like tyres, tubes, asbestos sheets and cement. There is great shortage of spare parts of tractors and automobiles. In fact there is no recession. The fact is that some people have hoarded goods and scarcity conditions have been created.

There is a scheme to establish an industrial estate at Alwar in Rajasthan. But this scheme has not been implemented as yet. Government should pay attention to it. Raw material is available in this area in plenty and chemical industries should be established there. There is also a scheme to establish telephone industry at Alwar which is under the consideration of Government of India. This scheme should be implemented as early as possible. The small car project should also be implemented.

श्री ज० अहमद (धुबरी) : पिछले वर्ष भी मैंने कहा था कि आसाम में एक भी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है और न ही सरकार ने इसके लिये कोई राशि मंजूर की । यह खुशी की बात है कि भारत के सीमेंट निगम लि० ने आसाम में बीकाजन में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना के बारे में एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम अपने हाथ में लिया है ।

आसाम में कच्चे माल की बहुतायत है । आसाम को हर जिले में चूना काफी मात्रा में उपलब्ध है । आसाम में सीमेंट का उत्पादन किया जा सकता है और केवल आसाम से सारे भारत

को सीमेंट की सप्लाई की जा सकती है । अखबारी कागज के लिये भी आसाम जंगलों और बांसों से भरा पड़ा है । सरकार को वहां पर कागज बनाने का एक कारखाना खोलना चाहिये ।

आसाम की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है । आसाम के लोगों में काफी असंतोष है । सरकार ने आसाम की स्थिति में सुधार करने के लिये 20 वर्ष में कुछ भी नहीं किया है । आसाम की स्थिति बड़ी कठिन और खतरनाक बन गई है । कोई भी गैर-सरकारी उद्योगपति आसाम में उद्योग स्थापित करने के लिये तैयार नहीं है । गौहाटी में हुए दंगों के बाद तो वहां पर अब कोई भी नहीं जाना चाहता । मेरा माननीय मंत्री जी अनुरोध है कि वे आसाम में तुरन्त कुछ सरकारी कारखानें खोलें ।

Shri Ganpat Sahai (Sultanpur) : Uttar Pradesh is the largest state in our country. All the natural resources like rivers, forests and minerals are found in the state. Even then the state has not been industrially developed. In the report relating to small scale industries it has been mentioned that nothing has been done as regards the industrial development in most of the eastern districts of Uttar Pradesh. There is no textile mill, sugar factory or foundry in Sultanpur. Had the proposed locomotive workshop been established in this district, thousand persons would have got employment. Government should pay attention towards industrial development of eastern district of Uttar Pradesh.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

श्री उमानाथ (पुदुकोटै): श्री कृष्णामाचारी ने कम्पनी कानून संशोधन अधिनियम सभा में लाते समय और उसको पारित कराते समय यह कहा था कि इसके बाद कदाचार और एकाधिकारवादी बहुत सी प्रवृत्तियों को रोका जा सकेगा । परन्तु यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका ।

बेनेट कोलमैन एंड कम्पनी के मामले में सरकार ने न्यायाधिकरण से अनुरोध किया था कि निदेशकों को हटा दिया जाय और जब तक याचिका पर निर्णय नहीं दिया जाता तब तक के लिये न्यायाधिकरण ने निषेधाधिकार प्राप्त एक चेयरमैन नियुक्ति कर दिया । चेयरमैन को निषेधाधिकार इसलिये दिया गया कि जैन निदेशक अपने बहुमत का फिर से दुरुपयोग न कर सकें । किन्तु आज तो स्थिति यह है कि निदेशकों को पद से हटाने के बारे में पेश की गई याचिका न्यायाधिकरण के विचाराधीन है और चेयरमैन ने जैन निदेशकों से सांठगांठ कर ली है । यह सिद्ध हो गया है कि चार या पांच कर्मचारियों को केवल इसलिये तंग किया गया कि उन्होंने न्यायाधिकरण और सरकार के सामने गवाही दी । फिर नये चेयरमैन ने अपने चुनाव के लिये कंपनी से 2 लाख रुपये चन्दे के रूप में लिये । मंत्री महोदय ने सभा को आश्वासन दिया था कि वे इस मामले पर विचार करेंगे । मंत्री महोदय बतायें कि इस सम्बन्ध में जांच की गई है या नहीं और यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों का ब्योरा क्या है ? ये कदाचार जारी हैं । ऐसी परिस्थिति में सरकार को वर्तमान चेयरमैन को पद से हटाने के बारे में न्यायाधिकरण में एक याचिका पेश करनी चाहिये ।

अब मैं दूसरी बात पर आऊंगा । मफतलाल समूह से सम्बद्ध संगठन फेडको ने कुछ जाली दस्तावेज तैयार करके आयात लाइसेंस लिये । उक्त संगठन पर मुकदमा चलाया गया और उसे उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया । इसके बाद उक्त संगठन ने उच्चतम न्यायालय में अपील की और उच्चतम न्यायालय ने भी उक्त संगठन को दोषी ठहराया और कहा कि संगठन को जमानत वापस दे देनी चाहिये और सजा भुगतनी चाहिये । उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिये जाने के 36 दिन बाद भी जब उच्चतम न्यायालय के लेख पर अमल नहीं किया गया तो चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें उसी दिन रिहा भी कर दिया गया ।

मैं केन्द्रीय सरकार से भी यह जानना चाहता हूं कि उसने इस मामले में क्या किया है ।

दूसरा प्रश्न यह है कि उक्त मुकदमा केन्द्रीय सरकार के कहने पर चलाया गया । केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उक्त संगठन पर अभियोग चलाया गया । किन्तु राज्य सरकार ने उन्हें रिहा करके उच्चतम न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया । इसमें क्या औचित्य है ? सरकार बताये कि क्या महाराष्ट्र सरकार ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके उक्त व्यक्तियों को रिहा करने और उच्चतम न्यायालय के निर्णय को रद्द करने का निर्णय लेने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से सहमति प्राप्त की थी ? यह भी बताया जाय कि केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में क्या किया । केन्द्रीय सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिये और यह मालूम करना चाहिये कि यह सब कैसे हुआ ।

अन्त में मैं यह बताना चाहूंगा कि अधिनियम में यह उपबन्ध है कि दोषी फर्मों के विरुद्ध गवाही देने वाले व्यक्तियों को संरक्षण दिया जायेगा । स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू, ने बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी के कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि उक्त कर्मचारियों को सताया न जाय । उक्त आश्वासन के आधार पर ही कम्पनी के कुछ कर्मचारियों ने गवाही दी । उन्हें संरक्षण नहीं दिया गया और फलस्वरूप वे अब बेरोजगार हैं । सरकार का यह बड़ा ही अनुचित रवैया है । इसीलिए मैं कहता हूं कि इन सब बातों के लिये सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय के लिये 2 घंटे का समय पर्याप्त नहीं है ।

[श्री मनोहरन पीठासीन हुए
Shri Manoharan in the Chair]

मैं सबसे पहिले इस प्रश्न के सामान्य पहलू पर विचार व्यक्त करूंगा । कुछ सदस्यों ने औद्योगिक विकास की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया है । इस मामले में हम सभी चिन्तित हैं । यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये और देश के औद्योगिक विकास में राजनीतिक वातावरण भी सहायक होना चाहिये । इसके अतिरिक्त श्रम सम्बन्धी स्थिति भी देश के विभिन्न उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने में सहायक होनी चाहिये ।

आज विज्ञान और तकनीकी जानकारी का विकास हो रहा है और जब तक हम विकास की इस प्रवृत्ति के साथ-साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक औद्योगिक विकास के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सकेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि देश की आन्तरिक खपत के लिये और निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने के लिये सामान तैयार करने की दृष्टि से उद्योग स्थापित किये जायं। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सामान की किस्म और मूल्य की दृष्टि से अन्य देशों का मुकाबला कर सकें। अतः यह मालूम किया जाना चाहिए कि अन्य देश इस सम्बन्ध में क्या कुछ कर रहे हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

हम विदेशी सहयोग वाली अनेक योजनाओं के अधीन विदेशों से तकनीकी जानकारी प्राप्त करते आ रहे हैं। किन्तु यह खेद की बात है कि हम बहुत से देशों से प्राप्त हुई तकनीकी जानकारी का समुचित लाभ नहीं उठा सके। तकनीकी जानकारी सम्बन्धी विदेशी सहयोग के 30 से 35 प्रतिशत मामलों में हमें अभी भी तकनीकी सहयोग की अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इससे यही पता चलता है कि तकनीकी जानकारी का विकास करने, उत्पादन लागत को कम करने और अन्य बहुत से सुधार करने के लिए अनुसंधान कार्यों में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा धन लगाये जाने की काफी गुंजाइश है। मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि वे स्थिति में सुधार लाने के लिए सुझाव दें। मेरे विचार से माननीय सदस्य मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से अनुसंधान कार्यों पर खर्च करने के लिए योजना आयोग को अधिक धन दिया जाना चाहिए। वर्तमान स्थिति में तभी कुछ सुधार हो सकता है।

जहां तक उत्पादन लागत कम करने और सामान की किस्म सुधारने का सम्बन्ध है, यह तभी सम्भव हो सकता है जब काफी सामान तैयार किया जाए। अतः उत्पादन लागत कम करने और कार्यकुशलता बढ़ाने की दृष्टि से एकाधिकार के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। यदि किसी उद्योग की एक या दो इकाइयों को अपने देश में विकसित करके हमें सस्ती लागत पर अच्छी किस्म का सामान मिल सके तो संभवतः इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। कुछ लोग एक या दो उद्योगों पर ही नहीं अपितु देश के सभी उद्योगों पर छा जाना चाहते हैं। हमें देश के विभिन्न भागों के नवयुवक उद्यमियों को अवसर प्रदान करने और बेरोजगारी की समस्या को भी हल करना है।

एक ओर तो यह कहा जाता है कि छोटी कार तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है और जो लोग इस उद्योग में काम कर रहे हैं उन्हें और अधिक कारें तैयार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। दूसरी ओर यह शिकायत की जाती है की जो कारें तैयार की जा रही हैं वे बहुत ही घटिया किस्म की हैं। इन सभी बातों पर विचार करने के लिए पांडे समिति नियुक्ति की गई थी। हमने उक्त समिति की लगभग सभी सिफारिशों को कार्यान्वित कर लिया है।

आशा है कि इन सिफारिशों पर अमल करने के साथ-साथ अच्छी किस्म की कारें भी तैयार की जा सकेंगी ।

कारों की बड़ी मांग है और हमें कारें तैयार करने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना चाहिए । इसके लिए हमारे पास बहुत से प्रस्ताव आये हैं । ये सभी प्रस्ताव योजना आयोग को भेज दिये गये हैं ।

जितने सुझाव हमें मिले हैं, उनमें से उपयुक्त सुझावों को योजना आयोग को भेज दिया गया है। माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर भी निर्णय करते समय ध्यान दिया जायेगा। श्री सोमानी ने छोटी कार परियोजना में 32 करोड़ रुपये की लागत की आवश्यकता बताई है परन्तु रेनाल्ट कम्पनी तथा मैसूर राज्य ने इससे बहुत कम लागत बताई है ।

औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में क्षेत्रीय असंतुलन की बात भी कही गई है । माननीय सदस्यों का कहना है कि सब राज्यों में उद्योगों का समान वितरण नहीं हुआ है । मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा प्रयास किया जाना है जिससे सब क्षेत्रों के साथ औद्योगिकरण के मामले में समान व्यवहार किया जा सके । इसके अतिरिक्त किसी क्षेत्र का औद्योगिक विकास न केवल केन्द्रीय सरकार के प्रयास पर बल्कि राज्य सरकारों के प्रयास पर भी निर्भर होता है । साथ ही यह बात भी याद रखनी चाहिए कि प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति की आय लघु उद्योगों की स्थापना से जितनी अधिक बढ़ सकती है उतनी बड़े उद्योगों की स्थापना करने से नहीं । इस प्रकार उद्योगों का विकास इस बात पर निर्भर है कि उस क्षेत्र विशेष में कच्चे माल, यातायात तथा बिजली आदि की कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं और राज्य सरकार इस पर कितने रुपये खर्च करना चाहती है । महाराष्ट्र तथा कुछ अन्य क्षेत्र सीमेन्ट उद्योग के मामले में पिछड़े हुए हैं अतः उन क्षेत्रों में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा । योजना आयोग भी सरकारी क्षेत्र के लिए राशि नियत करते समय इस असमानता को दूर करने की बात को ध्यान में रखेगा ।

कुछ सदस्यों ने ढिबरी, काबले और पेंच (नट, बोल्ट, स्क्रू) आदि के आयात की इस आधार पर आलोचना की है कि उनका उत्पादन देश में शुरू होने के बावजूद उनका आयात किया जाता है । मैं सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे काबले और पेचों को छोड़कर जिनका उत्पादन देश में नहीं होता या जिनको देश में बनाने पर अधिक खर्च आता है, शेष सब प्रकार के काबले, पेचों और ढिबरियों के आयात पर पाबन्दी लगा दी गई है ।

जहां तक रेल के डिब्बों के निर्माण का सम्बन्ध है, हमारे देश में चार पहिए वाले लगभग 30,000 रेल के डिब्बे बनाने की क्षमता विद्यमान है । इसमें वे 3000 डिब्बे भी सम्मिलित हैं जिनके विदेशों से क्रयादेश मिले हुए हैं । अगले वर्ष हम लगभग 2000 डिब्बों का निर्यात करेंगे, अगले कुछ वर्षों में 10,000 डिब्बे प्रतिवर्ष निर्यात करने की स्थिति में हो जायेंगे । रूस के साथ भी डिब्बों के निर्यात के लिए एक समझौता हुआ है । कुछ सदस्यों ने स्कूटर के साथ फालतू टायर न दिये

जाने का प्रश्न भी उठाया। टायरों के अभाव के कारण ऐसा हुआ, और टायरों की कमी का कारण है बम्बई की फायर स्टोन नामक कम्पनी का 7-8 महीने तक बन्द रहना। स्थिति से निपटने के लिए टायरों के आयात की इजाजत दे भी दी गई थी।

जहां तक लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात है, लघु उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल के लिए 1966-67 और 24-2-1968 तक 1967-68 में क्रमशः 74.9 करोड़ तथा 40.85 करोड़ रुपये के आयात लाइसेंस दिये गये। देशी कच्चे माल से नियंत्रण वर्ष 1966-67 से उठा लिया गया है। विभिन्न प्रकार के दुर्लभ कच्चे माल का कोटा राज्यवार नियुक्त कर दिया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि लघु उद्योगों के विकास को हम अत्यधिक महत्ता देते हैं। यह हर्ष की बात है कि भारत में कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत उत्पादन लघु उद्योगों में होता है। इंजीनियरों की बेकारी को दूर करने का भी यही रास्ता है कि उन्हें लघु उद्योगों में सेवा का अवसर दिया जाये और इसके लिए उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया जाये। लघु उद्योगों में प्रोत्साहन देने के लिये उनके उत्पादन को प्राथमिकता के आधार पर खरीदा जाता है, उन्हें अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। कागज उद्योग के सामने आने वाली कठिनाइयों पर भी ध्यान दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

All the cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

The following Demands in respect of Ministry of Industrial Development and Company Affairs were put and adoptod

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
53	औद्योगिक विकास और समवाय कार्य मंत्रालय	66,03,000
54	उद्योग	3,66,20,000
55	नमक	50,09,000
56	औद्योगिक विकास और समवाय कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	94,85,000
119	औद्योगिक विकास और समवाय कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	8,61,57,000

समाज कल्याण विभाग

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा समाज कल्याण विभाग की मांग संख्या 97 और 98 पर विचार करेगी और सभा में उन पर मतदान होगा । कटौती प्रस्ताव पेश करने के इच्छुक 15 मिनट के अन्दर अपने नाम पटल पर भेज दें । हमारे पास केवल तीन घण्टे का समय है ।

वर्ष 1968-69 के लिये समाज कल्याण विभाग की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
97	समाज कल्याण विभाग	15,51,000
98	समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय	3,34,86,000

श्री द० रा० परमार (पाटन) : समाज कल्याण मंत्रालय की मांगों पर आखिर में अनुमति देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस मंत्रालय पर 1965 में चर्चा हुई थी और तब इसका नाम सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय था । समाज कल्याण विभाग में कई विषय आते हैं जैसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण, महिलाओं और बच्चों का कल्याण, विकलांगों और अनाथों का कल्याण तथा कुछ गैर-सरकारी संगठनों का संचालन आदि ।

[**श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए**
Shri C. K. Bhattacharyya in the Chair]

मांग संख्या 97 की कुल राशि 18,61,000 रुपये की है । इस विभाग के सचिवालय पर होने वाला खर्चा जिसमें विभाग के कर्मचारियों का वेतन आदि भी सम्मिलित है कुल माँग की 4,20,44,000 रुपये की राशि का 4.43 प्रतिशत है । मांग की कुल राशि का 16 प्रतिशत का ब्योरा नहीं दिया गया है । 2 लाख तथा 1 लाख रुपये की राशियों को खर्च करने का हक मंत्री को दिया गया है । इस राशि को वह अपनी स्वेच्छा से खर्च करेगा । मांग संख्या 98 के अधीन 4,01,83,000 रुपये की राशि दी गई है । इसमें से 55 प्रतिशत राशि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लिये नियत की गई है, और उसका पूर्ण ब्योरा नहीं दिखाया गया है । मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि यह राशि कहां-कहां और कितनी-कितनी खर्च की जायेगी । मांगों के ब्योरे से पता चलता है कि सामाजिक दृष्टि से विकलांग और पतित लोगों के लिये कल्याण-कार्य पर खर्च की अपेक्षा अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा प्रतिष्ठान पर बहुत अधिक रकम खर्च की जायेगी । क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस विभाग के लिये जितनी राशि मांगी गई है उसमें से कितनी वास्तव में इन लोगों के उत्थान और लाभ के लिये खर्च की जायेगी। यह विभाग तो डाकखाने का काम करता है । सरकार से रुपये लेकर गैर-सरकारी संगठनों को बाट देता है,

जो संगठन राशि को अपनी इच्छानुसार खर्च करते हैं। समझ में नहीं आता सरकार स्वयं कल्याण कार्य क्यों नहीं करती ?

जहां तक अनुसूचित जातियां और आदिम जातियों के उद्धार का प्रश्न है, उनकी स्थिति तभी सुधरेगी जबकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये आवश्यक है कि उनके घरेलू उद्योगों में विकास और सुधार किया जाये। इसके लिए सरकार को उन्हें आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए। खेतीहर भूमिहीन मजदूरों को भूमि दी जाये। जो छोटे किसान हैं उन्हें आर्थिक सहायता दी जाये जिससे वे बैल, औजार, खाद, बीज, लिफ्ट सिंचाई के लिये मशीन आदि खरीद सकें। ऐसी सहायता देने की वर्तमान व्यवस्था संतोष-जनक नहीं है। जरूरतमन्द लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध नहीं होती। यंत्रीकरण से जो लोग बेरोजगार हो गये हैं उन्हें बिजली के करघों के लाइसेंस दिये जाने चाहिए तथा उन्हें अन्य रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें। सरकार विस्थापितों को काम धन्धे के मामले में अधिक सुविधाएं देती है। उतनी ही सुविधाएं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को दी जानी चाहिए। अनुसूचित लोगों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं भी अधिक दी जानी चाहिए। कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की दर तथा संख्या बढ़ाई जाये।

डा० शि० कु० साहा (वीरभूम) : सभापति महोदय, मैं समाज कल्याण विभाग की मांगों का समर्थन करता हूं। पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये यह विभाग बना है। भारत में 5 करोड़ 60 लाख अनुसूचित जाति के लोग हैं। उनके पास भूमि नहीं है, रहने को मकान नहीं है। वे अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहते हैं। उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता। उनकी शिक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं है। इसलिए यह सरकार का परम कर्त्तव्य है कि वह सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दशा सुधारे और उन्हें समाज के अन्य लोगों के समकक्ष लाये। शिक्षा के मामले में मेरा यह सुझाव है कि इन लोगों को माध्यमिक तथा उच्चतर स्तर की शिक्षा निशुल्क दी जाये। एक अन्य सामाजिक रोग है जिससे ये लोग ग्रस्त हैं। वह है छुआ-छूत का रोग यद्यपि छुआ-छूत निवारण अधिनियम के द्वारा इसे अपराध घोषित किया गया है फिर भी व्यवहार में छुआ-छूत ज्यों की त्यों बनी हुई है। गावों में अभी भी हरिजनों को कुओं पर नहीं चढ़ने दिया जाता। इन लोगों को घरेलू और कुटीर उद्योग शुरू करने के लिये आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। उन्हें विकास और उन्नति के अवसर दिये जाने चाहिए। सरकार को उन्हें सब प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए जिससे वे अपनी दशा सुधार सकें।

श्री मुत्तु गोडर (तिरुपत्तूर) : सभापति महोदय, हमारे देश में जाति प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। मनु शास्त्र में चार जातियां बताई गई है—ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्री और शूद्र। यदि हम जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें उन कारणों को समूल नष्ट करना होगा जो जाति-प्रथा को बढ़ावा देते हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त अनेक जातियां ऐसी हैं जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। आदिम जातियां

भौगोलिक दृष्टि से किसी एक स्थान पर नहीं रहती बल्कि वे सब स्थानों पर बिखरी हुई हैं। उनके सुधार करने में सबसे बड़ी बाधा है अंधविश्वास जो उन लोगों में व्याप्त है। यदि कोई व्यक्ति उन्हें अपनी वर्तमान दशा सुधारने के लिये आर्थिक सहायता देता है, तो वे उस राशि को तथा उतनी ही राशि उधार लेकर किसी मन्दिर में चले जाते हैं, वहां से हुण्डी ले आते हैं। इस सम्बन्ध में मैं ऋणदाताओं से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रकार से उनकी हजामत न बनायें। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें शिक्षा दी जाये तथा समझाकर उनका अंधविश्वास दूर किया जाये। उन्हें धर्म और अन्धविश्वास का अन्तर समझाया जाये। यदि हरिजनों और आदिम जातियों को सुधारना है तो उनके धर्म से अन्धविश्वास को दूर किया जाये इसके लिये और कोई चारा नहीं है। अस्पृश्यता का रोग न केवल तथाकथित ऊंचे लोगों और अनुसूचित जातियों में व्याप्त है बल्कि यह तो स्वयं हरिजनों में उससे भी अधिक व्याप्त है। एक हरिजन मोची को छूना पसन्द नहीं करता। अस्पृश्यता के रोग को शिक्षा के प्रसार द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मजदूर संघों की स्थापना की अत्यधिक आवश्यकता है। पहाड़ी क्षेत्रों के 50 प्रतिशत लोग वन ठेकेदारों के यहां मजदूरी करते हैं। वन ठेकेदार उनका शोषण करते हैं। उन्हें $1\frac{1}{2}$ रुपये से 2 रुपये तक की दैनिक मजदूरी दी जाती है। अतः पहाड़ी क्षेत्रों में इन लोगों के मजदूर संघ बनाये जायें, जिससे उन लोगों की दशा सुधर सके, जो वन ठेकेदारों के अधीन मजूरी करते हैं।

समाज कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
97	9	श्री रामावतार शास्त्री	बधिर तथा मूक व्यक्तियों के लिए लेडी नोएस सरकारी विद्यालय, दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता।	100 रुपये
97	10	श्री रामावतार शास्त्री	बधिर तथा मूक व्यक्तियों के लिये लेडी नोएस सरकारी विद्यालय, दिल्ली से संलग्न छात्रावास में खान-पान व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
97	11	श्री रामावतार शास्त्री	बधिर तथा मूक व्यक्तियों के लिए लेडी नोएस सरकारी विद्यालय, दिल्ली से संलग्न छात्रावास में भोजन-व्यय में कमी करने और छात्रों को दिए जाने वाले भोजन को और उत्तम बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
97	12	श्री रामावतार शास्त्री	बधिर तथा मूक व्यक्तियों के लिए लेडी नोएस सरकारी विद्यालय, दिल्ली के कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
97	13	श्री रामावतार शास्त्री	बधिर तथा मूक व्यक्तियों के लिये लेडी नोएस सरकारी विद्यालय, दिल्ली के कर्मचारियों के प्रति अधिकारियों का बर्ताव ।	100 रुपये
97	14	श्री रामावतार शास्त्री	बधिर तथा मूक व्यक्तियों के लेडी नोएस सरकारी विद्यालय, दिल्ली, से संलग्न क्वार्टरों की मरम्मत करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
97	15	श्री रामावतार शास्त्री	बधिर तथा मूक व्यक्तियों के लेडी नोएस सरकारी विद्यालय, दिल्ली, से संलग्न क्वार्टरों को अलाट करने में अनियमितताएं तथा पक्षपात ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
97	16	श्री रामावतार शास्त्री	बधिर तथा मूक व्यक्तियों के लेडी नोएस सरकारी विद्यालय, दिल्ली, के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को समय पर ठंडी तथा गर्म वर्दियां न देना।	100 रुपये
97	17	श्री रामावतार शास्त्री	बधिर तथा मूक व्यक्तियों के लेडी नोएस सरकारी विद्यालय, दिल्ली, के अस्थायी कर्मचारियों को 10–15 वर्ष से अधिक की सेवा के बाद भी उन्हें स्थायी न बनाना।	100 रुपये
97	18	श्री रामावतार शास्त्री	बधिर तथा मूक व्यक्तियों के लेडी नोएस सरकारी विद्यालय, दिल्ली, की बसों की अवस्था में सुधार करने और नई बसें देने में असफलता।	100 रुपये
97	19	श्री रामावतार शास्त्री	कार्य के सामान्य घंटों के अतिरिक्त कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता न देना।	100 रुपये
97	20	श्री रामावतार शास्त्री	बधिर तथा मूक व्यक्तियों के लेडी नोएस सरकारी विद्यालय, दिल्ली के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कार्य के घंटे निश्चित न	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			करना ताकि उन्हीं व्यक्तियों को प्रातः तथा सायं की दोनों पालियों में न लगाया जाना ।	
97	21	श्री रामावतार शास्त्री	बधिर तथा मूक व्यक्तियों के लेडी नोएस सरकारी विद्यालय, दिल्ली, में कुप्रशासन तथा अनियमितताएं ।	100 रुपये
97	22	श्री रामावतार शास्त्री	बधिर तथा मूक व्यक्तियों के लेडी नोएस सरकारी विद्यालय, दिल्ली, में वरीयता के अनुसार पदोन्नति करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

सभापति महोदय : ये कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं ।

Shri Z. M. Kahandole (Malegaon) : Mr. Chairman, I support the Demands of the Ministry of Social Walfare. But at the same time I would like to draw the attention of the Hon. Minister towards the problems of the Scheduled Tribes with special reference to the conditions of the adivasis of Maharashtra. We, the adivasies, mostly live in jungles and since there are very few roads in our areas, we have hardly any contacts with the cities. The absence of the means of transport not only affects our economic condition, but due to this lack of transport facility we have to face many difficulties in getting education and medical help. There is no arrangement of the treatment of the patients and people have to lose their lives due to minor ailments. So it is essential that there should be many good roads in that area.

So far as the question of the education of the children of adivasis is concerned, education is being imparted to them by certain Voluntary Organisations and no doubt some organisations are doing good work, but that is not much. The Government should pay special attention towards this.

The Government has done good work for the progress of the adivasis through their block development plans. They have given first priority to agriculture and as a result thereof wells have been dug in those villages, where there were no wells. It has given new life to the adivasis. The block development plans are being implemented through the Zila Parishads. The Zila

Parishads are doing good work. So I request the Hon. Minister to give more money to the Zila Parishads, so that they are enabled to excute their work more efficiently.

In the Scheduled areas after the population of 30,000 one health centre has been provided. Though the building of the Health Centre is constructed at the cost of one and a half lakhs of rupees, the yearly cost of the medicines given to that Centre comes to Rs. 1200 only. So there is acute shortage of medicines in the health Centres set up for adivasis. I request that more funds should be provided for medicines.

The hilly tribes have an unsparable connection with the forest. It is unfortunate that our forests are decaying and where before 20 or 25 years, there used to be thick forest, hardly few trees are seen now. So I request the schemes of afforestation should be started on large scale for the welfare and benefit of hilly tribes.

The people of the hilly tribes are most backward in the country. They are more backward than the Harijans even, because the Harijans are organised and politically well awake. So I request that Government should pay especial attention for the welfare of hilly Tribes.

Shri Shiv Charan Lal (Firozabad) : It is most unfortunate that the condition of the Harijans is the same as it was twenty years before. The Department of Social Welfare has totally failed in bringing the slightest change in their lives. Their condition is same--They are facing unemployment, they are facing hunger, they are facing humiliation and they are subjected to lathies and bullets. They are unprotected and uncared for. The Government has totally failed in giving protection to the Harijans. In fact it is because of the apathy of the Government towards the Harijans and their inaction to take any step against those who committed atrocities on Harijans that those people committed atrocities on them. Whether it is a question of providing land or drinking water or housing or schooling or any other facility, the Government had done very little for them. Posts are reserved for them in Government services but are not filled. I am giving you a few example from which it will be clear that the Harijans are living under most inhuman conditions.

On 26th February, 1968 in the village Banithari, Tehsil Shikandrabad, Distt. Bulandshahr of U. P. a 14 year old Harijan boy was brutally murdered by a powerful group of Brahmins. The minority community i. e. Harijans were not allowed even to lodge a complaint in the Police Station and upto 11th March, this case was not registered by Police.

In another case Thakur Lal Singh of Hathirwa village in Ghatampur area threw two Harijan children into a well and thus ended their lives. The fault of the poor children was that they dared to sit on the Thakur's cot.

In Andhra Pradesh a Harijan boy was burnt to death, only because he touched the utencils of a Caste Hindu. In another case in Andhra Pradesh some Harijan women were compelled to parade naked, because they voted for the candidate of their choice. There are many other examples to show that atrocities are being committed to Harijans. They are being subjected to humiliation. I charge that Government is responsible for all these atrocities, because no effective action is taken against the culprits. The Government has totally failed in protecting the lives and honour of the Harijans.

I want to draw the attention of the House to a news-item published in the Patriot of 24th April, 1968 in which it has been reported that a Minister of Andhra Pradesh has said

that Harijans deserve to be kicked. I demand that that minister must be dismissed forthwith. It is a test of the Government's sincerity.

I appeal to the Government that steps should be taken for the welfare of the Harijans. Untouchability should be eradicated. If that is not done there will be a large scale conversion. Our Harijan brothers require our sympathy. The Department of Social Welfare must take initiative in this regard. My submission is that either the department should really do something for the welfare of Harijans and other down-trodden or it should be scrapped.

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : समाज-कल्याण विभाग के विभिन्न कार्यकलापों का उल्लेख करते हुए माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की दर्द भरी कहानियां सुनाई हैं। माननीय सदस्यों ने जो कहानियां सुनाई हैं, वे अधूरी कहानियां हैं। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। हमें यह देखना है कि यह विभाग करता क्या है ? विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका के अनुसार इस विभाग का कार्य समाज के पिछड़े हुए वर्गों का उत्थान करना तथा उन्हें समाज के दूसरे वर्गों के समान लाना है। इस विभाग का कहना है कि संविधान की प्रस्तावना में हर व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, समता एवं समान अवसरों के उपलब्ध करने का उल्लेख किया गया है तथा इसलिए इस विभाग ने समाज के कमजोर वर्गों को अन्य वर्गों के बराबर लाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है। इस विभाग का यह भी कहना है कि यह संविधान के निदेशक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करना चाहता है। मैं समझता हूं कि सभा में शिक्षा के महत्व का उल्लेख करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षा के बारे में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य पर "निवेश" है। यह भी कहा गया था कि शिक्षा मनुष्य का सभ्य और सुसंस्कृत बनाने का एक साधन है। किन्तु वास्तव में सरकार पिछले दो वर्षों से छात्रवृत्तियों की संख्या कम करती जा रही है और इस प्रकार मानव शिक्षा पर खर्च होने वाले धन में कमी कर रही है।

समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान का जो कार्यक्रम है, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि समाज कल्याण के इस कार्यक्रम को समाज के उस वर्ग पर लागू क्यों नहीं किया जाता जिसने बुद्ध धर्म अंगीकार कर लिया है। जब कभी मैं इस प्रश्न को उठाता हूं तो सामान्यरूप से जनता तथा विशेषरूप से सरकार मेरी बात को नहीं समझती है। मैं किसी ऐसी चीज की मांग नहीं कर रहा हूं जिसकी व्यवस्था संविधान में नहीं है, बल्कि सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह बुद्ध धर्मावलम्बियों को छात्रवृत्ति और निशुल्क शिक्षा आदि की शैक्षणिक सुविधा प्रदान करे। हमें उन व्यक्तियों की समस्या को समझने के लिए जिन्होंने हाल में बुद्ध धर्म अंगीकार किया है, कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हमें यह देखना होगा कि वे व्यक्ति कौन थे तथा धर्म परिवर्तन से पूर्व उन लोगों का स्तर, स्थिति, आदत आदि क्या थी ? यदि हम इस दृष्टि से इस समस्या को देखते हैं, तो हमें ज्ञात होगा कि उन लोगों का स्तर, स्थिति, आदत इत्यादि अब भी वही है, जो धर्म परिवर्तन से पूर्व थी। उनके धर्म परिवर्तन से उनके स्तर, स्थिति, आदत आदि में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

श्री जेवियर (तिरुनलवेल्लि) : उनके धर्म में परिवर्तन आ गया है ।

श्री रा० ढो० भण्डारे : धर्म में परिवर्तन अवश्य आ गया है, परन्तु इसका भी एक विशेष उद्देश्य है । जिस प्रकार शिक्षा मनुष्य के लिए निवेश है, इसी प्रकार बुद्ध धर्म व्यक्ति के मस्तिष्क को बदलने का एक साधन है । बुद्ध भगवान ने स्वयं कहा है :

सर्व पापस्य अकरणम् कुतलस्य उपसम्पदा ।
सत् चित् परमोदपनम् एतन् बुद्धान सासनम् ।।

बुद्ध धर्म का उद्देश्य प्रजना, शील, करुणा और मैत्री के आधार पर मनुष्य के मस्तिष्क में परिवर्तन लाना है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमने बुद्ध धर्म को इसलिए स्वीकार किया है, ताकि हमारा जीवन सुधर सके, परन्तु खेद है इस बात को नहीं समझा गया है ।

बहरहाल जो कुछ हो, मैं जो यह मांग कर रहा हूं कि बुद्ध धर्मावलम्बियों को अधिक शैक्षिक सुविधायें दी जानी चाहिए, इसका आधार केवल सरकार का नैतिक दायित्व नहीं है, अपितु इसका आधार सरकार का संवैधानिक दायित्व है । जब कभी मैं बौद्धों को समाज कल्याण सम्बन्धी सुविधा देने का प्रश्न उठाता हूं तभी यह तर्क पेश किया जाता है कि हमने हिन्दू धर्म को छोड़ दिया है और हम हिन्दू नहीं हैं । इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 25 (2) के स्पष्टीकरण दो की ओर दिलाना चाहता हूं, जो इस प्रकार है :

"खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) में हिन्दुओं के प्रति निर्देश में सिक्ख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों का भी निर्देश अन्तर्गत है तथा हिन्दू धर्म संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ भी तदनुकूल ही किया जायेगा ।"

इससे यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25 (2) के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि शैक्षिक सुविधाओं के अन्तर्गत बौद्धों को छात्रवृत्तियां तथा मुफ्त शिक्षा दी जाये, जो अन्य समाज के कमजोर वर्गों को दी जाती है । मैं मांग करता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट वक्तव्य दें । महाराष्ट्र सरकार ने सब नये धर्म परवर्तित बौद्धों को यह सुविधा दे दी है । मैं समझता था कि महाराष्ट्र सरकार से केन्द्रीय सरकार अधिक प्रगतिशील है, परन्तु अब मैं अनुभव करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार केन्द्रीय सरकार से अधिक प्रगतिशील है । सरकार समाजवाद के सिद्धान्तों की डींग हांकती है, परन्तु समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है । क्या यही उनका समाजवाद है ? अत: मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह आज इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट वक्तव्य दें, ताकि बौद्धों को यह विश्वास हो जाये कि उन्हें कुछ शैक्षणिक सुविधायें प्राप्त होंगी तथा हमारी सरकार प्रगतिशील है ।

श्री अ० कु० किस्कु (झाड़ग्राम) : समाज कल्याण की बात करते समय समाज कल्याण का एक आधार होना चाहिए, समाज कल्याण का एक दर्शन होना चाहिए तथा समाज कल्याण को

प्रोत्साहन देने के लिये स्रोत होना चाहिए। हमारे देश का एक दर्शन है। हम गांधीवाद में विश्वास रखते हैं। हमारा समाज समाजवादी ढांचे का समाज है। हमने घोषणा की है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष, असाम्प्रदायिक, समाजवादी और कल्याणकारी राज्य है। हमने हरिजनों की सेवा करने और मानवीय कष्टों को दूर करने के लिये कुछ समाज कल्याण योजनाओं की घोषणा की है। यह एक बहुत सुन्दर दर्शन है और इस सुन्दर दर्शन को कार्यरूप देने के लिये हमने एक बहुत सुन्दर तंत्र की रचना की है। इस सुन्दर कार्यक्रम की क्रियान्विति का कार्यभार एक मंत्री को सौंपा गया है। फिर हमारा एक सुसंतुलित संविधान है, संसद् है और विधान मण्डलें हैं। सरकार का एक बहुत व्यापक तंत्र तथा एक विभाग है, जिसका काम इस सुन्दर कार्यक्रम को क्रियान्वित करना है। इस सारी व्यवस्था के होते हुए भी आज ही हमने सुना है कि एक राज्य के एक मंत्री ने कहा है कि हरिजनों के लात मारो। हमारे यहां इतने अच्छे संविधान और दर्शन के होते हुए भी हमारा अपमान हो रहा है। पिछले कुछ ही दिनों के दौरान हमने समाचार-पत्रों में बहुत सी अप्रिय घटनायें पढ़ी हैं। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है, जब कि हमें इस सारे मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए तथा समाज कल्याण विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए कि वे इस मामले की गम्भीरता से जांच करें।

ऐसा प्रतीत होता है कि समाज कल्याण विभाग अलग पड़ गया है और मंत्रिमण्डल से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकार को मिलकर काम करना चाहिए तथा समाज कल्याण विभाग को सारे मंत्रिमण्डल को कल्याणकारी कार्य करने की प्रेरणा देनी चाहिए। समाज कल्याण विभाग को अपना कार्य सरकार के द्वारा ही नहीं अपितु राष्ट्रीयस्तर पर स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाना चाहिए ताकि सम्पूर्ण समाज जनता के कष्टों को दूर करने के लिए समाज कल्याण कार्यों में रुचि ले सके। प्रतिवेदन से पता चलता है कि केवल 21 संगठन ही सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। इससे ज्ञात होता है कि समाज कल्याण विभाग समाज कल्याण कार्यों के लिये सम्पूर्ण राष्ट्र को प्रेरित करने का अपना प्रमुख कर्त्तव्य निभाने में असफल रहा है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के पद के संवैधानिक अधिकारों और विशेषाधिकारों को कम कर दिया गया है। प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि आयुक्त के प्रादेशिक कार्यालयों को पिछड़े वर्ग कल्याण महानिदेशक को सौंप दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि आयुक्त को कार्य करने की कोई छूट नहीं है—आंख होते हुए वह अन्धा है तथा कान होते हुए बहरा है। उसे एक पुलिस के सिपाही के स्तर पर रख दिया गया है और नौकरशाही की प्रणाली में बांध दिया गया है।

कभी-कभी तो ऐसा मालूम होता है कि समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जादियों की उपेक्षा ही नहीं करता, अपितु उनके साथ शत्रुता का व्यवहार करता है। पिछले 20 वर्षों में छात्रों को छात्रवृत्तियां समय पर नहीं दी गई हैं। नौकरियों के लिये पेश किए गये उनके आवेदन पत्रों को दबाया गया है। उनके उन्नति सम्बन्धी रिकार्ड में गड़बड़ी की गई है। गरीब आदिवासियों को महाजनों के शोषण के विरुद्ध कोई संरक्षण नहीं

दिया गया और उनकी जमीनें छीन ली गई हैं। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि समाज कल्याण विभाग अपने कार्यों को निभाने में पूर्णतया असफल रहा है।

कल के समाचार-पत्र में पश्चिम बंगाल के बारे में एक बहुत ही दुखद समाचार छपा है। "केयर" तथा अन्य दानशील संस्थायें पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को भोजन देने की योजना बना रहे थे, परन्तु इस योजना को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार 45 लाख रुपये देने के लिये तैयार न थी। यद्यपि यह मामला समाज कल्याण विभाग से सीधा सम्बन्धित नहीं है, तथापि इस विभाग को इस मामले को पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उठाना चाहिये, ताकि गरीब ग्रामीण बच्चों को भोजन मिल सके।

अनुसूचित आदिम जातीय विकास खण्डों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, परन्तु इनकी गलत क्रियान्विति के कारण आदिम जातीय लोगों में निराशा फैल गई है। बिहार, उड़ीसा और बंगाल में अनुसूचित आदिम जातियों के लोग बहुत हैं। परन्तु राज्यों की सीमा इस तरह से निर्धारित की गई है कि पश्चिम बंगाल के छोटे से भाग में कुछ अनुसूचित आदिम जातियों के थोड़े से लोग बसे हुए हैं। उन अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आदिम जातीय विकास खण्डों की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि बिहार और उड़ीसा में इस तरह की व्यवस्था है। यह अन्याय है। आदिम जातियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिये और इस मामले में भौगोलिक बाधायें दूर रखी जानी चाहिये।

चार्जग्राम में कुछ ही दिन पहले आदिम जातियों के कबीलों में आपसी झगड़ा हुआ है, जिस में लोकारो बस्ती को जला दिया गया और यह पांच दिन चलती रही, परन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

ये कुछ दुखभरी कहानियां हैं, जिनसे पता चलता है कि लोग बड़े दुखी हैं। यह सुनिश्चित करना समाज कल्याण विभाग का कार्य है कि लोगों के साथ न्याय हो।

Shri Kamble (Latur): In Demand No. 97 a provision has been made for Rs. 8,63,000 and in Demand No. 98 a provision has been made for Rs. 4,01,83,000. Thus the total Budget provision of the Department of Social Welfare comes to Rs. 4,20,46,000. The total population in our country of adivasis, Scheduled Castes and Scheduled Tribes is nearly 10 crore. The budget provision for their welfare is only for Rs. 4.20 crores. It means on an average 40 paise per person have been allocated. I think this is next to impossible to improve the condition of these persons with this little allocation. Moreover this allocation also includes office expenditure etc. Problems of Harijans and Adivasis are national problems. Therefore more funds should be allocated for their welfare.

It is a matter of great regret that even 20 years after the independence the problem of Adivasis and Harijans exists in the same magnitude as it was before. While inaugurating the present Session of Parliament the President has referred to this problem in his Address and has

remarked that though Government had been taking keen interest in the social and economic advancement of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and backward classes and some success had been achieved in this regard, yet Government is well aware that much remains yet to be done. So it is evident that this problem is facing us. This is not only a social problem, but it includes the economic, social, educational and political disparities also. We have to solve it and hence I request that more funds should be made available to this Department.

In his Address the President has said that India stands against aparthied and she will support those who are fighting to eradicate this blot on humanity. But it is very shocking that in the international field, we talk of high ideals and aparthied exists in our country itself. It is a matter of great distress that even 20 years after independence the incidents of harassment and maltreatment of Harijans are still happening in our country. One such incident has happened in Bilaspur in Madhya Pradesh State and one in Andhra Pradesh and there are many others. All these incidents prove that our social values are dying. So I appeal that this hatred towards Harijans should be ended. Harijans are not allowed to get drinking water from certain wells and enter certain temples. The Government should give deterrent punishment to those people who harass Harijans and violate the provisions of the untouchability Act.

In the matter of employment Harijan students are treated equally with the students of other advanced communities. The students of other communities enjoy certain facilities while getting education, which are denied to poor Harijan students and hence they are not expected to compete with the students of other communities. So I request that special concessions should be given to the people belonging to Scheduled Castes and Seheduled Tribes in the matter of employment. Since they had to study under great hardships they can not compete with the youngmen belonging to affluent sections of society.

Then I come to the question of Prohibition. Gandhiji's surmon was that there should be prohibition in the country. After independence prohibition was enforced. But it is a matter of great regret that many States have scrapped prohibition. Prohibition should be encouraged.

Then I would like to give some suggestions for the eradication of untouchability. Untouchability can not be removed by law alone, we should prepare mental ground for the same. I suggest that a provision should be made that those who solemnise Inter-caste merriage will be given promotion in services. Thus inter-caste marriages should be encouraged. It will help to remove the caste differences. Secondly people belonging to different sections of society should live in the same colony and there should be no separate colonies for Harijans. In addition to this more educational facilities should be given to Harijans. Certain percentage of seats in Colleges and Hostels should be reserved for scheduled caste people, so that they may live with other communities and mix with them. Harijans have been neglected in Housing Schemes. More Housing facilities should be provided to them.

The Harijans have got no benefit of the Bhudan or Gramdan movement in the country. An investigation should be made as to how many Harijans have got land or houses as a result of this movement. Land should be given to landless Harijans.

Lastly I would like to stress that an annual Progress Report about the facilities provided and achievement made in the matter of providing employment, allotting land and giving educational facilities etc. to Harijans should be prepared. An annual review of our progress is necessary.

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बलपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के दो मुख्य कार्य हैं —पिछड़े वर्गों का कल्याण तथा सामान्य समाज कल्याण।

हम स्वतंत्रता के 20 वर्ष बाद इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम सबको मालूम है कि कल के समाचार-पत्रों में आन्ध्रप्रदेश के एक मंत्री द्वारा हरिजनों के बारे में कही गई बात के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित हुआ है। मैं समझती हूं कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि पिछले कुछ महिनों में आन्ध्रप्रदेश में जो कुछ होता रहा है, यह उसकी पराकाष्ठा है। परन्तु हमारे केन्द्रीय मंत्री इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वहां एक लड़के को मार डाला गया। एक आदमी को जला दिया गया और नंगी औरतों को सड़कों पर चलने को बाध्य किया गया। गृह-मंत्री महोदय ने इन सब बातों का खण्डन किया है। गृह-मंत्री ने राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसा किया है। किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन को पढ़ने के बाद पता चलता है कि हम राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उक्त प्रतिवेदन में कहा गया है कि तीन या चार मामलों में राज्य सरकार से प्राप्त सूचना झूठी सिद्ध हुई है। इसलिये आन्ध्र-प्रदेश सरकार की सूचना पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मंत्री महोदय को स्वयं इस बात की जांच करनी चाहिये कि वहां क्या हो रहा है।

आन्ध-प्रदेश की भांति त्रिपुरा में भी ऐसा ही होता रहा है। त्रिपुरा में आदिवासियों को उस स्थान से निकाल दिया है, जहां उनकी जमीनें थीं। देश के विभिन्न भागों में हरिजनों अथवा पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार के अनेक मामलों का पता प्रतिवेदन से मिलता है। हरिजन छात्रों को कक्षाओं में अन्य छात्रों के साथ बैठने नहीं दिया जाता। मैसूर अथवा महाराष्ट्र राज्य में एक हरिजन अध्यापिका को मुख्य अध्यापिका द्वारा पीटा गया है। पंचायत बोर्डों में हरिजन सदस्यों को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता। सरकार अपनी संस्थाओं के कार्यों के बारे में कड़ी कार्यवाही कर सकती थी, परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन में लगभग तीन हजार ऐसी घटनाओं का उल्लेख है, परन्तु इनमें से किसी भी मामले में उचित कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं समझती हूं कि संविधान के अन्तर्गत अस्पृश्यता एक हस्तक्षेप अपराध है, परन्तु हरिजनों और आदिवासियों के विरुद्ध जो कुछ किया जाता है, उसे बर्दास्त कर लिया जाता है। जब तक सरकार हरिजनों, आदिवासियों और ऐसे ही लोगों को, जिन्हें सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं है, जमीन नहीं देगी, तब तक इन लोगों का उद्धार नहीं हो सकता। अतः इस दशा में पहल की जानी चाहिये।

अब मैं सामान्य कल्याण के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हूं। प्रतिवेदन से पता चलता है कि हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोग अपंग हैं। सरकार इन लोगों के कल्याण पर केवल 15 लाख से 20 लाख रुपये तक खर्च कर रही है। यह बड़े दुख की बात है कि सरकार के पास इन लोगों

के कल्याण पर खर्च करने के लिए अधिक धन नहीं है, जबकि सरकार 5 करोड़ रुपया राजाओं को निजी थैलियों के रूप में दे रही है ।

बहुत से कार्यों के लिये सरकार कोई धन खर्च नहीं कर रही है । अनुसंधान कार्य के लिये भी सरकार कहती है कि वह कोई नई अनुसंधान संस्था नहीं खोल सकती, क्योंकि उसके पास धन नहीं है ।

समाज कल्याण बोर्डों के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि मैं अपने राज्य के समाज कल्याण बोर्ड की चार वर्ष तक सदस्या रही हूं तथा मुझे ज्ञात है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये समाज कल्याण बोर्ड कुछ नहीं कर रहे हैं । मेरे राज्य में यह बोर्ड समाज के उच्च वर्ग की स्त्रियों की सहायता करता है तथा पिछड़े वर्गों के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है । बोर्ड की कार्य-प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिये, क्योंकि जब तक इसकी कार्य-प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है ।

अन्त में मैं कहना चाहती हूं कि मेरे राज्य केरल से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि "पेरुवेनान", "बेलन" तथा "पिल्लू" जातियों को—जो कि समाज का बहुत ही कमजोर अंग हैं—अनुसूचित जातियों की सूची में रखा जाय । परन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया है । सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिये ।

Shrimati Ganga Devi (Mohanlalganj) : It is a matter of great shame for Government that Harijan, even after twenty years remain an exploited class. They are subjected to atrocities and inhuman treatment as is evidenced from the incidents in Andhra, Madhya Pradesh etc. This is because of Government's weakness. Only stern steps can halt such behaviour. The most unfortunate fact is when the administration also takes sides with the oppressor.

Many impressive Schemes have been drawn up, reports presented but much headway has not been made towards the welfare of Harijans. Even after the abolition of Zamindari, there remain a large number of landless farmers, agricultural labourers and Harijans in the country. The main difficulty is that the people for whom Schemes are sanctioned and funds are granted, do not get full benefit out of them. Had all the landless persons been given land, agricultural production would have gone up many fold. The Central Government should take up the matter in all seriousness and send officials to undertake field work and ask them to present a true picture of the present situation.

Harijans are discriminated against in Government services and education. The posts reserved for Scheduled Castes/Tribes are not filled in full on one pretext or the other. In services, 8 posts advertised in 1965 by O.N.G. C. have not been filled so far. In the field of education, adequate scholarships are not being granted to these communities and scholarships money is not disbursed to them for years together resulting in suspension of studies by these students due to lack of financial resources. Scholarship Board was formerly under the Centre but now it has been made the responsibility of States. If past practice is revived it would be far better. The amounts of scholarships should also be increased.

The activities of Social Welfare Board are limited only to the better off Sections. Scheduled Castes/Tribes, who are socially backward, should also be included in the activities of the Board.

Harijans are facing acute housing problem. They cannot build houses of their own. The Government should take adequate steps in this direction.

In 1952, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner had made a recommendation that the grants set apart in each State should be fully utilised but no State Government has seen to it.

Untouchability despite legislation has not been uprooted from the country so far. Stringent measures should be taken to abolish untouchability from the country.

श्री कं० हाल्दर (मथुरापुर) : जहां संविधान में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय जनता को देने के ऊंचे आदर्श शामिल किये गये हैं और केन्द्र तथा राज्यों में काफी प्रयत्न भी किये गये हैं और कई संस्थाएं तथा कार्यालय यह कार्य करने के लिये खोले गये हैं किन्तु इनमें कुछ उच्च अधिकारी पिछड़ी जातियों को दिये जा रहे संरक्षणों के विरुद्ध हैं। इस स्थिति में इन लोगों से सामाजिक न्याय पाना कठिन है। परिणामस्वरूप आरक्षित पद उपयुक्त व्यक्ति न मिलने के मामूली कारण से सालों साल खाली पड़े रहते हैं।

पश्चिम बंगाल की पिछली संयुक्त मोर्चा सरकार में आदिवासी कल्याण मंत्री ने शिकायत की थी कि उनके विभाग में एक कर्मचारी भी दलित वर्ग का नहीं है।

मेरे पास इन वर्गों के सरकारी कर्मचारियों से अनगिनत शिकायतें आई हैं कि उन्हें यथोचित पदोन्नतियां आदि नहीं दी गईं। कुछ कर्मचारियों की बिना कारण अवनति भी की गई है।

हम अमरीका और दक्षिण अफ्रीका में जातिवाद की भरपूर निन्दा करते हैं किन्तु यहां भी जातीय बर्बरता की घटनायें आम होती जा रही हैं और तो और आंध्र के एक कांग्रेसी मंत्री ने हरिजनों के विरुद्ध बहुत कटु और निन्दनीय शब्दों का प्रयोग किया बताते हैं। ऐसी स्थिति में देश में समाजवादी समाज स्थापित करने की बात करना जनता को धोखा देना है।

बस्तर जो केरल जितना एक आदिवासी क्षेत्र है, किन्तु वहां के लोग खानाबदोशों का जीवन बिता रहे हैं जिनके पास न खाने को पर्याप्त है न पहनने को यद्यपि प्राकृतिक संस्थान वहां प्रचुर मात्रा में हैं। कुछ कारखाने वहां स्थापित हुए थे—सस्ती मजूरी द्वारा उन्हें शोषित करने के लिये और अब छंटनी द्वारा इन्हें निकाला जा रहा है।

भूमिहीनों में भूमि शीघ्र बांटी जानी चाहिये। क्योंकि अधिकांश अनुसूचित जाति व्यक्ति किसान हैं अथवा श्रमिक—अतः यदि उन्हें भूमि मिले और उनकी सेवा शर्तों में सुधार किया जाये तो समस्या काफी हद तक हल हो जाये। परन्तु यदि सरकार ने अपना यह मूल कर्तव्य न निभाया तो लोग आगे बढ़ेंगे और अपनी शक्ति से अपने अधिकार प्राप्त कर लेंगे।

श्री कार्तिक ओराओं (लोहारदगा) : यद्यपि संविधान में उपबन्ध किये गये हैं किन्तु उन्हें ठीक प्रकार से लागू नहीं किया गया । यदि ऐसा होता तो भारत के दलित वर्गों का राष्ट्रीय जीवन में मिल जाना निश्चित था । हाल ही में हरिजनों पर जो अत्याचार हुए हैं वे समाज कल्याण विभाग पर बहुत बड़ा धब्बा हैं । यह शर्म की बात है कि बीस वर्ष के बाद भी हम विवश से लगते हैं ।

हमारा समाज धर्म निर्पेक्षता पर आधारित है किन्तु सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में भेदभाव कर करके एक गंदा उदाहरण प्रस्तुत किया है ।

जहां तक भारत की आदिम जातियों का सम्बन्ध है, सरकार का रवैया उनके प्रति बहुत खराब रहा है । लोगों के मन में यह धारणा है कि आदिम जाति के लोगों का अपना कोई धर्म नहीं है । लेकिन उनकी कुछ अपनी प्रथायें और अन्ध-विश्वास हैं जो उनके पारस्परिक धर्मों के अंग हैं ।

मैं कोहिमा के उप आयुक्त, श्री बड़कटकी द्वारा विख्यात मानव विज्ञान वेत्ता, डा० वेरियर एलबिन को लिखे गये एक पत्र का कुछ अंश आपको पढ़कर सुनाता हूं :

"मुझे आदिम जातियों का धर्म परिवर्तन के प्रभावों का नजदीक से अध्ययन करने का मौका मिला है । यह धर्म परिवर्तन एक जीवन क्रम की जड़ों पर प्रहार कर रहा है जो किसी अन्य जीवन व्यवस्था से किसी भी प्रकार कम नहीं है । मेरा विचार है कि पहाड़ी जिलों में विदेशी धर्म प्रचारक मानव जाति के विरुद्ध एक अपराध कर रहे हैं । यदि मुझे अधिकार होता, तो मैं इन विदेशी धर्म प्रचारकों को 24 घंटे में देश से बाहर निकाल देता ।"

छोटा नागपुर में क्या हो रहा है । यहां ईसाइयों का बोलबाला है । आदिवासियों की सरनाह उपासना के स्थानों को शमशान भूमि में बदल दिया गया है । बागीचों के पेड़ों को काटकर गिरजाघर बना दिये गये हैं ।

यदि सरकार को आदिम जातियों के लोगों के कल्याण में दिलचस्पी है तो इस बात का पता लगाया जाय कि आदिम जाति धर्म क्या है । देश के विभिन्न भागों में आदिम जाति के लोग आदिम जाति के धर्मों का अनुसरण कर रहे हैं ।

आदिम जाति के 10 प्रतिशत लोग ईसाई बन गये हैं और वे आदिम जाति के अन्य 90 प्रतिशत लोगों का शोषण कर रहे हैं । वे लोग आदिम जाति के कल्याण के लिये सरकार द्वारा दी गयी अधिकांश रकम का प्रयोग अपने कल्याण के लिये कर लेते हैं ।

दूसरी बात यह है कि कल्याण-कार्यों के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिये । इनकी दो श्रेणियां नहीं होनी चाहिये । एक ही श्रेणी होनी चाहिये । यदि धर्म परिवर्तन का काम इसी गति से चलता रहा, तो समस्त आदिम जाति के लोगों का धर्म-परिवर्तन हो जायेगा और एक बड़ा नागालैंड बन जायेगा । बिना साम्यता लाये हम आदिवासियों की कोई सहायता नहीं कर सकते ।

श्री बेधर बेहरा (जाजपुर) : समाज कल्याण के सम्बन्ध में चर्चा केवल भाषणों तक ही सीमित है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। यद्यपि इस विभाग का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता को दूर करना है, परन्तु यह विभाग स्वयं ही अन्य विभागों की दृष्टि से अस्पृश्य बन गया है। सरकार का कोई भी विभाग इस विभाग के निर्देशों तथा आश्वासनों पर अमल नहीं करता। जब से यह विभाग बना है इसे करोड़ों रुपये दिये जा चुके हैं परन्तु जिन लोगों को इससे लाभ पहुंचना चाहिये था, उनके लिये इस विभाग ने कुछ भी नहीं किया। अब तक हरिजनों तथा आदिवासियों के लिये कोई प्रभावी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार नहीं किया जा सका है। वे पहिले की तरह अब भी अंधकार में पड़े हुए हैं।

अस्पृश्यता जिसका उन्मूलन इस मंत्रालय का मुख्य संवैधानिक कर्त्तव्य है, अब भी जोरों पर है। हरिजन और आदिवासी लोग अब भी अछूत हैं। इन उपेक्षित वर्गों को अब भी समाज विशेषाधिकारों और मन्दिर-प्रवेश, होटलों में सेवा, कुओं का प्रयोग आदि के मामलों में अधिकारों से वंचित रखा जाता है।

ये वर्ग शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ रहे हैं। इन वर्गों के अनेक छात्र धन की कमी के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके हैं और अब वे बेरोजगार हैं। चीन के हमले के बाद, उनको जो वित्तीय सहायता मिलती थी, वह बन्द कर दी गई है। जिन लोगों ने कुछ शिक्षा प्राप्त की है, उन्हें भी समाज में अपने उचित स्थान से वंचित रखा गया है। इस बात का प्रमाण वर्ष 1966-67 के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदन से मिलता है। केन्द्रीय सरकार के गृह-कार्य विभाग ने अपनी अधिसूचना संख्या 1/4/60 आर० पी० एस० दिनांक 5 मार्च, 1960 में अधिसूचित किया था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये अखिल भारतीय सेवाओं में क्रमशः $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे और इसी आधार पर विभागीय पदोन्नतियों में उनके लिये क्रमशः $16\frac{1}{2}$ प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। इस कोटे को विभिन्न कारणों से पूरा नहीं किया जा रहा है। इसका एक कारण यह बताया जाता है कि हरिजन और आदिवासी उम्मीदवार अखिल भारतीय परीक्षाओं में प्रतियोगिता नहीं कर सकते। हरिजनों को अन्य प्रतियोगियों के साथ प्रतियोगिता में शामिल होने के योग्य बनाने के उद्देश्य से सभी वर्गों के विद्यार्थियों को एकसी शैक्षणिक सुविधायें दी जानी चाहिये।

इन वर्गों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कुछ नहीं किया गया है। यद्यपि ये वर्ग अधिकांशतया खेती के काम में लगे हुए हैं, तथापि इनमें से अधिकतर भूमिहीन हैं। यह पता लगा लिया गया है कि राज्यों में कितनी भूमि फालतू है परन्तु इस भूमि का अभी तक वितरण नहीं किया गया है। उन आदिवासी लोगों को जिन्हें दण्डकारण्य में पुनः बसाने की योजना के लिए बेदखल किया गया था अभी तक पुनः नहीं बसाया गया है। स्थानीय आदिवासी लोगों को वे लाभ नहीं दिये गये हैं जो विस्थापित लोगों को दिये गये हैं।

हरिजनों और आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कुछ कागजी योजनायें

बनाई गई थीं । लेकिन उनकी स्थिति में किसी तरह के सुधार के बजाय उनकी वास्तविक आय कम हो गई है । औद्योगिक रोजगार में उनकी उपेक्षा की गई है और उन्हें पहले की तरह खेतिहर मजदूरों के तौर पर काम करने के लिये वाध्य किया गया है । उन्हें जमीन नहीं दी गई है ।

Kumari Kamala Kumari (Palamau) : The condition of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has not improved during the last 20 years after independence. On the contrary, it has worsened. Atrocities committed on the Harijans in the recent past bear sufficient testimony to it.

No doubt, Government has spent money to improve the condition of these backward classes but the amount has not been properly utilised. Its results have been very discouraging.

The students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes face great difficulty in securing admission in educational institutions. The provision for reservation of seats for students in educational institutions is simply on paper.

The land, which has been allotted to Harijans, is waste. Those people have not been given fertile land.

In spite of constitutional provisions, untouchability is still rampant. It is very difficult for the Harijans to go to courts to get their grievances redressed. The provisions of existing law relating to removal of untouchability are not being enforced. When Harijans seek police protection, the police does not provide them any help but on the contrary harass them.

The condition of women of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is very pitiable. They find it very difficult to get employment.

People belonging to scheduled castes, who are in Government service, are harassed. An educated young person, who was a Class IV employee in Delhi, has been retrenched and another junior person has been employed in his place and promoted.

A Committee should be appointed to make an assessment of the condition of people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The assurances given for improving their condition have no value unless they are fulfilled.

Shri Onkar Lal Berwa (Kota): There should be a separate Ministry for Social Welfare. The Department of Social Welfare has not been given due importance. This department is often attached with various Ministries.

A portrait of late Dr. B. R. Ambedkar ; framer of our Constitution, should be installed in Central Hall.

The condition of Harijans and Adivasis is pitiable. The socalled reservation in services for them is simply on paper. They are not recruited to Class I, II and III services. They are only recruited in Class IV services because Hindus of higher castes do not like these services.

People belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been compelled to embrace Christianity due to their poverty. Government should pay attention to it.

The stipend being paid to students of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not adequate in these days of high cost of living. The amount of stipend should be increased. Moreover, the non-availability of stipend forms in time also causes delay in the payment of stipends.

Harijans even do not get drinking water. At several places, these Harijans drink that water which is meant for animals. Government should pay adequate attention to it. Better educational facilities should be provided for the people belonging to these castes. Reservation should be made for them not only in the matter of recruitment but for promotion to higher posts also. These people should be given land. They should also be allotted houses. Concrete steps should be taken for improving their condition.

Shri Sunder Lal (Bastar) : The manner in which money is being spent by Government is defective. Therefore, the backward classes have not derived any advantage from it.

There are 12 lakh Adivasis in Bastar. Their condition is very petiable. The Central Government or State Government have never paid any attention to it. In Bastar, there is several thousand acres of land. But the Central Government and the State Governments have not taken any action to allot this land to Adivasis. The request of Adivasis in this regard has always been turned down. On the other hand, Government is paying attention to refugees.

Employment opportunities should be provided for educated Adivasis. Posts of teachers in local schools should be reserved for them. Electricity should be provided for Adivasis in rural areas. Means of communications should be improved there.

Adivasis are being converted to Christianity. These are very poor peeple. They are willing for conversion for a meagre amount of five rupees. Government should take action to stop this conversion.

Shri Ramji Ram (Akbarpur) : The amount of demands for grants for this Ministry is not adequate. This should have been four times. The condition of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has not improved at all during the last 20 years. Police and other Government departments do not afford any protection to them. Their land is also not entered in Government records. The money allocated for Social Welfare is inadequate. The budget allocation should be four times than at present for Social Welfare. Land should be given to the people belonging to Seheduled Castes. They should be given houses also. Employment opportunities should also be provided for them.

A sweeper should get at least Rs. 300/- per month as salary so that Non-harijans may also have a liking for this profession. The amount of scholarship being paid to students of Scheduled Castes is inadequate. It should be increased. People residing in jhuggis and jhopries should not be indiscriminately uprooted. They are thrown away at a distance of 15-20 miles from the city. If you are really interested in their welfare and uplift, they should be provided accommodation in urban areas so that employment and other facilities may be provided for them.

Government is laying stress on family planning. Efforts should be made to stop child marriages in backward classes. Better educational facilities should be provided for the students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. At present they face great difficulty in securing admission in educational institutions.

The Coaching Institute at Allahabad for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not working properly. The working of this Institute should be looked into.

Seats should be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for Rajya Sabha and Legislative Councils. Posts should be reserved for them in Army and Police also.

Concrete steps should be taken to improve the condition of people belonging to Scheduled Castes.

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): The case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been very well pleaded. Government would do its best to improve their condition.

Many members have remarked that the money allocated for Social Welfare has not been properly utilised. A sum of Rs. 20 crores would be spent this year for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. About 15 crore rupees would be spent by the Centre and about 5 crore rupees by States.

As far as Scheduled Castes are concerned, 45 percent of the budget expenditure by States and 90 per cent of the budget expenditure by Centre would be spent on their education. 40 per cent and 15 per cent amount of the States budget allocations would be spent on economic development and other schemes respectively. Centre would spend its whole amount on education.

The figures regarding Scheduled Tribes are as follows : In States 60 per cent expenditure on education and 30 per cent expenditure on economic development, while the Centre would spend 17 per cent on education and 80 per cent on economic development.

6 lakh students of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are getting scholarships upto Matric and 1,32,000 students of these castes would be given scholarship during the current year after Matric. It is a drastic step and we have deliberately selected this area because this change can be brought about soon through the medium of education.

In tribal development blocks also, such efforts are being made. There ara 489 tribal development blocks. We want to establish more development blocks. But due to lack of resources, we have not been able to make progress in this direction. We are anxious to make progress in this field also.

The Fourth Five Year Plan is being discussed and it is being prepared. It has been appreciated in it that the funds to be allocated for agricultural and economic sectors are properly apportioned for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

We are also actively considering the question of employment and promotion. The Home Minister is personally paying attention to it. He and his colleague will soon bring a motion under which this matter will be thoroughly looked into and the existing unsatisfactory State of affairs would also be set right in due course. We would try our best to improve the situation regarding employment and promotion.

The incident at Mahboobnagar is being repeatedly referred that some women belonging to Scheduled Castes have been paraded in the streets quite rude. There is no basis of it. No

incident of this type has taken place. I agree that unpleasant incidents are taking place. But we should not repeat such incidents which have no basis. It unnecessarily leads to discontent.

Government is fully alive to this situation and to the importance of our present problem. Government would do everything to remove these blots on our civilised life.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the Cut Motions were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा समाज कल्याण विभाग की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

The following Demands in respect of Department of Social Welfare were put and adopted

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
97	समाज कल्याण विभाग	15,51,000
98	समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय	3,34,86,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय, विधि मंत्रालय, संसद्-कार्य विभाग, योजना आयोग, लोक सभा, राज्य सभा और उपराष्ट्रपति के सचिवालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

The following Demands in respect of Ministry of Finance, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development, Ministry of Law, Department of Parliamentary Affairs, Planning Commission, Lok Sabha, Rajya Sabha and Secretariat of Vice President were put and adopted

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
15	वित्त मंत्रालय	2,32,18,000
16	सीमा शुल्क	5,76,67,000
17	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	13,48,24,000
18	निगम कर आदि सहित आय सम्बन्धी कर	10,78,97,000
19	स्टाम्प	4,48,56,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
20	लेखा परीक्षा	18,79,17,000
21	मुद्रा और सिक्का ढलाई	12,69,82,000
22	टकसाल	3,29,54,000
23	कोलार की सोने की खानें	4,54,68,000
24	पेंशनों और सेवा निवृत्त लाभ	4,97,26,000
25	अफीम	85,00,000
26	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	34,04,16,000
27	राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	2,79,82,39,000
28	केन्द्रीय तथा राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विधि समायोजन	23,50,000
29	विभाजन पूर्व की अदायगियां	2,21,000
106	इंडिया सिक्योरिटी प्रेस पर पूंजी परिव्यय	39,37,000
107	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय	16,32,95,000
108	टकसालों पर पूंजी परिव्यय	65,73,000
109	कोलार की सोने की खानों पर पूंजी परिव्यय	95,22,000
110	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	4,00,41,000
111	वित्त मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	2,20,83,000
112	विकास के लिये राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय	43,13,19,000
113	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	4,02,67,86,000

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
35	स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगर विकास मंत्रालय	34,12,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
36	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	19,20,68,000
37	स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगर विकास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	82,35,000
116	स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगर विकास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	13,17,12,000

विधि मंत्रालय

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
68	विधि मंत्रालय	57,38,000
69	विधि मन्त्रालय का अन्य राजस्य व्यय	1,36,08,000

संसद्-कार्य विभाग

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
96	संसद् कार्य विभाग	5,51,000

योजना आयोग

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
99	योजना आयोग	1,32,49,000

लोक सभा, राज्य सभा और उपराष्ट्रपति का सचिवालय

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
100	लोक सभा	1,29,55,000
101	राज्य सभा	49,01,000
102	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	2,44,000

विनियोग (संख्या 2) विधेयक
APPROPRIATION (No. 2) BILL

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री मोरारजी देसाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विनियोग (संख्या 2) विधेयक
APPROPRIATION (No.2) BILL

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुबंध सहित अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2 और 3 तथा अनुबन्ध सहित अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई
Clauses 2 and 3 and the Schedule with Annexure were added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 26 अप्रैल, 1968/6 वैशाख, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April, 26, 1968/Vaisakha 6, 1890 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—22-11-68—600.

P.L.S. 48. XVI. 50. 68. (N)
600

© 1968 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
व्यवस्थापक, तेज कुमार प्रेस, लखनऊ द्वारा मुद्रित ।

© 1968 By the Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and
Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and
Printed By the Manager, Tej Kumar Press, Lucknow.